खण्ड-208, अंक-10
गुरूवार, 22 माघ, शक संवत् 1881
(11 फरवरी, 1960 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 208 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, ११ फरवरी, १९६०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३४९

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उल्फत सिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री

गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपालो, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुर सिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह श्री

बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसाद सिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगीतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मदन गोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्ला प्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद सुलेमान अवमी, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपाल सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ सहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुर सिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त , श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री

रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूपसिंह, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लखनी सिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवचन राव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामसनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुधीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी,श्री
सुनीताचौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री

सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट —सार्वजनिक निर्माण उप-मंत्री, श्री महावीरसिंह, भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

वृहस्पतिवार, ११ फरवरी, १९६०

तारांकित प्रश्न

[माननीय परिवहन मंत्री द्वारा २४ दिसम्बर, १९५९ के स्थगित प्रश्न]

* * * * *

विधायकों के राजकीय बसों द्वारा यात्रा करने के नियम

*३—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर) श्री लक्ष्मण राव कदम (जिला झांसी), श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़), श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर) श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (जिला कानपुर), श्री प्रभूदयाल (जिला बस्ती) और श्रीमती राजेन्द्र किशोरी (जिला बस्ती)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि विधायकों के राजकीय बसों द्वारा यात्रा करने के लिये जो पास देना निश्चय किया है उसके क्या नियम तय किये गये हैं ?

परिवहन मंत्री के सभा–सचिव (श्री धर्मदत्त वैद्य)—सिद्धान्ततः यह बात मान ली गई है। नियम बनाने पर विचार हो रहा है।

श्री मुरलीधर कुरील—या माननीय मंत्री जी बतलाने के कृपा करेंगे कि इन नियमों पर कब से विचार हो रहा है और कब तक समाप्त हो जायगा ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—नियमों पर निरन्तर विचार हो रहा है। इसके लिये ऐक्ट में संशोधन करना पड़ेगा तभी यह हो सकता है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो यह कहा गया कि सिद्धान्तत : बात मान ली गई तो क्या वह इस बात को स्पष्ट करेंगे कि किस अंश में कहां तक और किस रूप में इसको मान लिया गया है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—बसों के लिये पास दिये जाने का सिद्धान्त मान लिया गया है। इसके लिये ऐक्ट में परिवर्तन करना होगा। जब तक वह परिवर्तन नहीं हो जाता तब तक इसे कार्यान्वित नहीं किया जा सकेगा।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विधान सभा सेक्रेटरियट से सम्मानित सदस्यों के पास जो सूचना गई थी कि अब बस का पास मिलने वाला है आप लोग अपना अपना फोटो खिचवा कर भेज दें, तो जिन सदस्यों को फोटो खिचवाने में पैसा खर्च हुआ है सरकार उसको वापस करेगी ?

परिवहन मंत्री (डाक्टर सीताराम)—पैसा तो वापस नहीं होगा। लेकिन एक अपने पास फोटो रहे तो अच्छा है।

* * * * *

कानपुर रोडवेज रीजन के अस्थायी कर्मचारी

*९—श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या मंत्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर रोडवेज रीजन में कितने बस कन्डक्टर, ड्राइवर व आफिस क्लर्क ऐसे हैं जो पांच वर्ष से अधिक अवधि से कार्य कर रहे हैं किन्तु अस्थाई हैं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—२६ कन्डक्टर, ७५ ड्राइवर और ११६ क्लर्क।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह २६ कंडक्टर, ७५ ड्राइवर और ११६ क्लर्क ५ साल से अस्थाई काम कर रहे हैं उनके सम्बन्ध में स्थायित्व देने के लिये सरकार किस तरह से विचार कर रही है ?

डाक्टर सीताराम—उनकी सीनियारिटी लिस्ट तैयार हो रही है और परमानेन्ट पोस्ट सैंक्शन्ड भी है पहली अप्रैल, सन १९५७ से। ज्यों ही सीनियारिटी लिस्ट तय हो जायगी त्यों ही उनको कनफर्म कर दिया जायगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी—पहली अप्रैल, सन १९५७ से सीनियारिटी कायम हो चुकी है तो उसके मुताबिक क्या इन लोगों को स्थायित्व देने के लिये सरकार शीघ्रता करने की सोच रही है ?

डाक्टर सीताराम—सीनियारिटी लिस्ट तैयार हो रही है उसी के कारण देर हो रही है लेकिन ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर को आदेश दे दिया गया है कि वह शीघ्रातिशीघ्र इस काम को करें।

* * * * *

रोडवेज कर्मचारियों की पदोन्नति

*१२—श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ८ मार्च, १९५७ के जी०ओ० के मुताबिक रोडवेज विभाग में ३१ मई, १९५९ तक नये रूट्स में कितने विभागीय कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई ?

डाक्टर सीताराम—१२९ को।

[११ फरवरी, १९६० के लिये निर्धारित प्रश्न]

मन्सूरपुर चीनी मिल पर मुकदमा

*१—श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ) (अनुपस्थित)—क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मन्सूरपुर चीनी मिल, जिला मुजफ्फरनगर के अधिकारियों के विरुद्ध श्री वी० के० सिन्हा की अदालत में मिल के कांटे पर कम तौलने के अपराध में मुकदमा चल रहा है ? यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह मुकदमा कितने दिनों से चल रहा है ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—जी हां, ९ मई, १९५९ से।

*२—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—[२९ फरवरी, १९६० के प्रश्न ६९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

चीनी मिलों पर किसानों का बकाया

*३—श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के किन-किन चीनी मिलों पर वर्तमान समय में किसानों का गन्ने का दाम बाकी है और कितना-कितना ?

श्रम उप-मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)—१ जनवरी १९६० को इस प्रदेश की जिन चीनी मिलों पर किसानों के गन्ने का जितना दाम बकाया है उसका विवरण संलग्न पत्र में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८९५—८९७ पर)

श्री अमरनाथ—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि पारसाल की जो १६,१२,००० रुपये की बकाया रकम है वह किस कारण से अब तक बाकी रही है और उसकी वसूली के लिये सरकार ने कौन सा कदम उठाया है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मान्यवर, इसमें ४.७६ लाख रुपया ऐसा है जिसका केन यूनियन और केन फैक्टरी के बीच झगड़ा है कि यह दाम ठीक है या नहीं है। उसके सम्बन्ध में चारा जोई दोनों तरफ से चल रही है। यह एक डिस्प्यूटेड आइटम है। उसका झगड़ा तय हो जाय तो यह पैसा दिला दिया जाय। ४.१९ लाख की रकम ऐसी है जिसके सम्बन्ध में हाई कोर्ट में रिट लगी हुई है। उसका दिलाना भी सम्भव नहीं है जब तक कि उनका फैसला न हो जाय। जो ७.१७ लाख बाकी है उसकी रिकवरी के सर्टिफिकेट वसूली के लिये जारी हो चुके हैं।

श्री अमरनाथ—वर्तमान वर्ष की बकाया रकम किन कारणों से है और उसको दिलाने के लिये सरकार ने कौन-कौन से कदम उठाये हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मान्यवर, १ जनवरी, १९६० तक का जो बकाया था वह बतलाया गया, जो वर्तमान पैसा बाकी है वह इसलिये कि मिलों ने दिया नहीं और हमेशा ऐसा चलता है कि चीनी जैसे-जैसे बनती जाती है और उसका पैसा मिलता जाता है, मिल वाले उसे किसानों को देते जाते हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या सरकार बतलायेगी कि यह वसूली के आदेश कब दिये गये और उनके पालन के संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मान्यवर, यह आदेश अलग-अलग तिथियों में भिन्न-भिन्न रकम के लिये अलग-अगल मिलों को दिये गये, तो ये रिकवरी सर्टिफिकेट कहां-कहां दिये गये हैं उसकी इत्तला इस समय मेरे पास नहीं है, लेकिन आशा की जाती है कि पैसा वसूल करने का काम तेजी से हो रहा होगा।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिन मिलों पर १ जनवरी, १९६० को १६ लाख रुपया बकाया है वे हैबिचुअल डिफाल्टर्स हैं अथवा इसी वर्ष उन पर यह रकम बाकी रह गयी है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इसमें दोनों किस्म के हैं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—इस बात को देखते हुए कि रिकवरी सर्टिफिकेट जो कमिश्नर साहब देते हैं उससे वसूली में बड़ी कठिनाई महसूस होती है, क्षेत्रीय स्तर पर किसी अफसर को यह अधिकार देंगे कि वह रिकवरी सर्टिफिकेट ईश्यू कर सके ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—क्षेत्रीय अधिकारियों को पूरी-पूरी जिम्मेदारी दे देने में कोई दिक्कत न होती लेकिन पूरी-पूरी जानकारी केन कमिश्नर के लेविल पर ही हो सकती है। इसलिये वहीं से यह रिकवरी सर्टिफिकेट ईश्यू होते हैं। लेकिन यह मैं स्वीकार नहीं कर सकता कि इसमें कोई बड़ी दिक्कत पड़ती है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या उद्योग मंत्री जी इस प्रकार के आदेश मिल मालिकों को देने की कृपा करेंगे कि जिस किसान के गन्ने की कीमत एक माह से ज्यादा बाकी रह जाय, मिल मालिक उस पर सूद भी किसान को दें ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---इसकी व्यवस्था ऐक्ट में मौजूद है।

श्री अमरनाथ---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो उन्होंने यूनियनों और फैक्टरीज के बीच झगड़े की बात कही है वह कब तक निर्णय हो जाने की संभावना है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---यह बड़ा ग्योरे का सवाल है। काफी कागज देखने पड़ते हैं। इसके लिये मैं कोई तिथि निर्धारित नहीं कर सकता।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन मिल वालों के ऊपर जिन किसानों का रुपया बकाया है, उन किसानों का गन्ना सरकार उन्हीं मिल वालों को दिलवा रही है या किसी दूसरे को दिलवाना शुरू कर दिया है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---उन किसानों का गन्ना हमेशा किसी दूसरी मिल को दिलाना सम्भव नहीं होता, लेकिन इस साल जो रिजर्वेशन हुआ गन्ने का तो उसमें इसका ध्यान जरूर रखा गया कि डिफाल्टर मिल्स का जहां तक सम्बन्ध है, उनको कुछ कम गन्ना दिया जाय और इस बात का ध्यान रखा जाय कि गन्ने का ठीक पैसा पहले मिला है या नहीं।

***४-६---श्री मुरलीधर**---[१८ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

फैजाबाद जिले में नियोजन विभागान्तर्गत लिपिकों की नियुक्तियां

***७---श्री मदन पांडेय** (अनुपस्थित)---क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या नियोजन दफ्तर, फैजाबाद तथा जिले के विभिन्न विकास क्षेत्रों में क्लर्कों की नियुक्ति के लिये चुनाव के आधार पर कोई सूची १९५८ के अन्तिम तीन महीने में बनी थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां।

***८---श्री मदन पांडेय** (अनुपस्थित)---क्या मंत्री महोदय यह भी बतायेंगे कि जो लोग १५ अक्तूबर, १९५९ तक इस सम्बन्ध में नियुक्त किये गये हैं, उनके नाम और पते क्या हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---१५ अक्तूबर, १९५९ तक नियुक्त किये गये लिपिकों की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८९८ पर)

सीतापुर जिले में पम्पिंग सेट के लिये दिया गया ऋण

***९---श्री ताराचन्द महेश्वरी** (जिला सीतापुर)---क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले के अन्तर्गत प्रत्येक "राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड" प्रत्येक "प्रगाढ़ सेवा खंड" और प्रत्येक छाया क्षेत्र (शैडो ब्लाक) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष १९५८-५९ और १९५९-६० के अक्तूबर मास तक कितना धन ऋण के रूप में छोटी सिंचाई योजनाओं (पम्पिंग सेट) पर दिया गया है ?

नियोजन उप-मंत्री (श्री सुल्तान आलम खां)---इसकी सूची माननीय सदस्य के मेज पर रक्खी गई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८९९ पर)

*१०—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पम्पिग सेट के खरीदने हेतु प्राप्त धन का उपयोग उक्त अवधि में प्राप्त व्यक्तियों ने कर लिया है ?

श्री सुल्तान आलम खां—हर गांव द्वितीय सोपान क्षेत्रान्तर्गत ब्लाक फंड से दिये गये ऋण में से ५ व्यक्तियों ने तथा अधिक अन्न उपजाओ फंड से दिये गये ऋण से दो व्यक्तियों ने पम्पिग सेट क्रय करके मार्च तक लगा लिये थे।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मंत्री जो बताने की कृपा करेंगे कि तालिका के अन्तर्गत बिसवां, सिधौली, मिश्रिख प्रथम सोपान खंड में पंम्पिग सेट क्यों नहीं खरीदे गये ?

श्री सुल्तान आलम खां—इसकी वजह यह हो सकती है कि पंपिंग सेट मिले न हों या किसी वजह से देर कर दी गयी हो। अगर आप चाहेंगे तो जांच करके इसकी वजह बता सकूंगा।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अधिक अन्न उपजाओ फंड के अन्तर्गत १२,५०० रुपये का ऋण किन सोपान खंडों में दिया गया है ?

श्री सुल्तान आलम खां—१९५८-५९ में यह रकम पूरे सीतापुर जिले में ग्रो मोर फूड के लिए दी गयी है, डिटेल्स मेरे पास नहीं हैं।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या मंत्री जो बतायेंगे कि यदि प्राप्त धन का उपयोग पम्पिग सेट को खरीददारा में न किया जाय तो कितनी अवधि में सरकार उस धन की वसूलयाबी शुरू कर देती है ?

श्री सुल्तान आलम खां—पम्पिग सेट के लिए कोई वक्त तो मुकर्रर नहीं है कि इतने अर्से के अन्दर इस धन को खर्च कर दिया जाय, जैसे कि टयूबवेल के लिए देते हैं कि एक साल में लग जाय और अगर न लग सके तो फिर कलेक्टर से इजाजत ले कर दो साल में लगा सकते हैं। इसके लिए कोई अवधि मुकर्रर नहीं है।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब निश्चित अवधि के अन्दर पंपिग सेट नहीं खरीदा गया तो उस धन की रिकवरी का, जो उन्हें दिया गया, क्या इन्तजाम किया गया ?

श्री सुल्तान आलम खां—अभी तो उनकी मांग है लगाने की। अगर एक माकूल मियाद के अन्दर नहीं लगायेंगे तो उनसे रुपया वापस ले लिया जायगा।

*११-१२—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)— [३ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

विकास खण्डों के अन्तर्गत नलकूपों के स्थान पर छोटी सिंचाई योजनायें

*१३—श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के विकास खंड में ब्लाकों को मिलने वाले अनुदानों से कछ नलकूपों के निर्माण ब्लाकों में कराने की कोई योजना थी जिसे सरकार ने बन्द करने का आदेश दे दिया है ?

श्री सुल्तान आलम खां—आदेश यह हैं कि प्रमुख श्रेणी के विकास खंडों (Stage 1 Blocks) में नलकूपों की अपेक्षा छोटी सिंचाई योजना जैसे कि पक्के कुएं, रहट और छोटे पम्पिग प्लान्ट इत्यादि पर विकास खंडों के अनुदान का उपयोग किया जाय। परन्तु यदि इन छोटी योजनाओं पर किये गये खर्चे के बाद अनुदान में कोई बचत हो तो उसका उपयोग नलकूप बनाने के लिये किया जा सकता है।

*१४--श्री मुक्तिनाथ राय---यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री सुल्तान आलम खां---कारण यह है कि विकास खंडों में सरकार द्वारा बनाये गये नलकूपों में जनता का कोई हाथ नहीं होता। इसलिये उन्हें जनसाधारण के सहयोग से बनाये गये सामूहिक विकास कार्य नहीं समझा जा सकता।

श्री मुक्तिनाथ राय--- क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसके पहले स्टेज वन ब्लाक में नलकूप बनाने की जो योजना चली थी उसे सरकार ने कब से बन्द करने का आदेश दिया है ?

श्री सुल्तान आलम खां---अभी कुछ अर्सा हुआ जब इस बात का खयाल पैदा हुआ कि जो नलकूप बनाते हैं उसकी बजाय अगर छोटी-छोटी योजनाएं बनायी जायं तो उन पर कम रुपया लगेगा, क्योंकि पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है, और ट्यूबवेल में पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं होता। लेकिन इसके साथ यह भी फैसला किया गया है कि जिन नलकूपों का काम कुछ शुरू कर दिया गया है---ऐसे सौ हैं---उनको रोका नहीं जायगा। आइंदा ब्लाक २ में इस किस्म का कोई इन्तजाम नहीं किया जायगा और नलकूप बनाने की इजाजत नहीं दी जायगी।

श्री मुक्तिनाथ राय--- क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि चूंकि उत्तर में कहा गया है कि सरकार द्वारा बनाये हुए नलकूपों में जनता का हाथ नहीं होता है, नलकूप निर्माण योजना में जनता का भी हाथ हो, इस बात की पूर्ति के लिए जो नलकूप का मूल्य है उसका गांव वाले इन्तजाम कर दें, तो सरकार नलकूप बनाने की योजना पर विचार करेगी ?

श्री सुल्तान आलम खां---सोचा यह जाता है कि अगर छोटी-छोटी आबपाशी की योजनाएं बनायी जायं तो उससे काश्तकार नफा कमा सकते हैं, लेकिन अगर रुपये की बचत हो जाय और रुपया खर्च नहीं होता है तो खास मौकों पर नलकूप बनाने की इजाजत दी जाती है। १०० नलकूपों को इसलिए नहीं रोका जा रहा है क्योंकि वहां कुछ न कुछ काम शुरू हो गया है।

श्री राजनारायण ---क्या सरकार को जानकारी है कि सिंचाई विभाग जो नलकूप बना रहा था उसने अपने पहले के फैसले को इसलिए स्थगित कर दिया कि वहां पर अब ब्लाक की ओर से नलकूप बनेगा और फिर सरकार ने यह फैसला कर दिया कि ब्लाक अब नलकूप नहीं बनायेंगे---सिंचाई विभाग भी नहीं बना रहा है। इससे किसानों को दिक्कत पड़ रही है तो सरकार क्या उपाय सोच रही है ?

श्री सुल्तान आलम खां---अगर कोई खास मामला इस किस्म का सामने रखा जायेगा तो उस पर जरूर गौर किया जायेगा। यह आम तौर से फैसला हो गया है कि यह रुपया छोटी-छोटी योजनाओं में खर्च हो। जो नलकूप बनते हैं वह तो इर्रीगेशन डिपार्टमेंट अपनी तरफ से बनाता है और वहीं बनाता है जहां वह सर्वे करता है और जहां मुनासिब जगह समझता है।

श्री राजनारायण---क्या सरकार इस बात को महसूस करती है कि छोटे नलकूप चाहे सिंचाई विभाग बनायें और चाहे ब्लाक बनायें मगर उसका एक ही काम होगा और वह यह कि किसान के खेत को पानी देना ? सरकार का उत्तर मिलता है कि उसका सिंचाई विभाग अपने ढंग से बनाता है, तो इस सरकार ने जब ब्लाक की ओर से बनने वाले नलकूपों को स्थगित करने का फैसला किया तो इस सम्बन्ध में सिंचाई विभाग से कोई राय-मशविरा किया था ?

श्री अध्यक्ष--- यह प्रश्न इससे उठता नहीं है। उन्होंने जो सरकार की पालिसी थी उसको स्पष्ट बता दिया है कि बजाय नलकूपों के छोटी-छोटी सिंचाई के कार्य किये जायं यानी पक्के कुएं वगैरह बनाये जायं। यह दोनों के लिये लागू होती है चाहें सिंचाई विभाग हो या कोई दूसरा विभाग हो।

श्री राजनारायण--- ऐसा नहीं है, श्रीमन्। सिंचाई विभाग तो नलकूप अब भी बना रहा है....

श्री अध्यक्ष— तो आप इसको स्पष्ट करें।

श्री राजनारायण—सिंचाई विभाग की ओर से अब भी नलकूप बनाये जा रहे हैं, क्या सरकार को इस बात की जानकारी है ?

श्री सुल्तान आलम खां —जी हां। कैनाल डिपार्टमेंट जहां जरूरत होती है वहां बनाता है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जिले में जो १२ नये नलकूपों के बनाने के बारे में सर्वे चल रहा है और माननीय मंत्री जी ने उत्तर में १०० नलकूप बताये हैं जो बनाये जायेंगे, तो क्या वहां पर सर्वे जारी रखा जायेगा या स्थगित कर दिया जायेगा ?

श्री सुल्तान आलम खां—मैंने कहा है कि १०० नलकूप ऐसे हैं जिन पर फैसला ले लिया गया है और वे जारी रहेंगे। इसके अलावा और नलकूप नहीं बनाये जायेंगे। यह मैं कह नहीं सकता कि कानपुर के जिन नलकूपों का माननीय अवस्थी जी जिक्र कर रहे हैं वे इसमें आते हैं या नहीं। अगर नोटिस देंगे तो मैं इसकी इन्क्वायरी करा लूंगा।

श्री इन्दुभूषण गुप्त (जिला आजमगढ़)— यह जो १०० नलकूप बनाये जायेंगे यह किसके जरिये बनाये जायेंगे—किसी विभाग द्वारा बनाये जायेंगे या किसी प्राइवेट कम्पनी द्वारा ?

श्री सुल्तान आलम खां—इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी।

श्री रघुरनतेजबहादुर सिंह (जिला गोंडा)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि छोटी सिंचाई योजना के अन्तर्गत जो नलकूप बनते हैं उसके लिये नियोजन विभाग को कोई अनुदान दिया जाता है या केवल ऋण ही दिया जाता है ?

श्री सुल्तान आलम खां—अनुदान दिया जाता है और जब कुयें तैयार हो जाते हैं और वक्त के अन्दर तैयार हो जाते हैं तो उसमें से करीब २५ फीसदी छूट दी जाती है।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूपों की योजना समाप्त करने के बाद जो दूसरी छोटी-छोटी योजनायें सरकार चलाने जा रही है वह कान्ट्रेक्ट बेसिस पर चलाने जा रही है या सरकार अपनी ओर से करने जा रही है ?

श्री सुल्तान आलम खां—यह जो हमारी योजना है इसमें हमारी मंशा यही है कि उसमें पब्लिक पार्टीसिपेशन हो, लोगों की दिलचस्पी उसमें हो।

श्री उग्रसेन—क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग को कुछ दिन पहले एक टेक्निकल ओपीनियन दी गयी थी कि पूर्वी क्षेत्रों में ट्यूबवेल सक्सेसफुल नहीं होंगे और इसीलिये वहां पर ट्यूबवेल नहीं बनाये जा रहे हैं ?

श्री सुल्तान आलम खां—मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

*१५—श्री लक्ष्मणराव कदम—[२२वें शुक्रवार के लिये प्रश्न ६ के अन्तर्गत स्थगित किया गया।]

*१६—श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—[३ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

*१७-१८—श्री गंगाप्रसाद—[दूसरे शुक्रवार के लिये प्रश्न १३३-१३४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

चीनी मिलों पर गन्ने के मूल्य का बकाया

*१९—श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९५८-५९ के सीजन का उत्तर प्रदेश में कितनी और कहां-कहां गन्ने की कीमत फैक्टरियों के ऊपर बकाया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—१ जनवरी, १९६० को इस प्रदेश की जिन चीनी मिलों पर १९५८-५९ सीजन के गन्ने की जितनी कीमत बकाया है उसका विवरण संलग्न-पत्र में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ९०० पर)

*२०-२१—श्री जगवीरसिंह (अनुपस्थित)—[चौथे सोमवार के लिये प्रश्न २६-२७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

मिलों में चीनी का पुराना स्टाक तथा राज्य में चीनी का उत्पादन

*२२—श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में २५ अक्तूबर, सन् १९५९ को मिल मालिकों के गोदामों में पुराने स्टाक की चीनी कितनी बची थी और देवरिया जिले में कितनी थी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इस प्रश्न का सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार से है। अतएव सम्बन्धित सूचना देना सम्भव नहीं है।

*२३—श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सीजन १९५७-५८ व १९५८-५९ में चीनी का उत्पादन मनों में क्या था ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इस प्रदेश में निर्दिष्ट सीजन्स में चीनी का जो उत्पादन हुआ वह इस प्रकार है :

सीजन	उत्पादित चीनी की मात्रा (लाख मनों में)
१९५७-५८	२५६.४२
१९५८-५९	२४१.७०

श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि २५ अक्तूबर, १९५९ के पुराने स्टाक में से प्रार्विंशियल गवर्नमेंट को कितना कोटा मिला ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इस के लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रश्न के जवाब का सम्बन्ध तो केन्द्रीय सरकार से है लेकिन प्रदेश में जिस जिले की बात कही गई है वहां की जानकारी सरकार को है कि उन मिलों में कितना स्टाक चीनी का है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जी नहीं।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब यह प्रश्न केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित था तो इसका उत्तर देना उन्होंने पहले ही क्यों नहीं खारिज कर दिया ?

श्री अध्यक्ष—इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, स्वीकृति विधान सभा उपाध्यक्ष द्वारा हुई थी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनके उत्तर के अनुसार १९५७-५८ के मुकाबले में १९५८-५९ में चीनी का उत्पादन कम हुआ है उसके कारण क्या हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---हमारे इस प्रदेश के पश्चिमी भाग में जो चीनी मिलें स्थित हैं वहां खंडसारी के कोल्हू काफी चल रहे हैं, उन्होंने काफी गन्ना खींचा। १९५७-५८ में २५.८१ करोड़ मन गन्ना मिला और १९५८-५९ में २५.१७ करोड़ मन गन्ना मिला। तो गन्ने का कम मिलना ही यह कारण है कि चीनी का उत्पादन कम हुआ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---इस बात को देखते हुये कि १९५७-५८ के मुकाबले में १९५८-५९ में चीनी का उत्पादन कम हुआ, इसका कारण खंडसारी की तरफ गन्ने का जाना नहीं है बल्कि मिलों की इनएफीशिएन्सी है जिन्होंने जानबूझ कर पर्सेन्टेज घटाया है चीनी का, क्या इस बात की जानकारी सरकार को है ?

श्री अध्यक्ष---उन्होंने तो जवाब दे दिया, यह तो आप अपनी जानकारी बता रहे हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---क्या यह सही है कि सन् १९५७-५८ का सीजन १९५८-५९ के सीजन से बड़ा था इसलिये गन्ना ज्यादा पेरा गया और शक्कर ज्यादा बनी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---सीजन का लम्बा और छोटा होना गन्ने के मिलने पर ही मुनहसिर है। सन् १९५७-५८ में गन्ना ज्यादा मिला इसलिये सीजन लम्बा हुआ।

*२४---श्री ब्रजनारायण तिवारी---[३ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

*२५---श्री लक्ष्मणराव कदम---[१८ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

चीनी के मूल्य में वृद्धि से मिल मालिकों को लाभ

*२६---श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मई, जून, १९५९ में शक्कर के दामों के बढ़ने से उत्तर प्रदेश के चीनी मिल मालिकों को कितना लाभ नवम्बर, १९५९ तक हुआ ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---केन्द्रीय सरकार ने १९५८-५९ सीजन के लिये उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों का एक्स फैक्टरी (ex-factory) मूल्य निर्धारित किया था और मई, जून १९५९ में इसमें कोई वृद्धि नहीं की गई।

*२७---श्री लक्ष्मणराव कदम---[१८ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

जिला रोजगार कार्यालय, गोंडा से नौकरी

*२८---श्री गंगाप्रसाद---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में १ जनवरी, १९५९ से लेकर ३० नवम्बर, १९५९ तक कितने व्यक्तियों ने अपने नाम जिला रोजगार कार्यालय, गोंडा में रजिस्ट्रेशन कराया और उनमें कितने व्यक्तियों को रोजी दिलायी गयी और कितने को इन्टरव्यू में किन-किन विभागों में भेजा गया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---१०,३८५ व्यक्तियों ने रजिस्ट्रेशन कराया। इनमें से ९१७ व्यक्तियों को रोजगार मिला, ५,९२९ व्यक्ति इन्टरव्यू के लिये भेजे गये और जिन-जिन कार्यालयों में भेजे गये उनकी तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ९०१-९०४ पर)

श्री गंगाप्रसाद---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ५,९२९ व्यक्ति जो भेजे गये उसमें कितने चुन लिये गये?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---९१७, यह तो ऊपर कह दिया गया है।

श्री गंगाप्रसाद---उनमें कितने हरिजन हैं ?

श्री अध्यक्ष---आपका सवाल पहले हरिजन वगैरह के बटवारे का नहीं था, इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---श्रीमन्, हमारे यहां आंकड़े वगैरह इसके रखे भी नहीं जाते यानी इम्पलाइमेन्ट एक्सचेज इसके आंकड़े रखता भी नहीं।

परिवहन विभाग के कर्मचारियों के लिये 'पे कमेटी' बैठाने का सुझाव

*२९---श्री उग्रसेन---क्या मंत्री परिवहन कृपया परिवहन विभाग के कर्मचारियों के वेतन, ग्रेड, छुट्टी भत्ते एवं अन्य सुविधाओं की जांच के लिये एक हाईकोर्ट स्तर के जज की अध्यक्षता में एक 'पे कमेटी' बैठाने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---इसकी आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है।

श्री उग्रसेन---इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जब १९४६ में पे कमेटी बैठी थी उस समय रोडवेज का जन्म भी नहीं हुआ था, क्या सरकार उन कारणों पर प्रकाश डालेगी जिनकी वजह से वह पे कमेटी बैठाने के लिये अब तैयार नहीं है ?

डाक्टर सीताराम---१९४६ के पे कमीशन ने सभी प्रकार के कर्मचारियों के बारे में विचार किया था। ट्रांसपोर्ट विभाग के गजेटेड अफसरों का वही पे स्केल है जो औरों का है और पे कमेटी ने रेकमेन्ड किया था। नान गजटेड कर्मचारियों के लिये पे कमेटी ने जो नीति निर्धारित की थी वही ट्रांसपोट विभाग में भी बरती जा रही है, सिवाय चार्ज्ड कर्मचारियों के जैसे सेन्ट्रल वर्कशाप, कानपुर या रिजिनल वर्कशाप्स हैं।

श्री उग्रसेन---रोडवेज में रनिंग स्टाफ बहुत बड़ा महत्व रखता है और यह जो सरकार ५ करोड़ की पूंजी पर २ करोड़ का प्राफिट का हिसाब रखती है, और ड्राइवरों और कन्डक्टरों के लिये कोई पे स्केल पे कमेटी ने नहीं रखा था, इसलिये क्या सरकार उनके लिये पे कमेटी के निर्धारण की आवश्यकता नहीं समझती है ?

डाक्टर सीताराम---जो हाई स्कूल पास कन्डक्टर्स हैं उन्हें वही वेतन ६०-१०० का मिलता है जो हाई स्कूल पास कर्मचारियों को और विभागों में मिलता है। जैसे बुकिंग क्लार्क्स, सहायक बुकिंग्स क्लार्क्स हैं। सिवाय बम्बई के और कहीं भी देश में यू० पी० के बराबर ड्राइवरों को रुपया नहीं मिलता है। हमारे यहां माइलेज एलाऊंस भी है जो प्रत्येक ड्राइवर को जो रोजाना १०० मील चलता है, २५-३० रुपये माहवार हो जाता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---इस बात को देखते हुए कि सेन्ट्रल पे कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और रोडवेज, कर्मचारियों के लिये केन्द्र की सहायता की बात भी है, और पुलिस के कर्मचारियों के लिये जो कमीशन बैठाया है उसमें टर्म्स आफ रेफरेंस में उनके वेतन का सवाल भी है, क्या सरकार सभी कर्मचारियों के लिय दूसरा पे कमीशन बैठाने पर विचार करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---विचार तो हम इस प्रश्न पर बराबर करते रहते ही हैं। लेकिन केवल विचार करने से रुपया नहीं मिल जाता है, जो कर्मचारियों को दिया जा सके। अगर इस बात का फैसला हो जाय कि हमको केन्द्र से या कहीं से रुपये पैसे की मदद मिलने वाली है तो हम बगैर और किसी बात के सोचे हुए कमीशन मुकर्रर कर दें। बिला पैसे के कमीशन नियुक्त करने से लोगों में आशा पैदा करना उचित नहीं होगा।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---हमारे यहां ड्राइवर्स के दो स्केल होने का क्या कारण है ?

डाक्टर सीताराम---सन् ५२-५३ में उनका वेतन ६० रुपये था और बहुत से ड्राइवर छुट्टी पर जाकर वापस नहीं आते थे। इसलिये उनके लिये वेतन, कम करके कहा गया कि जो काम पर आवेगा उसे माइलेज एलाउंस मिलेगा। अब कहीं ज्यादा उनको मिल जाता है।

श्री प्रतापसिंह---क्या मंत्री जी को याद है कि यहां उन्होंने कहा था कि जे० रेस० आई०, ऐस० ऐस० आई०, ए० टी० आई० और ड्राइवर्स के वेतन में बहुत अन्तर है और सरकार इस विभाग के रिआर्गनाइजेशन पर विचार कर रही है ? क्या सरकार इसे रिआर्ग-नाइज करने जा रही है ?

डाक्टर सीताराम---यह प्रश्न अभी विचाराधीन है।

*३०---आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)---[दूसरे शुक्रवार के लिये प्रश्न ४१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

मैनपुरी जिले में बस सर्विस

*३१---श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले के किन-किन मार्गों पर व्यक्तिगत लारियां चलती है और उनकी संख्या अलग-अलग कितनी कितनी है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---वांछित सूचना तालिका में दी हुई है जिसे सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ९०५ पर)

*३२---श्री गनेशचन्द्र काछी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में किन-किन मार्गों पर सरकारी बसें चलती हैं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---वांछित सूचना तालिका में दी हुई है जिसे सदन की मेंज पर रख दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ९०६ पर)

श्री गनेशचन्द्र काछी---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन मार्गों पर प्राइवेट बसें चल रहा हैं उन्हें किस आधार पर हटाकर सरकारी बसें चलायी जाती हैं ?

डाक्टर सीताराम---बजट में रुपया देखकर उपयुक्त सड़कें ली जाती है।

श्री गनेशचन्द्र काछी---क्या यह बात सही है कि जो प्राइवेट बस वाले कायदे से दरख्वास्त देते हैं और अच्छी तरह से समझा लेते है उनके यहां पर सरकारी बसें जल्दी नहीं पहुंचती हैं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---ऐसा नहीं है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---कुल कितने मार्गों पर कितनी बसें चलती हैं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---मैनपुरी में १२ मार्गों पर प्राइवेट बसें चलती हैं। बसों की संख्या के लिये नोटिस चाहिये।

बार्डर एलाउन्स

*३३—श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में काम करने वाले सभी राज्य कर्मचारियों को बार्डर एलाउन्स मिलता है ? यदि नहीं, तो उसका कारण ?

श्री सुल्तान आलम खां—सबको मिलता है ।

श्री प्रतापसिंह—क्या सबको मिलने में वे कर्मचारी भी शामिल हैं जिनका केन्द्र से संबंध है लेकिन वे उत्तर प्रदेश के ही हैं ? यदि हां, तो उन्हें किस परसेंटेज से एलाउन्स दिया जाता है ?

श्री सुल्तान आलम खां—केन्द्र का मामला व्योरे का सवाल है, इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी ।

श्री प्रतापसिंह—अस्कोट बार्डर्स पर जो कर्मचारी काम करते हैं उन्हें किस हिसाब से एलांउस दिया जाता है और गरब्यांग और माना में किस हिसाब से ?

श्री सुल्तान आलम खां—धारचूला, मनस्यारी, जोशीमठ और मटवारी के ब्लाक में जितने कर्मचारी हैं उन सबको मिलता है और वह कम से कम ३० रुपये और ज्यादा से ज्यादा २०० रुपये हैं । पुलिस विभाग के लिये एलहदा जी० ओ० है ।

श्री प्रताप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी इस बात की सूचना समझते हुए कि बहुत से विभाग ऐसे हैं जिनमें यह बार्डर अलाउन्स लागू नहीं हो रहा है, छानबीन करके सभी विभागों में इसको लागू करने की कृपा करेंगे ?

श्री सुल्तान आलम खां—यह तो सभी गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट के लिये लागू होता है । अगर किसी विभाग में नहीं मिलता हो तो माननीय सदस्य जब उनकी सूचना देंगे तो छानबीन कर ली जायगी ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि एक ही विभाग में जो लोग पहले भेजे गये थे उनको यह अलाउन्स दे दिया गया है और जो बाद में भेजे गये उनको नहीं मिला है ?

श्री सुल्तान आलम खां—मेरी तो ऐसी जानकारी नहीं है लेकिन अगर माननीय सदस्य इसके बारे में सूचना देंगे तो मैं जरूर ही उसकी छानबीन करा लूंगा ।

श्री शिवप्रसाद नागर—हमारे प्रदेश की सीमा जो दूसरे देश की सीमा से मिलती है या हमारे ही देश के दूसरे प्रदेशों की सीमा से मिलती है उन सभी क्षेत्रों में यह एलाउन्स मिलता है या कि दूसरे देश से जो सीमा मिलती है, उसी जगह यह लागू होता है ?

श्री सुल्तान आलम खां—मैंने पहले ही जवाब में बतला दिया था कि दूसरे देशों से जो हमारी सीमा मिलती है उन्हीं ब्लाक्स में जो सरकारी मुलाजिमान हैं उन्हीं को बार्डर एलाउन्स दिया जाता है ।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह बार्डर एलाउन्स का जी० ओ० कब से चालू हुआ ?

श्री सुल्तान आलम खां—यह ११ दिसम्बर, १९५९ को जारी हुआ था ।

*३४-३६—**श्री अब्दुल रऊफ लारी** (जिला गोरखपुर)—[३ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

माना ग्राम का ऊन केन्द्र

*३७—श्री प्रतापसिंह—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम माना, जिला गढ़वाल में कोई ऊन का उद्योग खोला गया है? यदि हां, तो किस प्रकार का?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जी हां, एक शिक्षण तथा उत्पादन केन्द्र तथा एक कताई केन्द्र, माना में स्थापित किये गये हैं जिनमें ऊन वितरण के अतिरिक्त वहां के निवासियों को नये यंत्रों के प्रयोग और बुनाई, कताई, रंगाई इत्यादि की उन्नत उत्पादन विधियों की शिक्षा दी जाती है।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि माना गांव, उत्तर प्रदेश और तिब्बत की सीमा का आखिरी गांव है, इस बात को ध्यान में रखते हुए पिछले ४–५ महीनों में कितनी ऊन वहां पर वितरित की गयी, क्योंकि तिब्बत से ऊन आना बन्द ही हो गया है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इसकी सूचना इस वक्त मेरे पास नहीं है लेकिन हमारी यह पूरी कोशिश है कि हमारे केन्द्र अच्छी तरह से चलें। जहां तक हमारी सूचना है इन केन्द्रों के चलाने में कोई कोताही नहीं हो रही है।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि माना गांव साढ़े दस हजार फुट ऊंचा है, वहां पर बर्फ इस समय जमी हुई है, जो लोग इन प्रशिक्षण केन्द्र में शिक्षा पाते थे वे आजकल कहां शिक्षा पा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—यह आप नया सवाल कर रहे हैं। यह तो आपको ही ज्यादा मालूम होगा। शायद वह गढ़वाल में होगा।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—माना प्रशिक्षण केन्द्र चार केन्द्रों पर चलता है, माना गांव में जरूर बर्फ जम जाती है लेकिन उसके अलावा दूसरे जो प्रशिक्षण केन्द्र हैं जोशीमठ, हनुमान चट्टी और लाटा, इन जगहों पर काम चलता रहता है। जब माना गांव में बर्फ जम जाती है तो इन स्थानों में काम आसानी से चलता रहता है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या माना में आधुनिक मशीनों से प्रशिक्षण किया जा रहा है? जैसे कार्डिंग की उस मशीन से जो कि स्विटजरलैन्ड से आयी है या जो हमारे यहां की नयी स्पिनिंग की मशीनें हैं उनसे काम सिखाया जा रहा है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जो मशीनें स्विटरलैंन्ड से आयी है उनका सवाल ही पैदा नहीं होता। वहां पर कृष्ण ट्रेडिल, चर्खा तथा रंगाई, बुनाई की अपने यहां की मशीनों से ही काम सिखाया जाता है। स्विटजरलैन्ड की मशीन तो अभी गोविन्द सिंह विष्ट जी के इलाके के हिस्से में ही है।

काशीपुर में नया सिनेमा खोलने की आज्ञा न मिलना

*३८—श्री भुवनेश भूषण शर्मा (जिला इटावा) (अनुपस्थित)—दिनांक ३ सितम्बर, १९५९ को प्रश्नकर्त्ता द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३६ के संदर्भ में क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो शिकायतें, काशीपुर, जिला नैनीताल के निवासियों ने वहां पर दूसरा सिनेमा चलाने की आज्ञा न प्रदान किये जाने के संबंध में दी है उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जांच कराने पर पता चला कि काशीपुर स्थित एक स्थायी सिनेमा वहां की वर्तमान आवश्यकताओं के लिये काफी है और वहां किसी अस्थायी सिनेमा की आवश्यकता नहीं है।

इटावा जिले में ईख पेरने के कोल्हूओं का कथित गबन

*३९—श्री भुवनेशभूषण शर्मा (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले में सन् १९५६ से जून, सन् १९५९ तक गुड़ विकास इंस्पेक्टर द्वारा ईख पेरने के कोल्हू कितने व्यक्तियों को तकावी पर किये गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—१५२ व्यक्तियों को ।

*४०—श्री भुवनेशभूषण शर्मा (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कुछ गुड़ विकास अधिकारी व कामदार जिला, इटावा में सन् १९५९ में कोल्हूओं के गबन के आरोप में जिलाधीश द्वारा निलिम्बत किये गये ? यदि हां, तो उन अधिकारियों पर कितने कोल्हुओं के गबन का आरोप है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

*४१-४२—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—[३ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

बछरावां में बस स्टेशन की इमारत न होना

*४३—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कस्बा बछरावां, जिला रायबरेली में बस स्टेशन के लिये कोई सरकारी इमारत नहीं है ? यदि हां, तो सरकारी इमारत बनवाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

डाक्टर सीताराम—जी हां, निर्माण के लिये भूमि प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

*४४—श्री मोतीलाल अवस्थी—[१८ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किया गया]

*४५-४६—श्री गोविन्दसिंह विष्ट—[३ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

श्रमिकों के क्वार्टरों का किराया बढ़ाने की शिकायत

*४७—श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (अनुपस्थित)—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के किन-किन नगरों में श्रमिकों के लिये नवनिर्मित क्वार्टरों का किराया १० पये से बढ़ा कर १७ रुपये ८ आने किया गया है ? इसके साथ ही साथ क्या सरकार उक्त प्रत्येक नगर की क्वार्टरों की संख्या अलग-अलग बताने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्रदेश के किसी भी नगर में श्रमिकों के लिये नवनिर्मित क्वार्टरों का किराया १० रुपये से बढ़ाकर १७ रुपये ८ आना नहीं किया गया है, वरन् इन क्वार्टरों में रहने वाले उन व्यक्तियों से, जो योजना के नियमों के अनुसार सहायता प्राप्त किराये (Subsidised rent) पर रहने के अधिकारी नहीं है, पूरे किराये (economic rent) की मांग की गई है । विभिन्न नगरों में सहायता प्राप्त श्रमिक आवास योजना के अन्तर्गत बने क्वार्टरों की संख्या तथा उनके पूरे किराये की दरों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ९०७—९०८ पर)

*४८—श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (अनुपस्थित)—क्या यह सत्य है कि किराया बढ़ाये जाने का सूत्रपात नैनीताल श्रमविभाग द्वारा आयोजित त्रिदलीय सम्मेलन में वादविवाद के समय हुआ ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया उस सम्मेलन में हुई वार्ता का संक्षिप्त विवरण बतायेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं ।

पुलिस तथा पी० ए० सी० अधिकारियों की एक स्थान पर काय करने की अवधि

*४६—**श्री राजनारायण**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पी० ए० सी० व पुलिस के डी० आई० जी०, सब-इंस्पेक्टर, हेड कान्सटेबिल आदि अधिक से अधिक कितने दिनों तक एक स्थान पर नियुक्त रह सकते हैं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—पुलिस के गजेटड अफसर, सब इंस्पेक्टर तथा हेड कान्सटेबिल एक जिले में क्रमशः तीन, छः तथा दस वर्ष तक रह सकते हैं किन्तु तराई भागों में सब इंस्पेक्टर, हेड कान्सटेबिल तथा कान्सटेबिल केवल ५ वर्ष तक ही एक जिले में रह सकते हैं। पी० ए० सी० के बारे में कोई अलग से नियम नहीं है। इन्हीं नियमों को पी० ए० सी० के भी कर्मचारियों पर लागू किया जाता है।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उन्होंने अपने उत्तर में जो ३, ६ और १० वर्ष तक एक स्थान पर रहने की बात बतलायी, उससे मुराद क्या है। यह स्पष्ट नहीं हुआ कि कौन कितने वर्ष तक एक स्थान पर रह सकता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं तो समझता हूं कि बिलकुल स्पष्ट है कि चाहे डी० आई० जी० हों या जो भी गजटेड आफिसर हों, वे ३ वर्ष तक एक स्थान पर रह सकते हैं। सब-इंस्पेक्टर के लिए ६ वर्ष और हेड कांसटेबिल के लिये १० वर्ष लिखा गया है।

श्री राजनारायण—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो पब्लिक प्रोसीक्यूटिंग आफिसर होते ह वे भी पुलिस कोड के अन्तर्गत आते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस वक्त तो मुझे इसकी सूचना नहीं है।

श्री राजनारायण—क्या सरकार इस बात को जानती है कि वाराणसी जिले में आठ-आठ, नौ-नौ और दस-दस वर्ष से पब्लिक प्रोसीक्यूटिंग आफिसर अब तक विद्यमान हैं और उनके एक ही जगह पर ६, ७, ८ वर्ष तक रह जाने से अनेक प्रकार की शिकायतें हैं ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न पी० ए० सी० व पुलिस के डी० आई० जी०, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबिल के सम्बन्ध में था, फिर इसमें आपने पब्लिक प्रोसीक्यूटिंग आफिसर को कैसे जोड़ दिया ?

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैंने तो यह पूछा था कि क्या सरकार यह जानती है कि केवल एक अधिकारी के कारण ही विलम्ब हो रहा है और यह नियम लागू नहीं हो रहा है, तो इसको अस्वीकृत लिख कर हमारे पास भेज दिया गया। हमारे एक प्रश्न का कुछ हिस्सा तो ले लिया गया और उसी प्रश्न के कुछ हिस्से को काट कर हमारे पास भेज दिया गया।

श्री अध्यक्ष—अब आपके हृदय की बात को कोई क्या जान सकता है। मैं इसकी इजाजत नहीं देता। आप दूसरा प्रश्न पूछें।

श्री राजनारायण—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि हमारे प्रदेश में मौजूदा आई० जी० के पद पर जो माथुर साहब काम कर रहे हैं वे मूल रूप में आई० जी० नहीं हैं बल्कि आई० जी० कोई दूसरे व्यक्ति हैं जो सेंन्ट्रल गवर्नमेंट में आन स्पेशल ड्यूटी पर गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं नहीं समझ सका कि इस सवाल का मतलब क्या है। मूल रूप को बात तो मैं नहीं जानता लेकिन आजकल जो आई० जी० के पद पर काम कर रहे हैं उनसे सीनियर एक साहब थे जो शायद यहां होते तो आई० जी० होते। वे आजकल सेंन्ट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—यह जानना चाहते हैं कि वर्तमान आई० जी० आफिशिएट कर रहे ?

श्री राजनारायण---वे समझते हैं, शायद उत्तर नहीं देना चाहते हैं। मेरा प्रश्न यह है कि वर्तमान आई० जी० साहब उन साहब को आफिशिएट कर रहे हैं जो कि इस समय सेन्ट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष---इससे क्या मतलब है ?

श्री राजनारायण---कितने साल से उनके स्थान पर वर्तमान आई० जी० आफिशिएट कर रहे हैं और कितने साल से दूसरे व्यक्ति सेन्ट्रल गवर्नमेंट में स्पेशल ड्यूटी पर काम कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष---यह यहां पर कैसे लागू होता है। आपने तो एक स्थान पर रहने के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा था।

श्री राजनारायण---मेरा प्रश्न है, क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि पी० ए० सी० व पुलिस के डी० आई० जी०, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबिल आदि अधिक से अधिक कितने दिनों तक एक स्थान पर नियुक्त रह सकते हैं ?

जो आई० जी० के पद पर काम कर रहे हैं वह कितने दिनों से .....

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, गलत है, आप स्थान का अर्थ 'पोस्ट' कर रहे हैं, यहां स्थान से मतलब था एक प्लेस का, यानी बनारस में कितने साल से हैं या फलां जगह कितने साल से हैं, इस का अर्थ यह नहीं होता कि किसी पोस्ट पर कितने साल से हैं।

श्री राजनारायण---मेरा मतलब दोनों से है, प्रश्नकर्ता का आशय ही लेना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---लेकिन अक्ल से भी तो बात समझनी चाहिये।

*५०---**श्री ऊदल**---[३ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

घोसी औद्योगिक शिक्षण केन्द्र के सामान का विक्रय

*५१---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि घोसी, जिला आजमगढ़ के औद्योगिक शिक्षण केन्द्र के बने हुये कौन-कौन समान विक्रय किये जाते हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---घोसी, जिला आजमगढ़ के औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों में मुख्यतः स्थानीय उपयोग को, एवं विभिन्न सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थाओं की आवश्यकताओं के सामान बनाये जाते हैं जो कि प्रायः मांग के अनुसार बनते हैं। चर्मकला केन्द्र में दैनिक उपयोग के जूते, चप्पल आदि बनाये जाते हैं, तथा सिलाई केन्द्र में इसी प्रकार के वस्त्र सिले जाते हैं। आर्डर के समान को छोड़कर शेष सामान विक्री के लिये ही बनता है।

*५२---**श्री राम सुन्दर पांडेय**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि ये सामान बाजार भाव के मुकाबिले में मंहगे बिकते हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---केन्द्रों में बनाये गये सामान का मूल्यांकन विभागीय नियमों के अनुसार किया जाता है और सामान की दशा के अनुसार कम से कम दाम पर उपयुक्त विक्रेता से तय किया जाता है। अतः यह कहना कि न केन्द्रों का बना सामान बाजार भाव से मंहगा या सस्ता होता है, ठीक नहीं है।

*५३---**श्री मोतीलाल अवस्थी**---[१८ फरवरी, १९६० के लिये स्थागित किया गया]

भ्रष्टाचार निवारक समितियों के कार्य सम्बन्धी सुझाव

*५४---**श्री मोतीलाल अवस्थी**---क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत ७ नवम्बर, ५९ को भ्रष्टाचार-निवारक समितियों के सभापतियों की कान्फ्रेन्स के विचार परामर्श फलस्वरूप किन-किन सुधारों को कार्यान्वित करने का वह विचार कर रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मुख्य सुझाव निम्नलिखित हैं---

(१) समिति द्वारा भेजी गई भ्रष्टाचार की शिकायतों पर विभागीय अधिकारियों द्वारा शीघ्र कार्यवाही की जाय तथा समिति को जांच का कुछ विवरण दिया जाय।

(२) विभागीय अध्यक्षों द्वारा समिति को भेजी जाने वाली भ्रष्टाचार के मामलों की तिमाही रिपोर्ट समय से प्राप्त हों एवं प्रत्येक मामले का संक्षिप्त विवरण हो।

(३) विभागीय अधिकारी समिति को समुचित सहयोग दें।

(४) समिति का अलग कार्यालय हो तथा लिपिक कार्य के लिए समुचित व्यवस्था की जाय।

(५) समिति के अध्यक्षों का सम्मेलन समय समय पर किया जाय।

(६) प्रादेशिक स्तर पर समिति के अध्यक्षों की समिति बनायी जाय जो समय-समय पर समिति की समस्याओं पर विचार करे।

सुझाव (१) से (३) को स्वीकृत करते हुये इस सम्बन्ध में आदेश जारी किये जा चुके हैं। सुझाव (४) आधार रूप से स्वीकृत हो चुका है किन्तु खर्चे का तखमीना अभी विचाराधीन है। सुझाव (५) और (६) भी स्वीकृत हो चुके हैं और (६) के सम्बन्ध में सदस्यों की मनोनीतता विचाराधीन है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बात पर विचार किया है कि यह जो विभागीय विवरण प्राप्त होने की बात कही गई है, इस में प्रत्येक मामले में क्या क्या कार्यवाही हुई ? क्या इसका भी कोई संक्षिप्त विवरण रहा करेगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस के दूसरे सुझाव में लिखा है कि प्रत्येक मामले का संक्षिप्त विवरण रहे और उसे गवर्नमेंट ने स्वीकार किया है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---मैं जानना चाहता था कि जिन शिकायतों की जांच विभागीय अधिकारी करेंगे उनकी न केवल फाइनल रिपोर्ट आये बल्कि उनकी जांच का क्या क्रम रहा है, इसकी भी क्या कोई संक्षिप्त सूची रहेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जहां तक मैं समझता हूं इसका मतलब वही है जो अवस्थी जी समझे हैं। वह केवल २ शब्दों में फाइनल रिपोर्ट नहीं होती कि फलां कसूरवार पाया गया और फलां बेकसूर पाया गया बल्कि उसमें उसका कुछ विवरण होना चाहिये ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि उस कांफ्रेंस के सुझावों के अनुसार वह जो सुधार करने जा रहे हैं उन के साथ-साथ क्या यह भी सुधार सरकार करेगी कि भ्रष्टाचार निवारक समिति के जो सदस्य स्वयं भ्रष्टाचार के आरोप लगायें जांच के समय, उन्हें उपस्थित रहना चाहिये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अगर वह मौजूद रहेंगे तो उस में शायद दिक्कत यह होगी कि आगे उन्हें अदालत में पेश होना पड़े, यही कानूनी दिक्कत होगी ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---इस सम्बन्ध में नम्बर ४ में जो कहा है उसके अनुसार मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक जिले में एक कार्यालय और एक लिपिक की बात सरकार ने स्वीकार कर ली है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां ।

श्री उग्रसेन---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भ्रष्टाचार निवारक समितियों को सक्रिय बनाने के लिये उनके विधान में आमूल परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव कान्फ्रेंस ने पास किया ?

श्री अध्यक्ष---यह तो उन सुझावों में आया नहीं है ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---इन भ्रष्टाचार निवारक समितियों के अधिकार क्षेत्र के अन्दर गजटेड आफिसरों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को देखा जा सके, इस तरह का कोई सुझाव सरकार के सामने है ?

श्री अध्यक्ष---जितने सुझाव हैं वह तो उन्होंने सामने रख दिये । अब उसके बाद नये सुझावों के बारे में प्रश्न की मैं इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री गौरीशंकर राय---क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि गजेटेड आफिसरों के बारे में जांच करने का अधिकार भी इन समितियों को हो ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं ।

अधिकारियों की पोशाक के सम्बन्ध में परिपत्र

*५५---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या अभी हाल ही में उच्च न्यायालय प्रयाग की राय से प्रादेशिक सरकार ने अधिकारियों की पोशाक के सम्बन्ध में कोई आदेश जारी किया है ? यदि हां, तो क्या वह उस आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां ।

सम्बन्धित सरकारी परिपत्र की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

इस परिपत्र में दिनांक १९ अप्रैल, १९५४ के जिस सरकारी परिपत्र का जिक्र किया गया है उसकी भी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ९०९-९१४ पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार बतायेगी कि इस आदेश को जारी करने की क्या आवश्यकता पड़ी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मुझे तो ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य जानते हैं । उन्होंने प्रश्न ही में लिखा है । जो जानते हैं उसका मैं क्या उत्तर दूं ?

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या यह सही है कि १९ अप्रैल, १९५४ को जो आदेश सरकार द्वारा प्रसारित किया गया उस आदेश की पाबन्दी अभी तक अदालतों में नहीं होती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जहां तक हम लोग देख पाते हैं, कोशिश यही करते हैं कि पाबन्दी हो ।

श्री शिवप्रसाद नागर---जिस पोशाक के बारे में आदेश जारी किये गये हैं उस पोशाक की बनावट किसी विशेष प्रकार की होगी या खद्दर की होगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---न उसमें खद्दर की बात है और न बे-खद्दर की बात है । जैसी पोशाक आमतौर से भलेमानुस पहना करते हैं वैसी ही है ।

प्रादेशिक सेवाओं की प्रतियोगिता में सम्मिलित होने के लिये प्रतिबन्ध

*५६---श्री श्यामलाल (जिला मथुरा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश असैनिक (अधिशासी) सेवा, उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा, उत्तर प्रदेश वित्त तथा लेखा सेवा अधिकारियों की सेवाओं के चुनाव में अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिये उक्त चुनाव परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिये जब तक कि उनकी आयु तीस वर्ष न हो जावे सम्मिलित हो सकते थे, लेकिन क्या सरकार ने अब चार बार सम्मिलित होने का प्रतिबन्ध लगा दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां । प्रादेशिक सेवाओं की सम्मिलित प्रतियोगिता में सम्मिलित होने के लिये यह प्रतिबन्ध सभी अभ्यर्थियों पर लागू हैं । यह प्रतिबन्ध अनुभव के आधार पर लगाया गया है जब कि यह निश्चित पाया गया कि इस परीक्षा में बार-बार सम्मिलित होने से अभ्यर्थियों के समय और धन का अपव्यय होता है ।

श्री श्याम लाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह अनुसूचित तथा पिछड़ी जातियों के अभ्यर्थियों को बार-बार सम्मिलित होने की विशेष छट देने पर विचार करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जहां तक अनुसूचित जातियों की बात है उम्र वगैरह की जो रियायत है वह मौजूद है । लेकिन यह देखा गया है कि जो आदमी चार, चार बार फेल हो गया है उसमें काम करने की विशेष क्षमता नहीं होती और वह इसी आशा में कि नौकरी मिल जाय, अपना समय खराब करता है । उसको चाहिये कि कोई दूसरा काम करे और जनता के काम के लायक वह इतनी बार फेल हो जाने के बाद नहीं रहता ।

*५७—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—[१८ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

*५८—कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)—[३ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

इन्सपेक्टर तेलघानी उद्योग, झींझक के विरुद्ध शिकायत

*५९—श्री उग्रसेन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या झींझक तेलघानी सहकारी समिति लिमिटेड, जिला कानपुर से कोई प्रार्थना-पत्र जिलाधीश कानपुर एवं जिला उद्योग अधिकारी, कानपुर के पास नवम्बर, १९५९ में इस आशय का आया है कि वहां पर २७ मेम्बरों ने ५०० रुपया जमा किया और इंस्पेक्टर तेलघानी उद्योग ने १२ व्यक्तियों का नाम लिस्ट से काटकर वह हिस्सा १५ व्यक्तियों में बांट कर १२ का हिस्सा वापस नहीं किया ? यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—(क) जी हां ।

(ख) जांच अभी जारी है ।

श्री उग्रसेन—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उनके पास स्पष्ट इस बात की शिकायत आयी है कि इन्सपेक्टर तेलघानी (उद्योग) ने अवैधानिक कार्य किया जिसके लिये वह जिम्मेदार है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जब तक जांच न हो जाय तब तक किसी को कैसे कहा जाय ।

श्री उग्रसेन—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह जांच कब तक जारी रहेगी और कब पूरी हो जायगी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—हम तो जल्दी खत्म करना चाहते हैं।

*६०-६१ श्री ऊदल—[३ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

*६२-६४—श्री बालकराम (जिला शाहजहांपुर)—[३ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

लक्ष्मी चीनी मिल, हरदोई द्वारा गन्ने की खरीद तथा राज्य की चीनी मिलों पर गन्ने के मूल्य व सेस का बकाया

*६५—श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)—क्या सरकार यह बातने की कृपा करेगी कि लक्ष्मी शुगर एँड आयल मिल लिमिटेड,हरदोई इस वर्ष कितने रोड सेन्टर से गन्ना खरीद रही है? क्या सरकार उनका नाम फैक्टरी से उनका फासला तथा कितना पैसा किराया का कास्तकारों से काटा जाता है बताने की कृपा करेगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—वर्तमान सीजन में लक्ष्मी शुगर मिल, हरदोई ८ रोड सेन्टर्स से गन्ना खरीद रही है। निर्दिष्ट रोड सेन्टर्स के विषय में अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-पत्र 'क' में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ९१५ पर)

*६६—श्री मोहनलाल वर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में कितनी तथा कौन-कौन सी शुगर फैक्टरी हैं जिन्होंने किसानों की गन्ने की कीमत १९५८–५९ की अभी तक भुगतान नहीं की है तथा ऐसी कौन-कौन मिल्स है जिन्होंने cess का भुगतान नहीं किया है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—१ जनवरी, १९६० को इस प्रदेश की जिन चीनी मिलों पर १९५८–५९ सीजन के गन्ने की जितनी कीमत बकाया है तथा निर्दिष्ट तारीख को इस प्रदेश की जिन चीनी मिलों पर सेस की जितनी रकम बकाया है उनका विवरण क्रमशः संलग्न पत्र "ख" व "ग" में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ९१६–९१८ पर)

श्री मोहनलाल वर्मा—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि किराये की कटौती किस आधार पर की जा रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—केन्द्रीय सरकार ने जो रेट निर्दिष्ट किये हैं उनके आधार पर।

श्री मोहनलाल वर्मा—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि १६ मील पर १९ नया पैसा की कटौती की गई, २० मील पर उतनी ही, ३० पर भी उतनी ही, लेकिन १५ मील पर २० नया पैसा कटौती की गई, इसका क्या आधार है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इसकी मैं जांच करूंगा कि क्या कारण है।

श्री मोहनलाल वर्मा—४,६७,००० रुपया किसानों का गन्ने का बकाया है। क्या सरकार बतायेगी कि रिजर्वेशन कमेटी के समय मिल मालिकों से यह कहा गया था कि अगर वह रुपया १ सप्ताह में किसानों को नहीं दे देंगे तो उन्हे गन्ना अलाट नहीं किया जायगा लेकिन उसके बावजूद भी रुपया बकाया रहने पर गन्ना अलाट किया गया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मान्यवर, यह बात सही नहीं है कि यह कहागया हो कि जो गन्ने का पूरा दाम नहीं दे देंगे उनको गन्ना बिल्कुल नहीं मिलेगा। यह जरूर कहा गया कि जो पैसे देने में कोताही करेंगे उनको गन्ना देते वक्त देखा जायगा कि कितना गन्ना दिया जाय। उसका बड़ा अच्छा असर हुआ और काफी रूपया केन सेस और गन्ने के दाम का वसूल हुआ। जहां तक इस रुपया का सवाल है जिसका जिक्र माननीय सदस्य ने किया इसके रिकवरी सर्टिफिकेट जारी हो गये हैं और रुपया वसूली में है।

नोट—तारांकित प्रश्न ६६ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

*६७–६८—श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)—[३ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

*६९–७०—श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—[१८ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

*७१–७२—श्री गयाप्रसाद (जिला प्रतापगढ़)—[३ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

*७३–७४—श्री गौरीशंकर राय—[३ मार्च, १९६० के लिये प्रश्न ५४–५५ के अन्तर्गत स्थगित किये गये ।]

*७५—श्री गौरीशंकर राय—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि नियोजन विभाग में सहायक विकास अधिकारियों की प्रांतीय एवं क्षेत्रीय (डिवीजनल) स्तर पर ज्येष्ठता सूची बनी है या नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं।

*७६— श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)—[३ मार्च, १९६० के प्रश्न ५३ के अन्तर्गत स्थगित किया गया।]

*७७—श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर)—[३ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

*७८—श्री कोतवालसिंह भदौरिया—[१७ फरवरी, १९६० के प्रश्न ५२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*७९—श्री कोतवालसिंह भदौरिया—[३ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

*८०—श्री जोखई (जिला इलाहाबाद)—[१८ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

विदेशियों की मूर्तियों के स्थान पर राष्ट्रीय नेताओं की मूर्तियां स्थापित करने की प्रार्थना

*८१—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि क्या प्रदेश में अंग्रेजी शासनकाल की जो मूर्तियां हटाई गई थीं उन स्थानों पर वह राष्ट्रीय नेताओं की मूर्तियां बैठाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कहां कहां ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अभी तक इस प्रकार की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*८२–८३—श्री श्रीनाथ (जिला आजमगढ़)—[३ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

झांसी के जिला मैजिस्ट्रेट

*८४—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् ५५ से अभी तक ५ वर्ष के बीच में झांसी में कितने जिला मैजिस्ट्रेट भेजे गये और उनके तबादले कितने कितने दिनों में कर दिये गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है और सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ट ९१९–९२० पर)

*८५--श्री जंगबहादुरवर्मा (जिला बाराबंकी)---[२६ फरवरी, १९६० के प्रश्न ८३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

उद्योग विभाग के लिये स्वीकृत मैनुअल न होना

*८६---श्री मदन पांडेय---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उद्योग विभाग के लिये सरकार से स्वीकृति प्राप्त मैनुअल है ? यदि हां, तो क्या सरकार स्वीकृति प्राप्त मैनुअल की एक प्रति सदन की मेज पर रखेगी ? यदि नहीं, तो किन कारणों से ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---उद्योग विभाग के लिये सरकार से स्वीकृति प्राप्त मैनुअल अभी नहीं है। सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त मैनुअल के बनाने का विषय शासन के विचाराधीन है और इस विषय में प्रारम्भिक कार्य आरम्भ कर दिया गया है।

गन्ना हड़ताल का उत्पादन पर प्रभाव

*८७---श्री अमरनाथ---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के गन्ना किसानों ने गन्ने का दाम बढ़ाने के लिये १५ दिसम्बर, १९५९ से जो गन्ना हड़ताल की थी, उसमें कौन-कौन चीनी मिलें कितने समय बन्द रहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---१५ दिसम्बर, १९५९ से गन्ना आन्दोलन के कारण इस प्रदेश में जो चीनी मिलें जितने समय के लिये बन्द रहीं उसका विवरण संलग्न पत्र 'क' में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ ९२१ पर)

*८८---श्री अमरनाथ---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश की अलग-अलग चीनी मिलें १५ दिसम्बर, १९५९ से पहले चालू सीजन में प्रतिदिन किस हिसाब से गन्ना पेरती थीं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---वांछित सूचना संलग्न पत्र 'ख' में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ ९२२-९२३ पर)

*८९-९१---श्री भजनलाल (जिला इटावा)---[१८ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*९२---श्री जंगबहादुर वर्मा---[३ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

*९३---श्री गौरीराम गुप्त---[३ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

यू० पी० फैक्ट्रीज वेलफेयर आफिसर्स रूल्स के प्रवर्तन के अन्तर्गत फैक्टरियां

*९४---श्रीमती राजेन्द्र किशोरी---क्या मुख्य मंत्री प्रदेश के ऐसे कारखानों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे जिनमें ३१-१२-५९ को U. P. Factories Welfare Officers' Rules, 1955 के अन्तर्गत Grade III के Welfare Officer रखा जाना अनिवार्य था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सूची 'क' मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ण' आगे पृष्ठ ९२४-९२५ पर)

*९५---श्रीमती राजेन्द्र किशोरी---क्या सरकार प्रदेश के ऐसे कारखानों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी जिनमें ३१-१२-५९ को U.P Factories Welfare Officers' Rules, 1955 के अन्तर्गत Grade III के Welfare Officer नहीं नियुक्त थे जब कि Rules के मुताबिक इनकी नियुक्ति अनिवार्य थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सूची 'ख' मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'त' आगे पृष्ठ ९२६ पर)

श्रम विभाग से सहायता पाने वाली ट्रेड यूनियन्स

*९६—श्रीमती राजेन्द्र किशोरी—क्या सरकार प्रदेश में वर्ष १९५८-५९ में प्रथक-प्रथक श्रम विभाग द्वारा श्रम कल्याण तथा तत्सम्बधी श्रमोत्थान कार्यों हेतु दी जाने वाली आर्थिक सहायता पाने वाली Trade Unions के नाम उनके द्वारा प्राप्त रकम किस-किस अखिल भारतीय मजदूर संघटन महासंघ (All-India Federation) से वे affiliated थीं, का पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—वर्ष १९५८-५९ में जिन यूनियनों को सहायता दी गई उनक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। वर्ष १९५९-६० में दी जाने वाली सहायता, अभी सरकार के विचाराधीन है।

(देखिये नत्थी 'थ' आगे पृष्ठ ९२७ पर)

*९७-९८—श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—[३ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*९९-१००—श्री शिवप्रसाद नागर—[३ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*१०१-१०२—श्री गंगाप्रसाद—[३ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये]

भ्रष्टाचार निरोध समितियों को आदेश

*१०३—श्री हरकेश बहादुर (जिला प्रतापगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नवम्बर, १९५९ में कोई बैठक जिला भ्रष्टाचार निरोध समितियों के अध्यक्षों की लखनऊ में कराई गयी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार ने कोई नये आदेश इस बैठक के पश्चात् भ्रष्टाचार निरोध समिति के सम्बन्ध में दिये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां। आदेश की एक† प्रति सदस्य की मेज पर रख दी गई है।

*१०४-१०५—श्री हरकेश बहादुर—[३ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*१०६-१०८—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—[१८ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

अतारांकित प्रश्न

१-२—श्री गोपीकृष्ण आजाद (जिला बांदा)—[३ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

गन्नौर-सहसवान तहसील में गन्ने की खरीद का प्रबन्ध करने की प्रार्थना

३—श्री उल्फत सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं में जो गन्ना की पैदावार होती है उसकी तहसील गन्नौर-सहसवान में कोई खरीद नहीं होती है? इसका सरकार ने क्या प्रबन्ध किया ? यदि नहीं तो कब तक करेगी ?

---

† प्रति छापी नहीं गई।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—वर्तमान सीजन में जिला बदायूं की तहसील सहसवान में के ६१ गांव न्योली चीनी मिल को गन्ना सप्लाई करने के लिये कछला तथा उझानी क्षेत्रों में लगे हुये हैं। तहसील गुन्नौर का गन्ना अत्यधिक दूरी एवं यातायात के साधन न होने से न्योली चीनी मिल या किसी अन्य चीनी मिल को सप्लाई किया जाना सम्भव नहीं है।

राजकीय उद्योगों के सम्बन्ध में जानकारी

४—श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या मुख्य मंत्री राज्य सरकार द्वारा चलाये जाने वाले उद्योगों के सम्बन्ध में कृपा कर बतायेंगे कि (क) राज्य सरकार द्वारा कुल कितने उद्योग धंधे चलाये जा रहे हैं? (ख) यह उद्योग धंधे किन किन नगरों में चल रहे हैं? (ग) इन उद्योग में कितनी पूंजी लगी हुई है? (घ) इनमें कितने श्रमिक कार्य कर रहे हैं? (ङ) क्या इन श्रमिकों में स्त्रियां और बच्चे भी कार्य कर रहे हैं? यदि हां, तो कहां कहां? (च) स्त्रियों तथा बच्चों को कौन कौन सी सुविधायें राज्यकी ओर से दी गई हैं? (छ) इन उद्योग धंधों श्रमिकों की भर्ती कैसे होती है? (ज) क्या इन उद्योगों में श्रमिक संघ हैं? यदि हां, तो उन्होंने श्रमिकों के लिये कौन-कौन से भलाई के काम किये हैं? (झ) सन् १९५६-५७ से अब तक इन उद्योग धंधों की प्रगति की क्या दशा है?

५—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य द्वारा संचालित उद्योग धंधों में कार्य करने वाले श्रमिकों को व्यक्तिगत संचालित उद्योगों में कार्य करने वाले श्रमिकों की अपेक्षा कौन सी सुविधायें दी जा रही हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—राजकीय सीमेन्ट फैक्टरी चुर्क तथा राजकीय सूक्ष्म यंत्र फैक्टरी, लखनऊ के संबन्ध में वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

६—श्री जंगबहादुर वर्मा—[३ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

यू० पी० सिविल तथा जुडिशियल सर्विस में अनुसूचित जाति के लोग

७—श्री अमरनाथ—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि P. C. S. अधिकारियों में कितने डिप्टी कलेक्टर और कितने Judicial अफसर अनुसूचित जाति के हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यू० पी० सिविल सर्विस (इक्जीक्यूटिव ब्रान्च) और यू० पी० जूडिशियल आफिसर्स सर्विस में ४४ और १ अफसर क्रमशः अनुसूचित जाति के हैं।

तहसील सादाबाद, जिला मथुरा में बलपूर्वक लगान की वसूली आदि के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—कामरोको प्रस्ताव तो मैंने स्वीकार नहीं किये, दो मेरे पास थे। लेकिन नियम ५२ के अनुसार एक प्रस्ताव श्री टीकाराम पुजारी का है और वह विषय मैं समझता हूं कि राजस्व विभाग से सम्बन्धित है, क्योंकि वह यह कहते हैं कि चार साल से बराबर यह अवस्था चल रही है और इस साल भी यह परिस्थिति है पलेवा के सम्बन्ध में। तो मैं चाहता हूं कि मन्त्री जी इसके बारे में कोई वक्तव्य दें क्योंकि बार बार पुजारी जी जिक्र कर चुके हैं। आज वक्तव्य न देना चाहें तो किसी और दिन दें।

राजस्व उप-मन्त्री (श्री महावीरप्रसाद शुक्ल)—सूचना प्राप्त की जा रही है। दो, तीन राज का समय लगेगा।

भेलामऊ, थाना सचेंडी, जिला कानपुर में पुलिस द्वारा कथित अत्याचार के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत गृह मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष---श्री मोतीलाल अवस्थी द्वारा जिला कानपुर के अन्तर्गत सचेंडी में पुलिस द्वारा लोगों को मारने पीटने के सम्बन्ध में जो प्रश्न उठा था और गृह मन्त्री ने जो वक्तव्य देने को कहा था वे कृपा करके अब अपना वक्तव्य दें।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर)---सीतापुर जिले में महोली शूगर फैक्टरी में पुलिस द्वारा लाठी चार्ज के सम्बन्ध में परसों आपने फरमाया था...

श्री अध्यक्ष---वह आज नहीं लिया जायगा।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा---लाठी चार्ज निहत्थे आदमियों पर हो और वह प्रश्न महत्व का न हो, श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष---कल आप दे दीजियेगा।

***गृह मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)**---सचेंडी के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट मैंने मंगायी है कानपुर से वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की उस के आधार पर जो सूचना प्राप्त हुई है वह निवेदन कर दूं। इस से पहिले कि मैं कुछ निवेदन करूं इतनी और सूचना दे देना चाहता हूं कि इस मामले के सम्बन्ध में कलेक्टर के कथनानुसार गांव वालों ने अदालत में एक मुकदमा दायर कर दिया है अंडर सेक्शन ४३७, १४७, १०९, ३९५ आई० पी० सी०। यह केस ए० डी० एम० सिटी के सामने दाखिल हो चुका है और इस तरह से सबजूडिस हो जाता है। इसके बाद यदि आप की आज्ञा हो तो जो सूचना मुझे प्राप्त हुई है, वह दे दूं।

श्री अध्यक्ष---इस में अब सरकार की तरफ से सूचना नहीं होनी चाहिए। अगर केस पेंडिंग है तो जो उन्होंने केस दायर किया है वह सूचना अगर आप के पास हो कि उन्होंने क्या चार्ज किया है तो उस की सूचना आप दे सकते हैं। लेकिन पुलिस की तरफ से क्या केस है, इन्क्वायरी होने पर उस को आप सूचना न दें क्योंकि मुकदमे के ऊपर असर पड़ेगा। वह मुकदमा कुछ लोगों ने दायर कर दिया है, तो उन्होंने फैक्ट्स दिये होंगे, वे फैक्ट्स आपको मालूम हों तो आप दे सकते हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी---उन के इस्तगासे की कोई नकल मेरे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष---लेकिन जिलाधीश ने आप को बतलाया होगा कि क्या क्या उन्होंने चार्ज लगाये हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी---जिलाधीश ने जो लिखा है वह मैं पढ़ देना चाहता हूं उनकी रिपोर्ट से---

"It may here be worthwhile to mention that the accused persons of the two criminal cases have since filed a complaint case under sections 437/147/109/395, I. P. C. against the S. Os. in police station Sachendi and a few others in the district court. The matter is now *sub judicc* and is awaiting decision of the court."

श्री अध्यक्ष---तो इन दफाओं में मुकदमा चल रहा है?

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---मैंने आपके सामने १-१-६० को यह घटना पेश की है। तो उस के मुताबिक आप एक्शन कर रहे हैं?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष---मैं प्रश्न पूछना एलाऊ करूंगा लेकिन इस शर्त पर कि मुकदमा दायर है, ऐसी सूरत में अधिक नहीं पूछ सकते क्योंकि वह सूचना और वक्तव्य नहीं दे सकते। कोई अगर जानकारी मुकदमे के बारे में आप हासिल करना चाहें तो किस स्टेज पर है, क्या है, वह पूछ सकते हैं। लेकिन उस घटना के बारे में और उस के ब्योरे को आप नहीं पूछ सकते।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस १-१-६० की घटना के फलस्वरूप जो सी० ओ० साहब मौके पर गये और जांच की, उसका सरकार के पास क्या परिणाम पहुंचा ?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने यह मुकदमा दायर किया है उन के लिए खतरनाक चीज होगी कि मंत्री जी इसका जवाब दें। उन के मुकदमे के ऊपर इसका असर पड़ेगा, अगर सी० ओ० की जांच का परिणाम यहां बताया जाय।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---यह मुकदमा किस तारीख को ए० डी० एम० (सिटी) के यहां दाखिल किया गया और अब तक इसमें दफा २०२ का सबूत हुआ या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इस विषय में तो मेरे पास सूचना नहीं है। कलेक्टर की जो चिट्ठी है यह १० फरवरी को लिखी हुई है। इसके पहले ही वह दाखिल हो गया होगा।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---जो घटना हुई है और उस घटना के बाद जो दावा दायर किया गया है उस इस्तगासे में दावेदार ने क्या क्या चार्जेज लगाये हैं पुलिस वालों के ऊपर, यह माननीय मन्त्रीजी बताने की कृपा करेंगे ? अगर हिन्दी में दायर हुआ हो तो उसकी प्रतिलिपि पढ़ने की कृपा करें और यदि अंग्रेजी में दायर हुआ हो तो उसका हिन्दी अनुवाद करके बताने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष---मैंने तो पहले ही कहा था कि जो उन्होंने दावा दायर किया है, उस के इस्तगासे की नकल यदि हो तो सुना दें या कम से कम चार्जेज ही बता दें, मगर उन के पास शायद नहीं है। उन के पास जो रिपोर्ट डी० एम० की आयी है उस को उन्होंने पढ़ कर सुना दिया।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि जो इस्तागासा दायर हुआ जिस कोदफा २०२ में सबूत लेनी बाकी है वह सूचना कब तक प्राप्त हो जायगी, जो वे हाउस को उसे दे सकें ?

श्री अध्यक्ष---यह फैक्ट भी है या नहीं ?

श्री मोतीलाल अवस्थी---यह तो उन्होंने स्वयं कहा है।

श्री अध्यक्ष---तो आप स्पष्ट प्रश्न पूछिये।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि दफा २०२ के अनुसार सबूत लिया जा रहा है या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---यह तो पता लगाना पड़ेगा, मान्यवर।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---इस घटना के सम्बन्ध में सरकार जिस में मुद्दई हो और उस गांव के कुछ दूसरे व्यक्तियों पर मुकदमा चल रहा हो,क्या कोई ऐसा भी मुकदमा चल रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इस घटना के बारे में जिस तारीख का जिक्र है उस के बहुत पहले ही दो क्रिमिनल केसेज के सिलसिले में दारोगा जी गये हुये थे। सरकार किसी में मुद्दई नहीं है। एक तो अदालत में चल रहा है और एक कम्प्लेन्ट पहले से दायर थी और अब दूसरे फरीक ने यह कम्प्लेन्ट दायर कर दी है इस घटना के सम्बन्ध में, जिसका जिक्र माननीय अवस्थी के नियम ५२ के अन्तर्गत दिये हुये नोटिस में है।

श्री देवनारायण भारतीय—मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। मेरा प्रश्न यह था और मन्त्री जी ने जो उत्तर दिया वह यह कि इससे पहले के मुकदमे चल रहे थे। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस घटना के सम्बन्ध में जैसे कि लोगों ने मुकदमे दायर किये हैं तो इस सम्बन्ध में कोई मुकद्दमा सरकार की ओर से कुछ लोगों पर चल रहा है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—वह तो उन्होंने कहा कि नहीं चल रहा है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों की तरफ से चल रहा है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, बात यह है कि एक तो मुकदमा सरकार चला सकती है और दूसरे यह कि लोगों की तरफ से दारोगा के ऊपर मुकदमा चल सकता है तो क्या किसी व्यक्ति के ऊपर मुकदमा चलाया गया ?

श्री अध्यक्ष—वह तो कहते हैं कि नहीं चलाया गया।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इस मुकदमे के अलावा जो चार्जेज लगाये गये हैं उसके लिए सरकार ने कोई विशेष प्रयत्न किया है या सी० आई० डी० नियुक्त की है ? जिससे सही बात का पता सरकार को मालूम हो ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस घटना के सम्बन्ध में एक तार एस० एस० पी० कानपुर को मिला था। उस पर उन्होंने डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट पुलिस और उसके बाद रूरल एस० पी० से जांच करायी थी। वह रिपोर्ट है और मैं समझता हूं कि वह सबजूडिस है इसलिए उसको यहां देना मुनासिब नहीं होगा। इसके बाद में दरोगा के ऊपर इन बातों को लेकर जिनका उल्लेख मोतीलाल जी के पत्र में है, दावा दायर कर दिया है पुलिस के ऊपर। जिसके कारण यह घटना हुई वह दो केसेज थे जिस में पुलिस २७ तारीख को गयी थी और यह घटना पहली तारीख की है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि जिस दिन यह घटना घटी तो पुलिस ने लौटकर मजाहमत वगैरह का कोई मुकद्दमा नहीं चलाया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, फिर तो घटना का जिक्र करना होगा।

श्री अध्यक्ष—सिर्फ इतना पूछा है कि कोई मुकदमा चला।

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस मामले में चला कि एक आदमी ने यह रिपोर्ट लिखायी कि फलां लोगों ने हमारी स्त्री को छीन लिया है और मारपीट की है। इस सिलसिले में पुलिस गयी थी और उसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था।

श्री अध्यक्ष—यह भिन्न प्रश्न है। अब मैं आगे चलता हूं।

श्री राजनारायण द्वारा जानकारी की मांग

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन् मैं व्यवस्था चाहता हूं। निवेदन यह है कि जिस समय सदन उठ रहा था उस दिन कुछ प्रश्न थे जिनके सम्बन्ध में आपने कहा था कि जांच में विलम्ब लगेगा और जांच होने के बाद सदन को सूचना दी जायगी। जैसा मेरा स्पष्ट प्रश्न था इलाहाबाद युनिवर्सिटी के सम्बन्ध में कि कैसे कहा कि बद्रीविशाल वहां के छात्र नहीं थे तो आपने कहा था कि इस पर जांच होगी। तो क्या वह खत्म हो गयी या उनकी चर्चा होगी।

श्री अध्यक्ष—मतलब यह है कि आप लिखकर भेज दें, मैं देख लूंगा। तत्काल मैं जवाब नहीं दे सकता।

श्री राजनारायण---भीमन्, इसी तरह का श्री उग्रसेन जी का ...

श्री अध्यक्ष---मैं कहता हूं कि मैं देख लूंगा। अगर यह चीज होगी, तो उसका जवाब देंगे।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि अगर आपका कार्यालय बता दिया करे...

श्री अध्यक्ष---जी हां, मैं कार्यालय को भी आदेश दे दूंगा।

शनिवारों को विधान सभा की बैठक करने के सम्बन्ध में संकल्प (क्रमागत*)

श्री अध्यक्ष---अब माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रस्ताव के ऊपर विवाद होगा। इसके बारे में मैं मुख्य सचेतक से यह जानना चाहता हूं कि इस संबंध में क्या कुछ बातचीत हुई है?

संसदीय विषयक उप-मंत्री (श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट)---मान्यवर, इस पर काफी बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई नतीजा हासिल नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष---तो फिर मुख्य मन्त्री जी के प्रस्ताव पर विवाद जारी होगा।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मन्त्री से निवेदन करूंगा कि जो शनिवार लेने की बात है, उस को कृपा करके वापस ले लें। इसलिए कि यह शनिवार लेना तो एक अपवादस्वरूप हुआ करता है, लेकिन अब यह नियम बनता जा रहा है। उन्होंने फरमाया कि एक यहां परम्परा बन गयी है, लेकिन मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से बड़े नम्र शब्दों में अर्ज करूंगा कि यह परम्परा नहीं है। यहां को कम से कम ऐसी परम्परा नहीं है। वह कोई परम्परा नहीं होती जिसमें कि सारे का सारा विरोधी दल विरोध करता रहे और हमेशा विरोध करता रहे, हां, अलबत्ता यह दूसरी बात है कि वह नहीं मानें हमारी रिक्वेस्ट को, तो बहुमत उनका है ही, वह प्रस्ताव पास करा सकते हैं। लेकिन इस में कोई मजा नहीं कि रोज हम प्रोटेस्ट करते रहें, विरोध करते रहें, जम्हूरियत का तो यह उसूल है कि सब काम डिसकशन से होता है, सारे काम केवल बहुमत के आधार पर करना तो प्रजातंत्र नहीं कहा जा सकता। तो इस तरह से यह एक गलत पद्धति पड़ेगी। बाकी बातें सब नारायणदत्त जी ने कह दी हैं। इतना मैं और उस में जोड़ देना चाहता हूं कि यह शनिवार केवल इसलिए नहीं है कि उस दिन हमारा आफ डे रहे और हम आराम करें बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर और भी है, विधान बनाने की। उस के लिए हमें कुछ अध्ययन करना होता है, किताबें ढूंढनी पड़ती हैं, लिटरेचर छांटना पड़ता है और हमारी तो बदकिस्मती है, श्रीमन् कि जो कुछ थोड़ा बहुत हम पढ़ना चाहते हैं उसका लिटरेचर ही मुहैया नहीं होता जैसे कि उत्तर प्रदेश रिकार्ड्स आफ ड्यूज वाला बिल है उस के लिए लिटरेचर हम ढूंढते हैं तो कुछ भी नहीं मिलता। मैं टेबिल पर भी गया और कहा कि रामपुर के बारे में जो कुछ लिटरेचर हो वह दे दिया जाय। क्योंकि श्रीमन्, हम नहीं चाहते कि सरकार की हर बात का विरोध करें, लेकिन उसकी जानकारी भी तो हमको हो, तो यह शनिवार इन बातों के लिए बड़ा उपयुक्त होता है। नहीं तो दिन भर यहां काम किया, दिमाग का काम किया, शाम को दिमाग थका रहता है, कुछ रेस्ट चाहिए। लेकिन मैं तो उनमें से हूं कि जो रेस्ट भी नहीं करते और बहुत से लोग इधर के और उधर के भी ऐसे हैं जो काफी मेहनत फिर भी करते हैं। तो इस तरह से हम रोजमर्रा के कामों को ही कोप नहीं कर पाते।

---

*१० फरवरी, १९६० की कार्यवाही से।

तीसरी बात माननीय मुख्य मंत्री जी ने मजबूरी की कही कि प्लानिंग कमीशन की वजह से बजट बनाने में कुछ देर होती है। श्रीमन्, बिहार ने बजट पेश कर दिया। उनको भी तो उस प्लानिंग कमीशन से डील करना पड़ता है। तो यह चीज भी नहीं है। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी मैं सोचता हूं सब मुख्य मंत्रियों से अधिक प्रतिभाशाली हैं, सबसे बुजुर्ग हैं, सबसे अधिक प्रतिष्ठा उनकी है इस देश के मुख्य मंत्रियों में तो इतना सब होने के बाद भी क्या यह बात कही जा सकती है कि इस वजह से जल्दी बजट नहीं ला सके। यह हम नहीं मान सकते हैं। पांच शनिवार उन्होंने मांगा है। इस तरह से पांच दिन लेना चाहते हैं। आखिरी शनिवार १९ मार्च को मांगा है। उसके बाद २६ पड़ता है, वह नहीं मांगा है। २७ को इतवार होगा। इसके बाद २८, २९ और ३० तीन दिन और छूटे रहेंगे। यानी मेरी अर्ज है कि तीन दिन वह निकल गये। फिर यह मनी बिल है, इसके ऊपर अपर हाउस में जाने का कोई सवाल नहीं है कि इसके सम्बन्ध में कोई उनका सैंक्शन लेना हो। अब रह गया रामपुर वाला बिल, वह पोस्टपोन हो सकता है। सन् १९५८ में रिट बहाल हुआ था। ५४ से चला आ रहा है। तो दो चार महीने में कुछ होने वाला नहीं है। चार, साढ़े चार दिन तो यों निकल गये। तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि इस तरह से इन सब को रखकर हमारी बात रख लें। इससे उनकी इज्जत भी बढ़ जायगी।

(और सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष---इसके ऊपर बहुत लम्बी बहस तो होगी नहीं। एक एक सदस्य मैंने सब पार्टियों के बुलवा दिये।

***मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पुर्णानन्द)**---अध्यक्ष महोदय, मैं तो ऐसा समझता था कि मेरे प्रस्ताव के पेश होने के पहले ही जैसा पुष्ट समर्थन श्री टीकाराम पुजारी ने किया था, उसके बाद मुझको कहने की आवश्यकता नहीं होगी। बहरहाल मैंने देखा कि जो परम्परा शब्द मेरे मुंह से निकला था उसके संबंध में श्री पालीवाल जी ने और श्री नारायणदत्त जी ने कई बारीकियां निकालीं। पालीवाल जी का यह कहना था कि हर साल प्रस्ताव पेश किया जाता है और हर साल सदन उसको मन्जूर करता है। इसलिये इसको परम्परा नहीं कहना चाहिये। ठीक है। यदि मेरा प्रस्ताव पेश हो और उसको सदन मंजूर करके शनिश्चर लेने की बात करता है तो उसको मैं तो एक परम्परा ही कहूंगा। मैं तो यह कहूंगा कि हर साल मैं दरख्वात सदन से करता हूं और यह सदन अपनी उदारता के साथ मेरी उस दरख्वास्त को मंजूर करता है, तो मैं इसको परम्परा ही समझता हूं। इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि २, ४ साल से यह परम्परा रही है और उस परम्परा के अनुसार ही मैंने यह प्रस्ताव किया है। तो इस सदन के अनुरूप ही यह बात होगी यदि सदन इसको स्वीकार करे।

पालीवाल जी जैसे विद्वान से शनि की बात सुनकर मुझे कुछ आश्चर्य हुआ। वह जानते हैं कि शनि की, एक राशि पीछे और एक राशि आगे दृष्टि रहती है। एक राशि पर वह २॥ वर्ष रहता है। तो आगे और पीछे की राशियों को मिलाकर शनि की दृष्टि का असर ७॥ वर्ष तक रहता है। ऐसी बात नहीं कि उसका बुरा ही असर होता हो उसका असर क्रूर ग्रह के साथ बुरा होता है और अच्छे ग्रह के साथ उसका अच्छा असर होता है। अगर अच्छे घर पर वह रहता है तो ७॥ वर्ष तक उसका अच्छा असर पड़ता है। जिस सदन में ऐसे ऐसे विद्वान लोग मौजूद हों उसको किसी प्रकार से भी दुष्ट घर नहीं कहा जा सकता है। तो यहां पर जो उसका असर होगा वह अच्छा ही असर होगा।

अब मैं फिर अपने निवेदन को दोहराता हूं। सचमुच हमारे लिये कोई दिन फालतू मिलता नहीं है। अभी गोविन्दसिंह जी विष्ट ने २८, २९ और ३० तारीख का जिक्र किया। केवल २८ तारीख हमारे पास है। २९ की छुट्टी है और ३० को भी छुट्टी है। तब ईद का त्योहार पड़ता है। इसलिये मजबूरन इधर ही हमको करना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

होगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। २९, ३० को छुट्टी होने से २८ को सदन की बैठक की जाय और उस सदन से भी पास होकर आ जाय तो ३१ तारीख को एप्रोप्रियेशन बिल लाना कठिन होगा। यह बिलकुल सही है कि यह मनी बिल है। मनी बिल के माने यह जरूर हैं कि उसमें वह परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि बिल है तो जहां तक मैं समझता हूं उसको रिजेक्ट करने का अख्तियार है। उसको वापस नहीं कर सकते नहीं तो उसके सामने जाने की सूरत ही पैदा नहीं होती तो ऐसी हालत में यह नहीं है कि उस सदन में जाना नहीं होगा। जाना तो होगा ही, और इस सदन से पास होने के बाद २८ तारीख का एक ही दिन हमारे पास रह जाता है।

एक चीज और है जिसका माननीय पालीवाल जी ने जिक्र किया था कि प्लानिंग कमीशन और केन्द्रीय सरकार पर हमको इतना ज्यादा निर्भर होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। मैं मानता हूं। पदे पदे इसकी वजह से हमको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन मौजूदा परिस्थिति में कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। आप देखें कि हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमारे प्रदेश के विकास के लिये २५३ करोड़ रुपया रखा गया था। इसमें से ११० करोड़ रुपया तो हमारा था और १४३ करोड़ रुपया केन्द्र से मिलने वाला था। आप सोचें इस बात को कि हम इस १४३ करोड़ रुपये को जो केन्द्र से मिलने वाला है, छोड़ नहीं सकते। इस अपने ११० करोड़ रुपये को लेकर हम अपनी विकास योजनायें चलायें पांच साल की, तो समें हम क्या कर सकते हैं? हम उनकी बात अगर न सुनें, प्लानिंग कमीशन से बातचीत न करें, तो यह ठीक है कि कोई कानूनी मजबूरी नहीं है, हम अपने विकास का काम ११० करोड़ रुपये से ही चला सकते हैं। लेकिन क्या मैं ऐसा कर सकता हूं या सरकार ऐसा कर सकती है कि इस प्रदेश को जो १४३ करोड़ रुपया विकास के लिये मिलने वाला है उसको हम न लें? ऐसा हम नहीं कर सकते, गवर्नमेंट नहीं कर सकती और न पालीवाल जी ही ऐसा कर सकते हैं। अगर हमको विकास करना है तो हम इस १४३ करोड़ रुपये को छोड़ नहीं सकते। मोटे तौर पर यह ५० करोड़ रुपये साल की रकम है विकास के लिये, जिसमें २०–२२ करोड़ रुपया हमारा होता है और २८–३० करोड़ रुपया केन्द्र का होता है। यह कहने की हमारी हिम्मत नहीं हो सकती कि साल में हम केवल २०–२२ करोड़ रुपये का ही विकास करेंगे और इन २८–३० करोड़ रुपयों को, जो विकास के लिये केन्द्र से मिलने वाले हैं नहीं लेंगे। अब प्लानिंग कमीशन और केंद्र के सामने भी कई प्रश्न होते हैं। वे सब प्रदेशों का एक ही दिन फैसला नहीं कर सकते। किसी के बारे में निर्णय एक दिन आगे होगा, किसी के बारे में एक दिन पीछे। इस कारण कई प्रदेश अपना बजट दो रोज पहले पेश कर सकते हैं और कई दो, चार दिन बाद।

उसके बाद प्लानिंग कमीशन में भी कई सब कमेटियां हैं। हमारे अफसर वहां जाते हैं और अलग अलग सब कमेटियों में बहस होती है और उनको कई जगह जाना पड़ता है। इसमें काफी समय लग जाता है। उनके सामने भी और दूसरे काम हैं और हमारे सामने भी और इसलिये मजबूरी है। हम प्रदेश के विकास के लिये जो इतना रुपया मिलने वाला है उसे छोड़ नहीं सकते। इस बात का भी हमको लिहाज करना पड़ता है और इस वजह से देर हो जाती है। मजबूरी है और जब तक प्लानिंग की यह सूरत रहेगी तब तक इस तरह की देर होने की हमेशा गुन्जायश है।

एक ही रास्ता हो सकता था वोट आन एकाउन्ट का। वोट आन एकाउन्ट की थ्योरी नारायणदत्त जी ने बतलाई। बड़ी सुन्दर हो सकती है इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन हमें उसका व्यावहारिक रूप देखना पड़ता है। कल मैंने निवेदन किया था कि हम अगर वोट आन एकाउन्ट की बात करें तो उसका नतीजा यह होगा कि बजट का कुछ हिस्सा ऐसा होगा कि जो कहीं जून में या जुलाई में या अगस्त-सितम्बर में पास होगा। जब भी पास हो, लेकिन उसमें कई महीने भी लग सकते हैं। तो जब तक बजट पूरा का पूरा पास नहीं

होगा तब तक वह सब अनिश्चित रूप में रहेगा चाहे वह काम पी० डब्लू० डी० का हो, नहर का हो, एग्रीकल्चर का हो अथवा एजूकेशन का हो। सब अनिश्चित रूप में पड़ा रहेगा और जब तक अनिश्चित रूप रहेगा तब तक खर्च पूरे तौर से नहीं हो सकता और नतीजा यह होगा कि जिस बजट को हम देर में पास करेंगे उसका बहुत सा रुपया अनस्पेंट रह जायगा, खर्च नहीं हो सकेगा और रुपया लैप्स होगा। यह चीज अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने हो तो कोई विशेष दिक्कत की बात नहीं, यही चीज अगर हमारी इंडियन पार्लियामेंट के सामने हो, जो दिल्ली में है, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि वह एक सुप्रीम बाडी हैं। वे अंतिम फैसला करती हैं। जो रुपया उन्होंने मंजूर किया है अगर खर्च नहीं हो सका तो वे उसको अगले साल के लिये दे सकती हैं, लेकिन हमारे सामने यह दिक्कत पड़ती है कि जो रुपया हमको 'लार्निंग कमीशन से मंजूर होता है हमा और उनके बीच बात होने के बाद, अगर उसका कुछ हिस्सा ऐसा रह गया कि जो खर्च नहीं हो सका तो वह रुपया हमको अगले साल के लिये नहीं मिल सकता। उनका कहना यही होता है बराबर कि हम रुपया मंजूर करके क्या करें, आप खर्च कर ही नहीं सकते। अगर यह होता कि हमारा ५० करोड़ का विकास का बजट है और उसमें से ४६ करोड़ रुपया खर्च हो सका, ४ करोड़ रुपया बच गया तो अगर वह अगले साल में जुड़ जाय तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती। वोट आन एकाउन्ट हो जाय, वह रुपया तो अगले साल में जुड़ जायगा और बाद में खर्च हो जायगा, लेकिन होता यह है कि अगले साल का जो बजट बनने वाला होता है उसमें उनकी बहस यह होती है कि हम आपको रुपया मंजूर करके क्या करें। आप जब ५० करोड़ रुपया खर्च नहीं कर सकते तो इस अगले साल के लिये ४६ करोड़ रुपया ही लीजिये और अगर उस ४६ करोड़ रुपये के बजट में भी वोट आन एकाउन्ट हो जाय तो शायद अगले साल में वह रकम ४२ करोड़ ही रह जायगी। तो इसलिये हमारे सामने मजबूरी है। अगर हम सुप्रीम बाड़ी होते, किसी पर निर्भर रहना नहीं होता तो हम चाहे जब खर्चा करते, लेकिन चूंकि यह दिक्कत होती है, इसलिये यह अगर वोट आन एकाउन्ट की बात करेंगे तो विकास का काम रुक जायगा।

शनिवार को लेना हमें कोई अच्छा नहीं लगता। मैं जानता हूं कि शनिवार का बड़ा महत्व होता है। जैसा माननीय गोविन्दसिंह जी ने कहा, अध्ययन करने में सहायता मिलती है। माननीय सदस्यों को, इधर के हों या उधर के, अपनी कांस्टीट्युएंसी में जाने में सुविधा मिलती है। बहरहाल बड़ी आवश्यक चीज है। लेकिन उससे बड़ी आवश्यक चीज है कि प्रदेश में जो विकास का काम है वह न रुक जाय। ५ शनिवारों के लेने के कारण चाहे अध्ययन में कमी हो जाय, अपनी कांस्टीट्युएंसी में जाने में कुछ कमी हो जाय, लेकिन यह जो विकास का काम है यह नहीं रुकना चाहिये। अगर रोका जायगा तो हम महज एक सेंटीमेंट के पीछे, एक शनिवार के नाम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेंगे। जिसके माने यह हो जाते हैं कि हमको प्रदेश की जनता के सामने जवाबदेह होना होगा कि हमने ऐसा काम किया जिससे विकास के काम में बाधा पड़ी। (व्यवधान) ऐसी बातों का मैं जवाब नहीं दे सकता। इसलिये जो मैंने प्रस्ताव रखा है सदन उसे स्वीकार करेगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे इस बात की आज्ञा चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय से एक ऐसी प्रार्थना कर सकूं जिससे समझौते का मार्ग निकल सके और वह सदन को मान्य हो। समझौते का मार्ग न निकल सके तो कम से कम विरोध की कटुता तो दूर हो जाय। आपकी आज्ञा हो तो प्रार्थना करूं।

श्री अध्यक्ष---कहिये।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---मेरी प्रार्थना यह है कि मजबूरन ये ५ दिन लेने पड़ रहे हैं, यह तो एक बात है, लेकिन ज्यादा डर इस बात का है कि जो मुख्य मंत्री महोदय ने कहा कि वह उसे परम्परा बना देना चाहते हैं। मेरा निवेदन यह है कि परम्परा यदि बनाना चाहते है तो नियम को बदल दीजिये, परम्परा नियम में आ जाय, नहीं तो जो प्रक्रिया नियमावली में नियम है कि शनिवार के दिन विधान सभा का कार्य नहीं होगा तो सरकार हमको आश्वासन दे कि वह भविष्य में इस बात का पूरा प्रयत्न करेगी कि जहां तक संभव होगा वह शनिवार आगे नहीं लेंगे।

एक सुझाव मैं दे देना चाहता हूं। इस साल भी सरकार यह कर सकती थी कि बजट सेशन में जिस तारीख से अब लिया है उससे ५-६ दिन पहले विधायी कार्य ले लिया जाता और दूसरी, तीसरी तारीख से शुरू हो जाता। फिर विधायी कार्य के लिये शनिवार लेने की आवश्यकता नहीं होती जो कि सरकारी कर्मचारियों की असावधानीवश या मेहनत की कमी की वजह हुई। तो प्रक्रिया नियमावली न बदलने पर इतना आश्वासन करेंगे तो कम से कम मेरी विरोध की कटुता तो बहुत कम हो जायगी।

श्री अध्यक्ष---मुख्य मंत्री जी कुछ कहेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं इतना ही कहूंगा कि मैंने शनिवार की जो बात कही थी वह बहुत एम्बैरेसमेंट के बाद कही थी। परम्परा की बात तो वैसे ही या मजाक में निकल गयी हो, उस पर आग्रह नहीं है। आश्वासन की बात यह है कि मैं पूरे तौर से आश्वासन दे सकता हूं कि अगर बहुत ही अनिवार्य मुसीबत न आ जाय और मैं अगले साल रहा तो हम शनिवार नहीं लेंगे।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १६ के उपनियम (२) के अनुसार जब तक कि यह सदन अन्यथा निश्चय न करे कि इस सदन का उपवेशन शनिवार को नहीं होता। परन्तु १९६०-६१ के आय-व्ययक सम्बन्धी समस्त वित्तीय कार्यों एवं तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक को ३१ मार्च, १९६० से पहले पारित होने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये यह सदन यह निश्चय करता है कि इस सदन का उपवेशन अपने नियमित समय पर शनिवार दिनांक १३,२० व २७, फरवरी, १९६० तथा ५ और १९ मार्च, १९६० को भी हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ।

पक्ष में---१५४,

विपक्ष में---५७।)

कतिपय विधेयकों पर विचारार्थ कार्यमंत्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित समय से सम्बन्धित संकल्प (क्रमागत*)

श्री अध्यक्ष---अब श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट का जो संकल्प है उसपर मैं मत लूंगा। इसमें पहले मैं संशोधन लिये लेता हूं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह जो विधेयक पर चर्चा हो रही है क्या यह उस पर भी लागू होगा ?

श्री अध्यक्ष---लागू होगा, लेकिन रीजनेबुली लागू होगा। जो रीजनेबुल उसका इन्टरप्रीटेशन होगा वह किया जायेगा।

---

*१० फरवरी, १९६० की कार्यवाही से।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---कल आपने कहा था कि इस पर लागू नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष---कल लागू हो ही नहीं सकता था ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, जब एक घंटे का प्रस्ताव पास हो जायगा तब फिर आगे क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष---मैंने यही कहा था कि उसका रीजनेबुल इन्टरप्रिटेशन करना पड़ेगा । मैं रीजनेबुल इन्टरप्रिटेशन करूंगा ।

श्री राजनारायण---"रीजनेबुल" शब्द भी कन्डीशनल है ।

श्री अध्यक्ष---अब मैं पहले संशोधन पर राय लूंगा ।

प्रश्न यह है कि कार्यमन्त्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित समय निर्धारण को पुनर्विचार के लिये कार्यमन्त्रणा समिति के पास भेजा जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :---

पक्ष में ---६४,

विपक्ष में---१५१ ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि यह सदन---

(१) नार्दर्न इंडिया फेरीज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५९,

(२) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) (अनुपूरक) (संशोधन) विधेयक, १९५९, तथा

(३) उत्तर प्रदेश सरकार को देय धनराशियों की वसूली (अर्जित आस्थान तथा अवसित पट्टा) विधेयक, १९५९

पर विचार करने तथा उन्हें पारित करने के लिये कार्यमन्त्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित समय निर्धारण से सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---अब प्रश्न यह रह जाता है कि यह जो प्रस्ताव पास हुआ है, उसका असर जो विधेयक चल रहा है, उसके ऊपर क्या पड़ता है क्योंकि वह अब पारित होने की अवस्था में है । वैसे तो उस पर जो समय लग चुका है अभी तक एक घंटा से ज्यादा नहीं हुआ है । मैं पारण के प्रस्ताव पर बिला बहस राय ले सकता हूं, लेकिन माननीय राजनारायण जी भाषण दे रहे थे और अगर न्यायसंगत बात की जाय तो विधेयक में तीन भाग होते हैं, एक में वह पेश किया जाता है, दूसरे में खंडों पर विचार होता है और तीसरे हिस्से में पारण होता है । इस प्रकार से २०-२० मिनट का समय हर एक हिस्से के लिये हो जाता है । दो हिस्सों का समय निकल गया और पारण का एक हिस्सा रह गया है । इसलिए मैं यह उचित समझता हूं कि पारित प्रस्ताव के लागू करने के पहले, चूंकि माननीय सदस्यों को यह ज्ञात नहीं था कि इसके लिये कितना समय रहेगा, मैं पारण की बहस के लिये २० मिनट का समय देता हूं । चूंकि अब तीसरी रीडिंग चल ही रही है । माननीय राजनारायण जी भाषण दे रहे हैं, एक-दो भाषण और होंगे । चूंकि इसमें संशोधन नहीं है, इसलिये लम्बे भाषण होने की भी आशा नहीं है । इसलिये उसके लिये अधिक समय की आवश्यकता भी न होगी । माननीय राजनारायण जी अपना भाषण जारी रखें ।

श्री राजनारायण--इसमें एक वैधानिक गुत्थी है, उसको मैं स्पष्ट कराना चाहता हूं। जब यह प्रस्ताव इस सदन ने पास कर दिया कि इस बिल के लिये केवल एक घंटे का समय रहे तो अगर उससे अधिक समय लग जाता है तो क्या उस पर कोई कानूनी आपत्ति हो सकती है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--मुझे जो जनरल पावर्स हैं उनके अन्तर्गत मैंने इन्टरप्रिटेशन दे दिया है। मैंने यह शुरू में ही कहा था कि मैं न्यायसंगत इन्टरप्रिटेशन इसके बारे में दूंगा। मैंने यह देखा कि २० मिनट का समय इसके लिये देना न्यायसंगत है।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, संकुचित दृष्टिकोण से तो वह हमारे पक्ष में ही रह जाता है, लेकिन जब हम व्यापक दृष्टिकोण से देखते हैं तो...

श्री अध्यक्ष--रूल्स में यह दिया हुआ है--

"All matters not specifically provided for in these Rules and all questions relating to the detailed working of these Rules shall be regulated in such manner as the Speaker may from time to time direct".

इसमें मुझे यह अधिकार दिया हुआ है कि ऐसी परिस्थिति में जो फैसला दूं वह ही आगे के लिये लागू होगा और इसके बारे में मैंने सदन को पहले ही बता दिया था कि मैं अपना इंटरप्रिटेशन दूंगा।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, सरकार को कहीं आगे हाईकोर्ट में दिक्कत न पड़ जाय।

नार्दर्न इंडिया फेरीज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५९ (क्रमागत)*

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो संशोधन यहां पर प्रस्तुत किया गया है, उस संशोधन का केवल अभिप्राय इतना ही है कि यह ऐक्ट जिन दो राज्यों में लागू हो, उन्हीं के साथ-साथ संयुक्त विज्ञप्ति निकलने की बात है। लेकिन बिहार प्रदेश में यह ऐक्ट लागू नहीं है। बिहार प्रदेश अपना एक स्वतंत्र कानून रखता है। अब सरकार जो भाष्य करती है प्राविजो का और इस वर्तमान भाषा के मुताबिक बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में से भी अगर कोई नदी जाती है तो बिहार भी अगर साथ-साथ विज्ञप्ति नहीं करता तो सरकार के द्वारा जितनी भी विज्ञप्ति जारी की गयी है या जो घोषणा हुई है फेरीज के सम्बन्ध में, वह सब अवैधानिक हो जायगी यह जो थोड़ा-सा लैकुना रह गया है इसमें, इसी को स्पष्ट करने के लिये सरकार इस तरह का संशोधन पेश कर रही है। हमने आज सुबह भी इस सम्बन्ध में जानकारी हासिल की। बात अपनी जगह पर बिलकुल स्पष्ट है। जो इस कानून की भाषा है वह इस तरह से है--

"Provided that when a river lies between two (States) the powers conferred by this section shall in respect of such river be exercised jointly by the (State Governments) of those (States) by notification in their respective official gazettes."

तो बिलकुल स्पष्ट है। सही है कि सरकार की तरफ से जो संशोधन इस समय आया है उस संशोधन के मुताबिक अब इसका कोई दो भाष्य नहीं होगा। इस कानून के मुताबिक भी दो भाष्य हो सकता है या इसका दो भाष्य किया जा सकता है। मौजूदा कानून का यह अर्थ किया जा सकता है कि जहां यह ऐक्ट लागू है वहीं पर यह लागू होगा और जहां यह ऐक्ट लागू ही नहीं है उस स्टेट के लिये इस ऐक्ट की कोई हैसियत नहीं होती, कोई वैधानिकता नहीं होती।

---

*१० फरवरी, १९६० की कार्यवाही से।

इस भ्रम का निवारण सरकार की तरफ से होना आवश्यक है। हो सकता है लॉ विभाग ने सरकार को कोई ऐसा सुझाव दिया हो कि इस सम्बन्ध में कुछ लोगों द्वारा रिकि किया जा सकता है क्योंकि दोनों स्टेट गवर्नमेंट की कोई विज्ञप्ति नहीं निकली है फिर आप किस प्रकार से फेरीज ऐक्ट को वहां लागू करेंगे ? जहां तक मुझे जानकारी हो पायी है, इस समय सरकार के पास केवल दो ही घाट हैं। इनके अतिरिक्त कोई दूसरा घाट नहीं है जिससे उत्तर प्रदेश और बिहार के आपस का सम्बन्ध सम्बन्धित होता हो।

श्री अध्यक्ष--वे कौन-कौन घाट हैं ? कोई बनारस में तो नहीं है ?

श्री राजनारायण--एक तो बलिया में उजियार घाट है और दूसरे घाट का नाम सरकारी विभाग को भी नहीं मालूम है इसलिये मुझे भी नहीं मालूम है। बनारस में वह घाट नहीं है। अभी जो स्थिति है और अब तक जो रुकावट है वह यह है कि सरकार जब कोई विज्ञप्ति निकालती है तो इस सरकार को इस बात का लिहाज करना पड़ता है कि कहीं हमारी विज्ञप्ति बिहार के लोगों पर मुसीबत तो नहीं ढाती, इसलिये सरकार बिहार सरकार से भी राय लेती थी और सरकार के रास्ते में अब तक कोई दिक्कत नहीं पड़ा करती थी। अब तक बिहार प्रदेश ने इस प्रकार का कोई घाट निर्माण नहीं किया है जिसका पैसा बिहार को मिलता हो। जो होता है वह उत्तर प्रदेश की ओर से होता है। मगर यह कानून बन जाय तो क्या इसकी कोई गारंटी सरकार की ओर से है कि अब दूसरे घाट नहीं बनेंगे ? अगर दूसरे घाट बनेंगे तो इसमें सरकार निरंकुश होकर मनामाने ढंग से जिस तरह से भी चाहेगी कानून बना सकेगी और अगर ऐसी ताकत सरकार के पास हो गयी तो क्या इस सरकार के अन्दर इतनी क्षमता है कि वह बिहार के लोगों को उत्तर प्रदेश में आने से रोक सके ? अगर उत्तर प्रदेश की सरकार की यह मंशा हो कि वह बिहार के लोगों को अपने यहां आने से रोक सकेगी तो मैं समझता हूं कि बिहार सरकार में भी इतनी क्षमता है कि वह उत्तर प्रदेश के लोगों के आवागमन को अवरुद्ध कर सके। इतनी पावर उसके पास भी है। इसलिये मेरे कहने का अर्थ यह है कि अगर उत्तर प्रदेश की सरकार और बिहार सरकार दोनों ही इस प्रकार की कोई विज्ञप्ति निकालें तो वह जनहित में ही होता है। इसलिये मैं समझता हूं कि सरकार कोई दूसरा तरीका निकाले, जिससे सरकार की निरंकुशता न बढ़ पावे और उस निरंकुशताजन्य स्थिति से जनता का विशेष अहित न होने पावे। इन दोनों बातों की सुरक्षा होनी चाहिये। अगर इन दोनों बातों की सुरक्षा नहीं होती है तो सरकार का जो संशोधन है वह कोई कारगर नहीं होगा।

सरकार के पास या विभाग के पास ऐसी भी कोई रिपोर्ट नहीं है कि इससे कितने धन की आय बढ़ेगी और सरकार को आज तक यह भी नहीं मालूम कि आखिर यह समझौता इस सूबे की सरकार और बिहार सरकार के बीच कब का है। हम यह समझने में असमर्थ हैं कि बिहार सरकार ने अपने यहां घाटों के निर्माण की व्यवस्था क्यों नहीं की। कहा जा सकता है कि बिहार और यू० पी० के बीच बहुत समय से कोई समझौता है कि फेरीज का मामला यह प्रदेश करे और फिशरीज का मामला बिहार की सरकार तय करे। सरकार की तरफ से कहा जायगा कि हमारे और बिहार सरकार के बीच समझौता है कि फेरीज का इंतजाम हम करेंगे और फिशरीज का बिहार वाल करेंगे, लेकिन वह समझौता अब तक हम को नहीं दिया गया जब कि बहस इस पर हो रही है और न सरकार की तरफ से कोई कागजात इस सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये ताकि हमें मालूम हो जाता कि वह समझौता क्या है और वह यहां की जनता के लिये हितकर है या अहितकर है और फेरीज या फिशरीज से यहां की जनता उसके द्वारा लाभान्वित हो रही है या नहीं हो रही है। हमें यह भी मालूम होना चाहिये कि ऐसा कोई समझौता अब भी है या नहीं है। इन तमाम बातों के स्पष्टीकरण क हेतु ही माननीय मोतीलाल जी ने यह संशोधन रखा था कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय। इस पर तमाम जानकारी हासिल कर ली जाय और ७ दिन के भीतर इसे जल्द से

[श्री राजनारायण]

जल्द यहां लाकर पास कराया जाय । यह इतना सुन्दर-साफ और जन-हितकारी संशोधन माननीय अवस्थी जी ने रखा था, लेकिन उसे भी सरकार ने नहीं माना इसलिये मैं इसका विरोध कर रहा हूं।

*राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)--माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार की ओर से जो यह संशोधन विधेयक आया है मैं उस के विरोध में खड़ा हुआ हूं । इस ऐक्ट के द्वारा प्रदेश के गरीब लोगों से और यहां के रहने वालों से सरकार कर वसूल करती है । हम तो समझते थे कि सरकार इस संशोधन में यह भी लायेगी कि जो एक तरफ बनारस, फैजाबाद और कई जगह के ऐसे पुल हैं कि जहां पर सरकार फेरीज पर कुछ नहीं लेती उसी तरह से जो हमारे पिछड़े इलाके हैं बुन्देलखंड वगैरह के जहां कि लोग अपना गल्ला लाते हैं और फेरीज पर कर वसूल किया जाता है वहां पर वह माफ किया जायगा, लेकिन यह जो संशोधन सरकार लाई है उसके द्वारा सरकार चाहती है कि जहां कहीं भी लूपहोल हो और टैक्स अब तक न लिया जाता हो वहां भी वह वसूल किया जाय । सरकार के अफसर राय देते हैं कि वह लिया जाय मैं समझता हूं कि सरकार को सोचना चाहिये था कि यह तमाम टैक्स चलेंगे नहीं, आप इतना टैक्स लादते चले जाते हैं कि लोगों की क्षमता देने की नहीं रही । कहते तो आप यह हैं कि गरीबों के लिये सड़कें बनेंगी, पुल बनेंगे, लेकिन होता यह है कि अफसर बढ़ते हैं, विभाग बढ़ते हैं, लेकिन गरीबों को सुविधा के बजाय कर का बोझ मिलता है और अधिक असुविधा बढ़ती जाती है । इसका अर्थ यह होगा कि जो शिड्यूल कास्ट के गरीब मल्लाह वगैरह हैं जो अपना थोड़ा धन्धा कर लते हैं वह भी मारे जायंगे । अतः मैं इसका घोर विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि सदन इसको रद्द कर देगा ।

श्री रामनाथ पाठक (जिला बलिया)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जिस संशोधन विधयक पर चर्चा चल रही है वह हमारे निर्वाचन क्षेत्र के दो-चार घाटों से संबंधित है । बिहार और यू० पी० गवर्नमेंट के बीच इन घाटों के बारे में समझौता है । तीन-चार घाट बिहार गवर्नमेंट ने ले लिये हैं और तीन-चार यू० पी० गवर्नमेंट ने....

श्री अध्यक्ष--कौन से घाट के बारे में कह रहे हैं ?

श्री रामनाथ पाठक--यू० पी० गवर्नमेंट के पास उजियार, बभनौली, बलिया खास और हल्दी हैं तथा बिहार के पास शिवपुर, महुली और सिनहा हैं । मैंने इस अमेंडमेंट को समझने की बहुत कोशिश की और यह भी देखने की कोशिश की कि आखिर जो यह प्राविजो नार्दर्न इंडिया फैरीज ऐक्ट में जोड़ा गया तो वह कहां से जोड़ा गया । लायब्रेरी में देखा तो यह मालूम हुआ कि प्राविजो " Devolution Act of 1920 " से लिया गया है । बिहार और बंगाल के जो फैरीज ऐक्ट हैं उन्हें भी मैंने देखने की कोशिश की नार्दर्न इंडिया फैरीज ऐक्ट जो सेन्टर का है वे शब्दशः वैसे ही हैं सिवाय इसके कि जो प्राविजो इसमें है वह बंगाल के ऐक्ट में नहीं है । नतीजा यह हो रहा है कि हम जो अमेंडमेंट करने जा रहेहैं इसका कोई असर बिहार के फेरीज ऐक्ट पर होने नहीं जा रहा है । ऐसा न हो जाय जैसा कि बिहार का रवैया है और जैसे वह बरताव करते हैं कि अब तक जो समझौता चल रहा है उसे रिन्यू करने की कोशिश करें क्योंकि यह ऐक्ट कहता है कि जहां तक ऐक्ट लागू होता है वहीं असर होगा । जो कल माननीय मंत्री जी ने एक्सप्लेनेशन दिया हमें उससे संतोष नहीं हो सका है । इसलिये यदि इसमें कोई महत्वपूर्ण बात न हो और कोई नीति की बात न हो तो मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इसको वापस ले लें तो कोई हर्ज की बात नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री ! २-३ मिनट ही आपके लिये हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री (श्री महावीरसिंह)---अध्यक्ष महोदय, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, यह बहुत ही एक मासूम और प्रोसीजरल अमेंडमेंट इस सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है। न तो इसमें कोई दर्शन है जैसाकि श्री मोतीलाल जी ने फरमाया और न इसमें कोई टैक्सेशन का सवाल है जैसी कि यहां आशंका की गई। मैंने एक किस्सा पढ़ा था जिसमें एक हाथी का जिक्र आया था। कुछ लोगों ने हाथी देखा। हाथी जब उनके सामने आया तो एक ने टांग पकड़ी और अन्दाजा लगाया कि हाथी एक खंभा है। किसी ने सूंड़ पकड़ी और अन्दाजा लगाया कि हाथी एक रस्सी है। किसी ने कान पकड़ा और अन्दाजा लगाया कि सूप है। लेकिन हाथी को पूरी तौर से समझने की कोशिश किसी ने नहीं की। मैं समझता हूं कि कुछ साथियों ने जो यहां पर बात रखी है वह इसी तरह की है। पूरी चीज समझने की अगर कोशिश की जाती तो संभवतः ऐसी गलतफहमी न होती।

इस बिल का संबंध सिर्फ बिहार और यू० पी० के उस बार्डर से है जहां पर कि नदी बहती है। मध्य प्रदेश या दिल्ली या पंजाब से इसका कोई संबंध नहीं है। बिहार में जो कानून लागू है उसे बंगाल फेरीज ऐक्ट कहते हैं। उसमें दफा ६ में, जैसा एक साथी ने अर्ज किया, प्रायः यही चीज दी हुई है। उसमें कोई भी प्रावीजो इस तरह का नहीं है जैसा कि नार्दर्न इंडिया फैरीज ऐक्ट में, जिसको तरमीम करने का प्रयत्न किया जा रहा है। नतीजा यह होता है कि बिहार में वह प्राविजो नहीं है। तो बिहार सरकार अपनी सीमा पर ऐसी नदियों पर जब चाहे, जैसे चाहे टोल लगा सकती है और कानून बना सकती है। लेकिन उत्तर प्रदे श बंध जाता है वह नोटीफिकेशन इश्यू करे और वही नोटीफिकेशन बिहार सरकार की तरफ से भी इश्यू हो। अगर ऐसा नहीं होता तो कोई कार्यवाही नहीं होती है। तो इस कानून का यही मकसद है कि जिस स्तर पर बिहार सरकार है उसी स्तर पर हमारी सरकार भी उनके सामने आ जाय। मैं समझता हूं इस इंटरप्रिटेशन के बाद किसी माननीय सदस्य को कोई शंका नहीं रहेगी और यह विधेयक पारित किया जायगा।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि नार्दर्न इंडिया फेरीज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५९ [Northern India Ferries (U.P. Amendment) Bill, 1959] पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

* उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) (अनुपूरक) (संशोधन) विधेयक, १९५९

राजस्व उपमंत्री (श्री महावीरप्रसाद शुक्ल)---श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) (अनुपूरक) (संशोधन) विधेयक, १९५९ [The Uttar Pradesh State Legislature Members (Prevention of Disqualification) (Supplementary) (Amendment) Bill, 1959] जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

माननीय, यह एक बहुत छोटा-सा विधेयक है और सदन के सदस्यों को ज्ञात होगा कि सन् १९५३ में Prevention of Disqualification [Parliament Act, Part C, State Legislatures], जिसे १९५४ का प्रथम अधिनियम कहते हैं, उसके उपबन्धों का अनुसरण करते हुए इस विधान मंडल ने १९५६ में एक अधिनियम पारित ाकया था जिसके द्वारा यह व्यवस्था की थी कि उत्तर प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित जो विश्वविद्यालय हैं उनके उपकुलपति इस विधान मंडल के दोनों सदनों के सदस्य होने के लिये अनर्ह न होंगे। परन्तु इसके पश्चात् १९५९ में केन्द्रीय संसद् ने दूसरा अधिनियम पारित किया जिसके द्वारा १९५४ के अधिनियम को निरस्त

---

* २४ दिसम्बर, १९५९ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री महावीरप्रसाद शुक्ल]

कर दिया और उसमें कोई इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की जिसके अनुसार उप-कुलपति अनर्ह न रहे उस संसद के सदस्य होने से। अब यह निश्चय किया गया है कि केन्द्र का अनुसरण किया जाय ताकि यूनीफारमिटी रहे। इसीलिये यह विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है। केवल यही उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश में विधि द्वारा जो स्थापित विश्वविद्यालय हैं उनके उप-कुलपति इन सदनों के सदस्य होने के लिये अनर्ह न समझे जायं। मैं आशा करता हूं सदन इस विधेयक को स्वीकार करेगा।

श्री अध्यक्ष---(श्री मोतीलाल अवस्थी से) आपका संशोधन जो परिधि बढ़ाने का है वह किस तरह से वैध समझते हैं ? विधेयक में तो एक ही वाइस-चांसलर के बारे में ही संशोधन है अभी। किस लिये आप परिधि बढ़ाते हैं ?

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता था, इस अधिनियम के बारे में कि जो इसमें ४ उपखंड हैं उन पर पुनर्विचार करने के लिये मौका मिले और ७ दिन के लिये संयुक्त प्रवर समिति बना लें।

श्री अध्यक्ष---आप बिल्कुल संक्षेप में कहें।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---प्वाइंट आफ आर्डर, सर। क्या कोई मंत्री महोदय प्रेस रिपोर्टर्स के बीच में बैठ कर कान्फ्रेंस करें सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, कान्फ्रेंस नहीं कर सकते हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर---मंत्री महोदय, प्रेस रिपोर्टर्स के बीच में बैठे हुए हैं और जो बातचीत हो रही है क्या इस तरह की इजाजत है ?

श्री अध्यक्ष---किसी माननीय सदस्य को तो मैं नहीं रोक सकता कहीं बैठने के लिये। लेकिन जो आपने कहा कि कान्फ्रेंस हो सकती है कि नहीं तो सदन में कान्फ्रेंस नहीं हो सकती है।

श्री शिवप्रसाद नागर--आप देखें कि जिस तरह से बातें हो रही हैं वह कान्फ्रेंस ही के रूप में है।

श्री अध्यक्ष--प्रेस रिपोर्टर्स माननीय सदस्यों की जगह पर नहीं बैठ सकते हैं। लेकिन प्रेस रिपोर्टर्स की जगह पर माननीय सदस्य बैठ सकते हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---श्रीमन्, यह सारी बातें डिलीट हो जायं कार्यवाही से तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष---मुझे कोई भी सदस्य प्रेस रिपोर्टर्स के बीच में बैठा नहीं दिखाई दे रहा है।

(इस समय १ बज कर १० मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्रीमती चन्द्रावती, पीठासीन हुईं।)

श्री मोतीलाल अवस्थी---माननीया अधिष्ठात्री महोदया, मैं आपकी आज्ञा से अपना संशोधन उपस्थित कर रहा हूं। यह संशोधन इस प्रकार से है---

"यह सदन निश्चय करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) (अनुपूरक) (संशोधन) विधेयक, १९५९ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जावे जो उसके परिधि को भी बढ़ा सके और अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में प्रस्तुत कर देवे।"

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ऐसे तो कुछ लोगों के यह समझ में आयेगा कि इस प्रकार का यह संशोधन अनावश्यक है, लेकिन मैं कुछ अन्य कारणों की वजह से भी इस प्रस्ताव को प्रस्तुत कर रहा हूं। हमारे सामने जो विधेयक है उसमें केवल एक ही खंड को निकाल देने की बात कही गई है और उसके परिणाम-स्वरूप नामकरण में तबदीली करना है।

मेरी मंशा सेलेक्ट कमेटी में देने की अन्य कारणों से है। हमारे सामने जो १९५६ का अधिनियम है उसमें अगर आप देखें तो दफा २ में अनर्हता निवारण करने की जो बात कही गई है उसमें कुछ इस तरह की बातें हैं, मैं आपकी आज्ञा से पढ़ कर सुनाता हूं--

"एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित पदों के कारण उन पर अध्यासीन व्यक्तियों की उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिये अनर्हता न होगी और न कभी रही समझी जायगी :--

(क) भारत सरकार के अधीन राज्य के मंत्री अथवा उपमंत्री अथवा संसदीय सचिव (Parliamentary Secretary) अथवा (Parliamentary Under Secretary) के पद;

(ख) भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों के पद;

(ग) संसद के उपप्रधान सचेतकों (Deputy Chief Whip) के पद, तथा

(घ) रिजर्व ऐण्ड आग्जीलियरी एयर फोर्सेज ऐक्ट, १९५२ के अधीन आग्जीलियरी एयर फोर्स अथवा एयर डिफेंस रिजर्व की सदस्यता।"

मान्यवर, आप देखें कि इसमें जो संशोधित संशोधन है वह केवल एक ही उपखंड के बारे में है। मैं उस उपखंड के बारे में कुछ नहीं कहता। मैं दो तीन बातों पर अपना मत व्यक्त करूंगा। मेरा जो इसको प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव है वह यही है कि कुछ विधेयक प्रवर समिति के पास जाय और उसमें इन सभी उपखंडों पर विचार किया जाय। इन उपखंडों में आप देखें कि राज्य के मंत्री की अनर्हता के निवारण की बात कही गयी है। इसी के साथ-साथ डिप्टी चीफ ह्विप की अनर्हता के निवारण की बात कही गयी है। साथ ही रिजर्व ऐण्ड आग्जीलियरी एयर फोर्सेज ऐक्ट, १९५२ के अधीन आग्जीलियरी एयर फोर्स अथवा एयर डिफेंस रिजर्व की सदस्यता के सम्बन्ध में कहा गया है। लेकिन इसमें जो शब्द लिया है संसदीय अनुसचिव इसको भी डिसक्वालिफिकेशन से बचाया गया है। जहां तक हम देख पाते हैं हमारे मंत्रिमंडल में मंत्री, उपमंत्री, स्टेट मिनिस्टर तथा उसके साथ ही साथ कुछ पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज भी हैं और इन सब की तादाद २९, ३० पहुंच जाती है और ये सभी इस आफिस के लेने पर भी डिस-क्वालिफिकेशन के अन्दर नहीं आते हैं। लेकिन अब इसके साथ ही साथ संसदीय अनुसचिव भी जुड़ा हुआ है। तो इससे यह समझ में आ रहा है कि अगर किसी समय पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज के साथ एक-एक दो-दो, पार्लियामेंटरी अंडर सेक्रेटरीज भी जोड़ दिये गये तो यह सारी केबिनेट चूं-चूं का मुरब्बा हो जायगी। ५० का कुटुम्ब बन जायगा और बड़ी आसानी से डिसक्वालिफिकेशन नहीं होने पायेगी चाहे पार्लियामेंटरी अंडर सेक्रेटरीशिप में रिटायर्ड आफिसर्स भी शरीक कर लिये जायं या किसी तरह के आफिशियल या नान-आफिशियल लोग हों। मुझे इस बात का भय है कि बहुत से पद इस ऐक्ट के अन्तर्गत हैं जिन पर हमें पुनर्विचार करने की आवश्यकता है और इसके लिये यह आवश्यकता है कि हम इसको सेलेक्ट कमेटी के पास भेजें। उसमें शीघ्रता से विचार किया जाय और उसके लिये एक सप्ताह मैंने रखा है और एक सप्ताह ज्यादा समझा जाय तो उसे भी घटाया जा सकता है। इस पर हमको ठंडे दिल से विचार करना चाहिये बजाय इसके कि हम इसको एक घंटे में पास कर दें और यह तभी हो सकता है कि जब हम इसको प्रवर समिति में भेजें।

चार ही उपखंड इसमें हैं और जो सांकेतिक लोग हैं उन्हीं के बारे में बात कही गयी है, लेकिन और वर्ग के लोग भी इसमें हो सकते हैं जिनकी डिसक्वालिफिकेशन के निवारणार्थ विचार किया जा सकता है। सेलेक्ट कमेटी के लोग समझदारी से इस पर विचार करें और इसमें जोड़ें या घटायें। यह जरूरी नहीं है कि चार वर्ग के लोग ही इसमें आयें। बल्कि और लोग भी

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

उसके अन्दर आ सकते हैं, उन पर भी विचार किया जा सकता है और यह मौका उसी समय आयेगा जबकि सेलेक्ट कमेटी के सिपुर्द यह विधेयक भेजा जाय। इसलिये यह जो कहा जाता है कि बहुत छोटा-सा परिवर्तन हमारे सामने है, उस छोटे से परिवर्तन पर ही थोड़ा विचार किया जाय, विचार को फैलाया न जाय बल्कि एक बिन्दु पर ही सोचा जाय। इस तर्कशैली को हम नहीं मानते हैं और विधेयक पेश करने वाले मंत्री माननीय शुक्ल जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि वह इस बात की कभी भी आशा न करें उन सदस्यों से कि जो हमेशा भिन्न दृष्टि से देखना चाहते हैं वे उनकी दृष्टि से देखेंगे। हम केवल उनके बताये हुये बिन्दु को ही नहीं देखेंगे बल्कि अगल-बगल भी देख लेंगे। इसलिये मैंने केवल संकेत रूप में ही एक बात आपके सामने रखी है कि पार्लियामेंटरी अन्डर सेक्रेटरी को भी जो अनर्हता से निवारण दिया गया है इससे ऐसा न हो कि हमारा केबिनेट स्टाफ बढ़ते-बढ़ते ५० का ऐसा घर बन जाय और उसके हर आदमी को हम डिस्क्वालिफिकेशन से बचाकर एक एल्योरमेंट दें क्योंकि सेक्रेटरीज के बाद अन्डर सेक्रेटरीज भी होंगे और उसमें अनेक एम० एल० एज० को मौका मिलेगा। मेरा ऐसा खयाल है कि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी का काम बिल्कुल आफिशियल हुआ करता है, ये केबिनेट के सदस्य नहीं हुआ करते, ये केवल मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर का आफिशियल वर्क सम्हालने वाले हुआ करते हैं। लेकिन अगर पार्लियामेंटरी अन्डर सेक्रेटरी की बात सोची गयी तो हेड आफ दि डिपार्टमेंट्स का काम भी सम्हालना उनके सिपुर्द हो जायगा। हमारे इस संदेह को दूर करने के लिये यह जरूरी है कि हम एक सेलेक्ट कमेटी में बैठें और वहां इस पर विचार करें।

मैंने आपके सामने थोड़ी-सी इस बात को रखने की कोशिश की कि आवश्यकता इस बात की है कि इतनी जल्दी में हम इसको यहां न पास करें। ऐसी हालत में मैं प्रार्थना करूंगा कि मंत्री जी हमारी बात पर ध्यान दें और इसको एक प्रवर समिति के सुपुर्द करें जो २–३ दिन के अन्दर अपनी रिपोर्ट दे और फिर उस रिपोर्ट पर यह सदन विचार करे।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल––माननीय अधिष्ठात्री जी, मैंने माननीय सदस्य की बातें बड़े ध्यान से सुनीं।

श्री मोतीलाल अवस्थी––प्वाइंट आफ़ आर्डर। जरा कोरम को भी देख लें।

श्री अधिष्ठाता––अभी डेढ़ ही बजा है, २ नहीं।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल––माननीय सदस्य ने शायद मेरे निवेदन को ध्यानपूर्वक नहीं सुना। मैंने निवेदन यह किया था कि उत्तर प्रदेश का जो अनर्हता निवारण अधिनियम बना था जो संसद का अधिनियम है उसी के अनुसार हमारा वह अधिनियम था। जब संसद् ने इसमें संशोधन कर दिये हैं तो यह आवश्यक हुआ कि हम भी उसी के अनुसार अपने अधिनियम को बनायें और जो आपत्तियां की गई थीं यदि पार्लियामेंट (प्रिवेंशन आफ डिस्क्वालीफिकेशन) ऐक्ट, १९५९ को ध्यानपूर्वक देखा जाय तो कोई बात ऐसी नहीं रखी गई है जो इसमें न हो और मैं समझता हूं कि इस छोटे से विधेयक का उद्देश्य स्पष्ट है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो सिद्धान्ततः स्वीकार न हो। इसलिये कोई आवश्यकता नहीं है कि इसको सदन की प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। इसमें समय की भी आवश्यकता है। अभी हमारे यहां कौंसिल का चुनाव आने वाला है। यदि हमने इसको नहीं पारित किया तो इसके लिये जिसको हम डिसक्वालीफाई करना चाहते हैं वह उम्मीदवार हो सकते हैं इसलिये इसकी तात्कालिक आवश्यकता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि हमारे प्रस्ताव को सदन स्वीकार करे और अवस्थी जी का प्रस्ताव अस्वीकार किया जाय।

*श्री मोतीलाल अवस्थी––अधिष्ठात्री महोदया, माननीय शुक्ल जी को जितना दुःख है उससे दुगना दुःख मुझको है। उन्होंने अपनी ही बात को ध्यान में रखा और मेरी बात को

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं सुना और उल्टे वह कहते हैं कि मैंने उनकी बात नहीं समझी। मैं अपने रास्ते पर चल रहा हूं और वह अपने रास्ते पर चल रहे हैं। मैं चाहता था कि विश्वविद्यालय के उपकुलपतियों के बारे में उस समय बोलूं जब कि इसके खंडों पर विवाद हो। उस पर वह कहते हैं कि मैंने उनकी बात समझी नहीं। आश्चर्य है, मेरी बात उन्होंने समझी नहीं। मैं चाहता था कि सेलेक्ट कमेटी में जाने के बाद जो उपखंड हैं, जिनमें अनेक लोगों को बचाया गया है उनमें घटी-बढ़ी की जाय। इसलिये मैं चाहूंगा कि शुक्ल जी हमारी बात को सुन लें और उसे स्वीका करने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता--अब मैं मोतीलाल जी के संशोधन को वोटिंग के लिये प्रस्तुत करती हूं।

प्रश्न यह है कि यह सदन निश्चय करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) (अनुपूरक) (संशोधन) विधेयक, १९५९ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जावे जो उसके परिधि को भी बढ़ा सके और अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में प्रस्तुत कर देवे।

श्री मोतीलाल अवस्थी--माननीया, मैं डिवीजन चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता--अभी कोरम के पूरे होने का समय नहीं है क्योंकि डेढ़ बजा है इसलिये इसको स्थगित रखा जाय।

श्री मोतीलाल अवस्थी--जी हां, स्थगित रखा जाय। नियम तो ऐसा ही है।

श्री अधिष्ठाता--अब आइटम नम्बर १३ लिया जाता है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--मेरा वैधानिक प्रश्न यह है कि इसमें देखा जाय कि एक से लेकर दो बजे तक कोरम की आवश्यकता नहीं है। जब कोरम नहीं है तो नतीजा यह भी होना चाहिये कि वोटिंग की आवश्यकता नहीं है और अगर होता है और उसका निष्कर्ष यह निकलता है कि जिससे पता चल जाता है कि इतने सदस्य थे और कोरम नहीं था। उस समय यदि पास किया जाय तो अवैधानिक हो सकता है और लोग इसको लेकर रिट में जा सकते हैं। तो ऐसे महत्वपूर्ण विषय जिस पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने यह तय किया कि एक ही घंटे में पास किया जाय, इस सम्बन्ध में यह तीनों बातें यहां पर आती हैं। तो इसमें साधु सम्मति तो यही होनी चाहिए कि इस समय सरकारी पक्ष की ओर से इसके लिये दबाव नहीं होना चाहिए कि वोटिंग ले ली जाय क्योंकि अगर वोटिंग होगी तो उसमें अवस्थी जी को या किसी सम्मानित सदस्य को कोई रोक नहीं सकता कि विभाजन की मांग वह न करें। तो विभाजन की मांग आई और एक पक्ष में ७ और दूसरे में १० इस तरह से निर्णय हो गया, १७ मतों से ही वह पास हो गया जो कि अल्ट्रावायरस हो गया। तो इन तमाम बातों को देखकर...

श्री अधिष्ठाता--इस पर वोटिंग तो स्थगित कर दी गई। जो बात आप कह रहे हैं वह तो साफ हो गई।

श्री मोतीलाल अवस्थी--मैं दूसरा आब्जेक्शन उठा रहा हूं। वैधानिक प्रश्न है कि इस विधेयक के लिए एक घंटे का समय निर्धारित है तो जितना समय इसमें हो गया उसके बाद....

श्री अधिष्ठाता--वह जितना समय व्यय हो चुका है उसके बाद जो बचता है वह उसके लिए रहेगा।

*उत्तर प्रदेश सरकार को देय धनराशियों की वसूली (अर्जित आस्थान तथा अवसित पट्टा) विधेयक, १९५९

राजस्व उपमंत्री (श्री महावीरप्रसाद शुक्ल)--माननीया अधिष्ठात्री जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार को देय धनराशियों की वसूली (अर्जित आस्थान तथा अवसित पट्टा) विधेयक, १९५९ [The Uttar Pradesh Recovery of Government Dues (Acquired Estates and Determined Leases) Bill, 1959.] जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

माननीया, यह विधेयक जो स समय सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है उसके उद्देश्यों और कारणों से यह स्पष्ट है कि जब इस सदन ने उत्तर प्रदेश रामपुर ठेकेदारी और पट्टेदारी एबालोशन ऐक्ट, १९५३ पारित किया और उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम १९५० पारित किया और सन् १९५४ में रामपुर में उसे लागू किया तो वहां के बहुत से आस्थानों के मालिकों ने हाई कोर्ट में इसके प्राविजन्स के खिलाफ रिट पेटीशन्स फाइल कर दिये हालांकि जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा ४ के अन्तर्गत वेस्टिंग का नोटीफिकेशन भी हो गया था और साथ ही जो पट्टे अवसित हो गए थे उनका भी नोटीफिकेशन हो गया था और उसके अनुसार उन आस्थानों पर उत्तर प्रदेश सरकार का कब्जा हो गया था परन्तु हाई कोर्ट में रिट दाखिल करने के बाद उन आस्थान के मालिकों ने स्टे हासिल कर लिया जिसका परिणाम यह हुआ कि उन आस्थानों से वह लाभ उठाते रहे, सायर और लगान की सारी रकम वसूल करते रहे, यह मुकदमे चलते रहे चार वर्ष तक। हाई कोर्ट स उत्तर प्रदेश सरकार के पक्ष में निर्णय हुआ और ये दोनों अधिनियम विधि के अनुकूल घोषित किये गए। इसके पश्चात् भी कुछ आस्थान के मालिकों ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपीलें कीं और वहां से भी रिट अपील पर स्टे प्राप्त कर लिया जिसका परिणाम यह हुआ कि सरकार को मिलने वाली काफी धनराशि उन्होंने स्वयं वसूल की और उस सम्पत्ति का उपभोग किया। हमारा जो जमींदारी विनाश अधिनियम है या रामपुर ठेकेदारी और पट्टेदारी विनाश का अधिनियम है उसके अन्तर्गत ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि इस प्रकार जो धनराशि सरकार को मिलनी चाहिए थी जिसको उन आस्थान के मालिकों ने वसूल किया और उपभोग किया, उसको वसूल करने के लिए हम जो उनको मुआवजा देंगे इन दोनों अधिनियमों के परिणामस्वरूप उनके आस्थानों को लेने के पश्चात् या उनके पट्टे अवसित करने के पश्चात्, उससे उसे वसूल कर सकें। नतीजा यह होगा कि यदि उस धनराशि को सरकार वसूल करना चाहे तो अलग-अलग दीवानी मुकदमें दायर करे और इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा दायर करके सारी रकम वसूल करने में लम्बा समय लगेगा और बहुत अधिक धनराशि का अपव्यय भी होगा और ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि उन आस्थानों के मालिक ऐसी परिस्थिति पैदा कर दें जिसमें कि सरकार वह धनराशि उनसे वसूल न कर सके।

इसलिये यह विधेयक जो सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है, जिसे कि राज्य विधान परिषद् ने पारित कर दिया है उसमें इस बात की व्यवस्था की गई है कि ऐसे आस्थान के मालिकों से जिन्होंने उन आस्थानों से जो फायदा उठाया है उसके बदले में जो धनराशि सरकार को मिलनी चाहिए उसका डिटरमिनेशन किया जाय और असेसमेंट हो और उसके साथ ही जो सरकार ने वहां ठेकेदारों का विनाश किया या उनके पट्टे अवसित किये हैं, उनके बदले में जो मुआवजा देना है उस रकम से वह सरकार अपना पावना वसूल कर ले। उसके बाद ही यदि कुछ देना आवश्यक हो तो वह दिया जाय और यदि न देना पड़े, और उनका मुआवजा जो देय सरकार को मिलना है, उससे कम हो तो शेष रकम को मालगुजारी की तरह वसूल करने की व्यवस्था की जाय। यही संक्षेप में इस विधेयक का मतलब है जिसकी इसमें व्यवस्था की गई है। मैं समझता हूं

---

*३० दिसम्बर, १९५९ की कार्यवाही में छपा है।

सदन के सभी सदस्य इस बात को स्वीकार करेंगे कि दोनों विधान मंडलों ने जो अधिनियम पारित किये हैं उसके परिणामस्वरूप सरकार को जो फायदा होना चाहिये वह हो और उसी के लिये यह व्यवस्था की जा रही है। इसलिये मैं सदन से निवेदन करूंगा कि वह इस विधेयक पर विचार करे।

*श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--माननीय अधिष्ठात्री महोदया, इस प्रस्तावित विधेयक के लिये मेरा प्रस्ताव निम्न प्रकार है--

"यह सदन निश्चय करता है कि उत्तर प्रदेश सरकार को देय धनराशियों की वसूली (अर्जित आस्थान तथा अवसित पट्टा) विधेयक, १९५९ को एक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जावे जो अपना प्रतिवेदन १५ दिन के अन्दर प्रस्तुत कर दे।"

अभी इस बिल की आवश्यकता पर हमारे उपमंत्री जी ने जो कुछ व्याख्यान दिया उसको मैंने ध्यान से सुना है और मैं मानता हूं कि इस विधेयक की आवश्यकता है। मैं यह भी मानता हूं कि इस विधेयक में जो बहुत से उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के आदेश प्राप्त हुये हैं और उनके परिणाम स्वरूप जो व्यवस्था बदली और उस व्यवस्था के बदलने के कारण रामपुर राज्य के पट्टेदारों पर जो देय धनराशि थी उसकी वसूलयाबी के लिये इसकी आवश्यकता पड़ी। इन आवश्यकताओं को देखते हुये यह विधेयक लाया गया। यह विधेयक एक प्रकार से मौलिक विधेयक है। यह किसी पूर्व विधेयक का संशोधन नहीं है। ऐसी हालत में मैं प्रार्थना यह करूंगा कि आप इस हाउस में ३, ४ घंटे के अन्दर इसको पास करें यह उचित नहीं मालूम होता है। इसमें बहुत सी सैद्धान्तिक आपत्तियां हैं। उन पर गौर करने के लिये काफी समय मिलना चाहिये। यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं कहूं कि सके पूर्व के विधेयकों में भी जब-जब सरकार ने इस प्रकार का प्रयत्न किया है तब तब मैंने हमेशा इसका विरोध किया है। वह प्रयत्न ऐसे किये गये हैं कि कभी-कभी सरकार अपने अधिकारियों के अधिकार बढ़ाकर और उन अधिकारों के अन्दर बहुत सी अशुद्धियों को शुद्ध करने का प्रयत्न करती हैं। तब उसके बाद यह शंका उत्पन्न होती है कि यह सरकार अपने अधिकारियों के अधिकार बढ़ा कर एक प्रकार से दूसरी स्थिति पैदा कर रही है।

आज सरकार यह तय करने जा रही है कि देय धनराशि को अवधारण करने के लिए कुछ अधिकारी मुकर्रर होंगे जिनको हम विर्धारक अधिकारी कहेंगे। ये प्रतिकर को निर्धारित करने का काम करेंगे और सरकार को देय धनराशि इत्यादि का निश्चय करेंगे। वह न केवल इतना ही तय करेंगे बल्कि सरकार को देय सकल धनराशि, अनुमत कटौतियों की धनराशियां और शुद्ध धनराशियां आदि अनेक चीजों को, जो कि एक दूसरे के विवाद की बात हो सकती है दोनों पक्षों के लिए वह सारी स्थिति का निश्चय करेंगे। ऐसी हालत में यह एक बहुत ही विवादग्रस्त बात हो जाती है जिसको अदालत में ले जाकर बहुत दिनों तक लोग चलाते रहेहैं। इस रूप में हम को इसे देखना होगा। इसलिए मैं इस बात को मानता हूं कि सर्वांगीण रूप में विवादों के निस्तारण के लिए इस में अपीलों का संक्रमण और इस के अलावा निर्धारक अधिकारी की बातों को सुनवाई, निर्धारण के अधिकार, अपीलों का न्यायालय में अधिकार आदि आदि इसमें रखा गया है। इससे जाहिर है कि इसके अन्तर्गत हाई कोर्ट तक लड़ने की गुंजाइश है और इस बात को देखते हुये आवश्यकता है कि हम ठंढे दिल से इस पर विचार करें, देखें। यह देखें कि क्या इस से अदालतबाजी बढ़ेगी तो नहीं। इस समय देश में अदालत का जो रोग है उस ने हजारों, लाखों लोगों को बे-घरबार कर दिया है। इसमें भी वही बात है। किन्हीं लोगों ने हाई कोर्ट से फैसला हो जाने पर भी जमीनों पर पट्टा कर लिया, कहीं अवैधानिक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

वसूली की है। आज उसका पूरा हिसाब लेना-देना है और उसके लिए प्रतिकर अधिकारी को अधिकार होगा नोटिस निकालने का, आब्जेक्शन के लिए समय देने का। जो लोग समझदार होते हैं, वे समय के अन्दर अर्जी दे देते हैं, लेकिन बेचारे पिछड़े वर्ग के लोग, जो पढ़े-लिखे नहीं होते, वे समय के अन्दर जवाब नहीं दे पाते और उन पर डिग्री हो जाया करती है। अपने देश की हालत को देख कर ही मैं यह कह रहा हूं। जमींदारी अबालिशन था दूसरे अधिनियमों के आधार पर जो अनियमिततायें हुई हैं उन को आप देखें। बदायूं और तराई के इलाके में जहां लोगों ने जमीनों पर अनधिकृत कब्जा कर लिया था, उस के लिए जो बिल पास किया गया था उस में इन अधिकारियों को निरंकुश अधिकार दिये गये थे और उनके द्वारा जनता का अहित होने की आशंका थी। वैसे ही अधिकारियों की नियुक्ति की बात इस में है और उन को पट्टों के सम्बन्ध में, धनराशियों की वसूली के सम्बन्ध में, विवरण पत्र आदि तैयार करने के सम्बन्ध में अधिकार मिले हुये हैं जो निरंकुश भी हो सकते हैं और उचित भी। हम उन अधिकारियों की अनधिकृत चेष्टा पर शंका प्रकट किये बिना ही यह कहना चाहेंगे कि यह सदन उन पर एक अंकुश रखना चाहता है। उन पर अंकुश रख कर अधिकार दिये जायं तो हम को आपत्ति नहीं। लेकिन हमें देखना होगा कि क्या विधेयक में इन नये अधिकारियों पर कोई कानूनी अंकुश है। यह होना चाहिए ताकि वे लोगों को परेशान न कर सकें। नासमझों की सुरक्षा इसमें है या नहीं, इसका हमें इस में प्रबन्ध करना चाहिए और इस आधार पर ही मेरी प्रार्थना है।

इस विधेयक में १८ धारायें हैं। मेरी प्रार्थना है कि उन को हम ४ घंटे में न पास करें और इसके साथ थोड़ा न्याय करें। १८(१) में दिया गया है कि राज्य सरकार को इस अधिनियम के प्रयोजनों को कर्यान्वित करने के लिए नियम बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। आप देखें कि यह नियम बनाने का अधिकार कितना व्यापक है।

"किसी आस्थान या पट्टे के सम्बन्ध में सरकार के देय सकल धनराशियों की गणना करने की विस्तृत प्रक्रिया" इत्यादि विशेषकर जो इस में है "वह रीति जिससे निर्धारक अधिकारी, प्रतिकर का निर्धारण तथा भुगतान करने के लिए अधिकृत अधिकारी को प्रतिकर का भुगतान स्थगित किये जाने के लिए निर्धारित करने तथा उसको संबोधित करेगा।" इस प्रकार से डेलीगेशन की पावर्स कितनी वास्ट हैं। इससे तो मालूम होता है कि कुछ ऐम्बिगुइटी इसके अन्दर है और हमें उसका स्पष्टीकरण जानना आवश्यक है। हमारे सामने ज्ञापन आ जाते हैं, यह थोड़ी स्पष्टता को ला देते हैं, लेकिन कभी-कभी स्पष्टता इस रूप में हमें साधक बना देती है कि हम उस की जानकारी के लिए इच्छुक बन जाते हैं। तो ४ घंटे के समय में कैसे हम सब जानकारी हासिल कर सकते हैं? मेरे बाद और भी वक्ता बोलेंगे, उनकी बात भी मन्त्री जी सुन लेंगे। मेरी ही ९–१० जानकारियों में से एक-दो का जवाब वह दे पायेंगे। इसलिए यह समय बहुत कम है। साथ ही इस प्रदेश की जनता के प्रति पूरा-पूरा न्याय हो सके, यह जरूरी है कि हम सभी पक्ष की बातों को सुनें और अधिकारियों पर भी अंकुश रख सकें। इसलिए मैं ज्यादा समय न लेकर प्रार्थना करूंगा कि इस विधेयक पर जिस में कुछ ऐसी धाराएं हैं जिन पर अधिक स्पष्टता की आवश्यकता है, उस पर हमें मन्त्री जी कुछ मौका दें और प्रवर समिति में देने के लिए स्वीकार करें और वह प्रवर समिति केवल १५ दिन में अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहती है। मेरे अतिरिक्त और भी संशोधन हैं जो कि रामपुर की जनता से जानकारी प्राप्त करने का मौका चाहते हैं, उनका भी इस से मकसद हल हो जाता है। इसलिए जनता की राय प्राप्त करके यह सदन में आवे और फिर खंड ब खंड इस पर विचार किया जाय। मैं चाहता हूं कि आपके द्वारा यह स्वीकार किया जाय।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—माननीया अधिष्ठात्री महोदया, यह जो मौजूदा विधेयक हम लोगों के सामने विचार करने के लिए प्रस्तुत किया गया है यह बहुत लम्बा-चौड़ा

तो नहीं है, लेकिन जिन उद्देश्यों से प्रभावित होकर यह हमारे सामने आया है, वे विचारणीय हैं। इस प्रकार के कानून जब हम लोग बनाया करते हैं तो उसकी एक शंका यही होती है कि किसी के साथ अन्याय न हो और अधिक से अधिक लोगों के साथ न्याय हो सके। इसी के लिए आज हम लोग यहां पर विचार करने के लिए बैठे हैं। इसमें इसी ढंग की जो चीज है उसी को बताने के लिए मैंने अपना संशोधन दिया है जिसे मैं आपकी आज्ञा से पेश कर रहा हूं, वह यह है कि—

"उत्तर प्रदेश सरकार को देय धनराशियों की वसूली (अर्जित आस्थान तथा अवसित पट्टा) विधेयक, १९५९ को सदन की प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, जो पूर्ण विचार तथा रामपुर जिले की स्थानीय जनता से जानकारी प्राप्त कर १ माह के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।"

मैंने जानबूझ कर इस संशोधन को रामपुर जिले की जनता से राय लेने के लिए रखा है और यह चाहता हूं कि यह विधेयक प्रवर समिति में जाय और वहां पर इस पर विचार हो। मेरा मकसद इसको रखने का यही है कि प्रवर समिति को सम्पूर्ण जानकारी, उन सम्पूर्ण परिस्थितियों के बारे में हो जाय जिन के कारण वहां आस्थान के मालिकों को हाई कोर्ट तक जाने के लिए मजबूर होना पड़ा तथा जो उद्देश्य इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए बताये गये हैं वे कहां तक उचित हैं। इन दोनों के बारे में वहां पर विचार हो सके, इसीलिए मैंने यह संशोधन रखा है। जब प्रवर समिति एक उचित निर्णय पर पहुंचेगी और उसकी रिपोर्ट सदन में पेश होगी, तो उस में हमें पूरी जानकारी प्राप्त हो जायेगी और इस सम्बन्ध में उचित फैसला करने में हम अधिक प्रभावकारी सिद्ध हो सकेंगे। जो शब्दावली इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों में प्रयोग की गयी है वह यह है :—

"यह संक्षिप्त विधेयक सरकार को देय धनराशियों के अवधारण की तथा भूतपूर्व रामपुर राज्य के उन मध्यवर्तियों तथा पट्टेदारों से, जो उन के हकदार नहीं थे, तथा अन्य ऐसे क्षेत्रों के जहां इसी प्रकार की आवश्यकता भविष्य में उत्पन्न हो, पट्टेदारों तथा मध्यवर्तियों से उसकी वसूली की व्यवस्था करने के उद्देश्य से पुरःस्थापित किया जा रहा है।"

जो इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों में इस विधेयक को प्रस्तुत करने के कारण वर्णित हैं, उन पर हमें विचार करना है और उन बातों पर विचार करते समय हमें उसके इतिहास में भी जाना होगा और उस पर भी गौर करना पड़ेगा। रामपुर राज्य जैसा कि हम सब को मालूम है, पहले एक स्वतन्त्र रियासत थी और उस के अपने कानन थे। उन्होंने अपने ढंग से गैर-आबाद जगहों पर लोगों को बसाने के लिए नियम आदि बना लिये थे। उन जगहों पर लोग आबाद होना नहीं चाहते थे और जाने से डरते थे। अतः उन जगहों को आबाद करने के लिए उन्होंने पट्टेदारी प्रथा को इन्ट्रोड्यूस किया और उस में वे कामयाब हुये। यह प्रथा केवल रामपुर जिले में ही नहीं, अन्य सूबों में भी प्रचलित थी, जैसे कि लहड़ा स्टेट वगैरह। जो अंग्रेजों की तरफ से जमीनें दी हुई थीं, उन के बारे में कानून बनाकर ठेकेदारी को समाप्त किया गया था। इस में कोई शक नहीं है कि विधान सभा ने हमें जो अधिकार दे रखे हैं अगर उसके मुताबिक हम किसी भी नियम को पाते हैं कि वह संविधान के विरुद्ध है और उस पर हम विचार करते हैं तो उस के लिए सरकार को रुष्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप के कानून में प्रतिशोध की भावना न होती तो हमें आज यह कहने की आवश्यकता न होती। उच्च न्यायालय में यह सब होने के बाद जो यह स्टे आर्डर हुआ था और जितना रुपया मुनाफे का उन्होंने प्राप्त किया है उस की वसूली के लिए ही यह कानून बनाया जा रहा है।

अब तक जो कानून बने हुये थे, उन में इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। अधिष्ठात्री महोदया, आप के द्वारा मैं सरकार का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं कि यदि प्रतिशोध की भावना से यह लेजिस्लेशन यहां पेश कर दिया गया, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन पेश करने के बाद इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो कि मौके पर जाकर देखे कि जिन लोगों की ठेकेदारी

[श्री मदन पांडेय]

विनाश की जा रही है उनकी अवस्था को देखते हुये क्या ऐसा करना उचित होगा और यदि प्रवर समिति की राय में यह उचित होगा तो फिर बाद में यह सदन उस पर जरूर विचार करेगा। अगर ४–५ वर्षों में कोई देर नहीं हुई है तो एक महीने के भीतर, जितनी कि मैंने इसके लिए मियाद मांगी है, कोई लौट-फेर होने की सम्भावना नहीं है। वहां के लोगों का दृष्टिकोण व्यक्तिगत रूप से तो मुझे जानने का अवसर नहीं मिला है, लेकिन एक मेमोरैन्डम जो वहां से आया है, यह शायद माननीय माल मन्त्री के पास भी गया है। उसमें उन्होंने कुछ चीजें रखी हैं। उन में से दो एक चीजें मैं माननीय माल मन्त्री जी और इस सदन की जानकारी के लिए पढ़ देना चाहता हूं—

"स्टे के दर्मियान सरकारी अधिकारियों ने कुल मालगुजारी की वसूली की और ठेकेदार अपना मुकर्ररा मुनाफा पाते रहे। इस रकम की वापसी के लिए यह नया कानून यू० पी० गवर्नमेंट ला रही है। स्टे के दर्मियान में किसी वक्त भी सरकार ने अदालत में या किसी और प्रकार यह जाहिर नहीं किया कि वह इस रकम को भी वसूल करेगी। अगर इस स्टे के जमाने में कोई ठेकेदार अपनी मालगुजारी ठीक समय पर दाखिल न कर सका तो कुर्की और हवालात भेजकर मालगुजारी वसूल कर ली गयी।"

इस सम्बन्ध में मुझे सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना है कि ठेकेदारी से संबन्धित जो नियम पहले से प्रचलित थे, उनके अनुसार जितनी मालगुजारी वहां पर मुकर्रर थी उस के अनुसार ८५ प्रतिशत सरकार ले लिया करती थी—जो कि सरकार को स्टे के दौरान में बराबर मिलती रही है और जो लोग मालगुजारी वसूल किया करते थे, जो इन्तजाम करते थे, वह केवल १५ प्रतिशत लेते रहे हैं। इसलिये स्टे के दर्मियान में ऐसा करना कानूनन जायज था। इसलिए आज जो खायी हुई चोज को सरकार की तरफ से उगलवाने का प्रयत्न हो रहा है मैं समझता हूं यह किसी प्रकार से उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री जी, सरकार और यह सदन इस पर विचार करेगा कि या तो इस प्रकार की व्यवस्था को इस बिल से हटाया जाय या इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिस से वहां के लोगों की भी राय ली जा सके और उचित कदम उठाया जाय।

वहां के लोगों ने अपने मेमोरैंडम में यह भी लिखा है—

"इस नये कानून का असर उन व्यक्तियों पर, जो अपनी उम्रें बिता चुके हैं और अब किसी दूसरे कारोबार के काबिल नहीं रहे हैं और न उनमें यह शक्ति है कि वह रकम वापस कर सकें, भी पड़ेगा।"

इस कानून के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गयी है कि जो मुआवजा मिल रहा है उस में से वह रकम मुजरा कर दी जाय, लेकिन यह कहां तक उचित होगा? अगर उन को मुआवजे की रकम दी ही न जाती तब तो वह ज्यादा उचित होता, लेकिन अगर दी जा रही है तो फिर उसमें यह कटौती क्यों की जा रही है? पहले जब विरोधी पक्ष की ओर से यह आवाज उठायी गयी कि मुआवजा न दिया जाय तो सरकार ने प्ली यह लिया कि पुनर्वास के निमित्त ही सही, कुछ न कुछ मुआवजा तो देना ही चाहिए और संविधान में ऐसी व्यवस्था है। तो जब आप मुआवजा दे ही रहे हैं तब फिर उस को काटकर देना उन के पेट पर लात मारना है और मैं समझता हूं कि यह किसी प्रकार से भी उचित नहीं है।

इस प्रकार की और तमाम बातों का उन्होंने वर्णन किया है। इसलिए अगर यह बिल प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जायगा तो उस के सामने बहुत सी चीजें आयेंगी। खासकर जब कि सरकारी अधिकारियों की वायस्ड व्यूज हो गयी हैं और उसी के अनुरूप यह बिल

पेश किया गया है, इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द करना और आवश्यक हो गया है। इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन को पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मन्त्री जी इसको स्वीकार करने की कृपा करेंगे और प्रवर समिति के सुपुर्द करके वहां की जनता की राय भी लेने का प्रयत्न करेंगे।

श्री असलम खां (जिला रामपुर)---सदरे मोहतरम्, सरकार की जानिब से जो बिल पेश किया गया है इस से यह मालूम होता है कि सरकार के व्यू में यह बिल बहुत ही मासूम और रूटीन बिल है। इसलिए सरकार इसे ४, ६ घंटे में ही पास कराना चाहती है।

यह बिल पूरे शहर रामपुर के मिडिल क्लास के बाशिन्दों को बहुत वाइटली अफेक्ट करता है। इस बिल में आर्थिक, लीगल और कांस्टीट्युशनल मुश्किलात हैं और यह म्रोल लिटीगेशन की वजह भी बन सकते हैं। इस बिल के सिलसिले में रामपुर की पट्टेदारी व ठेकेदारी के बारे में, उसकी तवारीख के बारे में, कुछ अर्ज कर देना जरूरी समझता हूं। रामपुर सन् ४९-५० तक एक देशी रियासत थी और वहां का एक खास किस्म का आर्थिक ढांचा था। रामपुर की दो तहसीलें, स्वार और बिलासपुर, जो शुमाल में वाकय हैं, जिला नैनीताल से मिली हुई थीं और तराई में थीं। या तो लोग वहां से भाग जाते थे या मर जाते थे। वह जगह बहुत ही मलेरियस थी। रियासत ने तय किया कि उन तहसीलों में ठेके पर मवाजियात दी जावें और दीं। उन की कुल निकासी का ८५ फी सदी रियासत यानी सरकार ले लेती थी और १५ फी सदी उनको बतौर कलेक्शन चार्जेज के छोड़ दिया जाता था। ये रामपुर टेनेंसी ऐक्ट के रू से किया गया। उन के ठेके जारी थे कि रियासत रामपुर मर्ज हो गयी। बाद में भी यही चलता रहा कि वे लोग ८५ फीसदी सरकार को देते रहे और १५ फीसदी अपनी हकुल मेहनत के तौर पर लेते रहे। सन् ५४ में सरकार की जानिब से अबालिशन आफ पट्टेदारी ऐक्ट लागू किया गया। उस ऐक्ट को नाफिज करके गांवों पर कब्जा भी किया गया। इस के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिट चले और स्टे आर्डर ले लिया गया। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात में सिर्फ यह था कि मवाजियात उन के कब्जे में रहेंगी। यह उन के हुक्म में नहीं था कि सरकार पहले की तरह मालगुजारी लेती रहे। लेकिन ५४ से ५८ तक जब तक ठेकेदारों के रिट खारिज हुये सरकार बराबर मालगुजारी लेती रही और उन के १५ फी सदी पर ऐग्रीकलचरल इन्कम टैक्स भी लगाया। जब रियासत रामपुर मर्ज हुई थी तो उसके बाद पहले अर्डिनेंस की शक्ल में एप्लीकेशन आफ लाज आर्डिनेंस जारी हुई और उस के बाद ऐप्लीकशन आफ लाज ऐक्ट जारी हुआ। जो कवानीन हिन्दुस्तान के थे वे रियासत रामपुर पर नाफिज कर दिये गये यानी जिले रामपुर पर लगाये गये और कुछ वहां के भी रहे। चुनांचे यह रामपुर टेनेंसी ऐक्ट सन् ५८ तक लागू रहा। इसकी दफा २१५ में यह है कि अगर ठेकेदार अपने ठेके की मुद्दत गुजर जाने के बाद कब्जा कायम रखे और ठेका दहिन्दा यानी सरकार उस से लगान को वसूल न करे, तो यह समझा जायगा कि साल-बसाल उन को कब्जा दिया गया। अब सरकार उसे १५ फी सदी भी वसूल करना चाहती है। यहां यह भी अर्ज करना मुनासिब होगा कि ठेकेदारों को ठेके १० साल के लिए दिये जाते थे और अगर उनका काम अच्छा रहता था तो ठेके की मुद्दत बढ़ा दी जाती थी। सन् ५४ में इन ठेकेदारों ने रिट की, किसी का ठेका १ साल के बाद और किसी का ठेका २ साल के बाद खत्म हो गया और कुछ लोगों के ठेके बवस्तूर सन् ५८ तक कायम रहे।

(इस समय २ बजकर ४ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुये।)

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि उस कानून की रू से, जो सन् ५८ तक नाफिज रहा, उसकी दफा २१५ के मातहत वाजे तौर पर यह दिया गया है कि अगर ठेकेदार अपनी मवाजियात पर काबिज रहें और गवर्नमेंट उन से मालगुजारी मंजूर करे, तो यह कयास होगा कि उस ने ठेके साल ब साल दे दिये। अब मेरी समझ में नहीं आता कि उन से १५ फी सदी भी, जैसा कि इस

[श्री असलमखां]

बिल की दफा ३ में दिया है, वसूल किया जाय। इस में बहुत लीगल और फाइनेंशल इम्प्लीकेशन्स होंगे, जिनके लिए यह जरूरी है कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी में जाय और इसके तमाम झोल निकाले जावें। सरकार को भी जहमत नहीं होगी और पब्लिक को भी नहीं होगी कि बाद में लिटिगेशन हो। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का मुनासला करने के लिए भी जरूरी है कि कुछ वक्त मिले कब्ल इसके कि हम इस कानून को पास करें। अगर सरकार मालगुजारी वसूल नहीं करती तो यह समझा जाता कि यह एक तरह का नोटिस है। उस वक्त सरकार की जानिब से किसी मालगुजार ठेकेदार को किसी किस्म का नोटिस नहीं दिया गया और उसको १५ फीसदी मुआवजे के तौर पर या उस की मेहनत के तौर पर कि उसने वीरान जगह को आबाद किया, दिया जाता रहा। उससे ऐग्रीकल्चरल टैक्स भी लिया गया। इन तमाम फाइनेंशल इम्प्लिकेशन्स को देखते हुये और वे बातें जो हाई कोर्ट से तय पायी हैं उनका मुनासला करने की गरज से और इस गरज से कि बाद में कोई कान्फ्लिक्ट न हो, सरकार को अपने इस कानून को, उस की खामियों और उस के झोल को निकालने की गरज से सेलेक्ट कमेटी को सुपुर्द कर देना चाहिए। इस बीच में मेम्बरान को भी यह मौका मिल जायगा कि वे उन १२ सौ लोगों का भी नुक्ते नजर जान सकें जिनको यह कानून एफेक्ट करता है। इन वजूहात से मैं इस ऐवान से इल्तजा करूंगा कि वह इस बिल को, सेलेक्ट कमेटी को इस इजाजत के साथ भेजें कि वह एक महीने में उस पर अपनी रिपोर्ट दे दे।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) (अनुपूरक) (संशोधन) विधेयक, १९५९ (क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि इस स्पीच के बाद अब पहले वाले विधेयक पर सदन की राय ले लूं। इस पर बाद में कार्यवाही जारी रहेगी।

प्रश्न यह है कि यह सदन निश्चय करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) (अनुपूरक) (संशोधन) विधेयक, १९५९ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जावे, जो उसकी परिधि को भी बढ़ा सके और अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में प्रस्तुत कर देवे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) (अनुपूरक) (संशोधन) विधेयक, १९५९ [The Uttar Pradesh State Legislature Members (Prevention of Disqualification) (Supplementary) (Amendment) Bill, 1959] जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)]

खंड २

उ० प्र० अधिनियम संख्या ३, १९५७ की धारा २ का संशोधन।

२---उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य (अनर्हता निवारण) (अनुपूरक) अधिनियम, १९५६ की धारा २ का खंड (ख) निकाल दिया जाय तथा खंड (ग) और (घ) की संख्या बदल कर उन्हें क्रमशः खंड (ख) और (ग) कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) (अनुपूरक) (संशोधन) विधेयक, १९५९

उत्तर प्रदेश राज्य-विधान मण्डल सदस्य (अनर्हता निवारण) (अनुपूरक) अधिनियम, १९५६ को कतिपय प्रयोजनों के लिए संशोधित करने का

विधेयक

संक्षिप्त शीर्षनाम भारतीय गणतंत्र के दसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है : १---यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य-विधान-मण्डल सदस्य (अनर्हता निवारण) (अनुपूरक) (संशोधन) अधिनियम, १९५९ कहलायेगा।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य-विधान-मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) (अनुपूरक) (संशोधन) विधेयक, १९५९, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य-विधान-मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) (अनुपूरक) (संशोधन) विधेयक, १९५९ [The Uttar Pradesh State Legislature Members (Prevention of Disqualification) (Supplementary) (Amendment) Bill, 1959].

जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश सरकार को देय धनराशियों की वसूली (अर्जित आस्थान तथा अवसित पट्टा) विधेयक, १९५९ (क्रमागत)

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---मान्यवर, इस विधेयक पर, जो प्रवर समिति के समक्ष भेजे जाने के लिये जो प्रस्ताव माननीय अवस्थी जी ने तथा दूसरे सदस्य श्री मदन पांडेय व श्री असलम खां ने रखे हैं, मैं उनका विरोध करता हूं।

मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ जब मैंने अवस्थी जी के भाषण को सुना। जिस जमींदारी, ठेकेदारी और पट्टेदारी के अधिनियम को इस सदन ने पास किया और जिसका माननीय सदस्यों ने समर्थन किया, उसको कार्यान्वित होने देने में जिन लोगों ने बाधा डाली, उनको माननीय अवस्थी जी गरीब कहते हैं। जब सदन में यह विधेयक उपस्थित हुआ था तो माननीय अवस्थी जी ने और उनके दल ने कहा था कि उन लोगों को मुआविजा न दिया जाय क्योंकि वे उनको रईस समझते थे लेकिन अब उन्हीं को गरीब बताते हैं। जब यह अधिनियम बन गया और उसको रामपुर में लागू किया जाने लगा तो जिन ठेकेदारों और पट्टेदारों ने उसका विरोध किया उसको लागू होने देने में उन्होंने विलम्ब किया। आज आश्चर्य है कि समाजवादी दल के नेता उन्हीं का समर्थन कर रहे हैं और इस तरह से उनको गरीब बतलाते हैं, जिन मध्यवर्तियों के विनाश का कानून इसी सदन ने पास किया था। इसलिये मान्यवर, मैं समझता हूं कि यह जो प्रस्ताव है यह इसलिये नहीं है कि

[श्री महावीरप्रसाद शुक्ल]

इससे जनता का या किसी गरीब का हित हो बल्कि यह तो इसलिये लाया गया है कि जो भी विधेयक सरकारी तरफ से आवे उसका विरोध करना उनके अभीष्ट रहता है, चाहे उनके साथ तर्क हो या न हो, कारण हो या न हो। जैसा उन्होंने कारण दिया है उससे मालूम होता है कि इस विधेयक को अच्छी तरह से अध्ययन करने का कष्ट उन्होंने गवारा नहीं किया। इसमें पूर्ण रूप से इस बात की व्यवस्था है और सीधा-सा प्रश्न है कि हमको जो लेना है और उनको जो देना है बिना किसी अदालत में गये, बिना किसी प्रकार का मुकदमा किये, आपस में ही यह तय हो जाय। यह बहुत ही सीधा-सादा और संक्षेप विधेयक है। यदि ऐसा न किया गया तो न केवल सरकार को ही हानि होगी, जनता के कोष को ही हानि होगी बल्कि उन व्यक्तियों को भी हानि होगी जो सरकार से मुकदमेबाजी में पड़ेंगे। वे भी वर्षों तक मुकदमा लड़ते रहेंगे और उनको मुआवजा मिल नहीं पायेगा।

साथ ही साथ मान्यवर, यह भी देखता है कि न पट्टेदारों और ठेकेदारों ने ऐसा एक मुकदमा लाकर अड़ंगा पैदा किया जिससे तीन चार वर्षों तक उन्होंने उन आस्थानों पर अपना कब्जा रखा जिनके कायदे से वे मालिक नहीं थे। मैं समझता हूं कि अवस्थी जी, पान्डेय जी और असलम साहब ने कोई ऐसा तर्क नहीं दिया जिससे इस प्रस्ताव का समर्थन होता हो। माननीय असलम साहब ने तो इस विधेयक के विरुद्ध में कुछ कहा ही नहीं। उन्होंने तो इस अधिनियम के खिलाफ बातें कहीं जिसको यह सदन पहले स्वीकार कर चुका है और स्वीकार ही नहीं कर चुका है बल्कि वह लागू भी हो चुका है। इसलिये उनके भाषण में कोई तर्क नहीं था। मैं उनके प्रस्ताव का विरोध करता हूं और आदरणीय सदन से निवेदन करता हूं कि वह मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करें।

श्री मोतीलाल अवस्थी---मान्यवर....

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्री उपाध्यक्ष---वक्त निकल चुका, पहले आप खड़े नहीं हुए थे। अब नियमानुकूल श्री मोतीलाल अवस्थी ही बोलेंगे।

श्री सीताराम शुक्ल---खैर, तीसरा वाचन तो आयेगा।

***श्री मोतीलाल अवस्थी**---श्रीमान् उपाध्यक्ष जी, मैं कुछ बोलना तो नहीं चाहता था लेकिन माननाय शुक्ला जी के तर्ज को देख कर मुझे आवश्यकता दिखलायी पड़ी कि मैं कुछ बोलूं। हमारे शुक्ल जी हाल ही में उपमंत्री हुए हैं जो हमेशा खुली मीटिंग में बोलते रहे। लेकिन अब जब वे सदन में बोला करें तो यह साच कर बोला करें कि वे सदन के सदस्यों के सामने बोल रहे हैं न कि किसी चौराहे की मीटिंग में बोल रहे हैं। मेरे कहे हुए शब्दों को वे अपने ध्यान में नहीं रखते और मैंने देखा है कि जब मैं कभी बोलने के लिये खड़ा होता हूं तो वे उस समय फाइलें देखने लगते हैं या अपने दोस्तों से बातचीत करने लगते हैं, इसी वजह से वे मेरी बात को नहीं सुन पाते हैं। आज भी दो दफा मैंने देखा कि वे मेरे कथन पर ध्यान नहीं देते। जो गरीब शब्द मैंने कहा वह किस माने में कहा, उस रिपोर्ट को पढ़ कर आप देखें। जिस रूप में वे समझते हैं उस रूप में मैंने पट्टेदारों और ठेकेदारों को गरीब नहीं कहा था। मैं उनके द्वारा किसी तरह से वसूलयाबी रोकने के पक्ष में भी नहीं हूं। मैं उनको याद दिहानी ताजा करने के लिये याद दिलाना चाहता हूं कि मैंने कहा था कि मुकदमेबाजी का सिलसिला रोकने के लिये ठंडे दिल से विचार करना चाहिये। और ३, ४ घंटे के अन्दर ही १८ धाराओं वाले रेक्ट को जल्दबाजी में पास करते हैं तो इससे कुछ शक पैदा होता है कि सरकार चाहती है कि उसकी धाराओं पर पूरा-पूरा सर्वांगीण विचार न किया जाय और जल्दी में वह पास हो जाय। इस जल्दबाजी से उनको पूरा नुकसान

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

होता है, उसका मुआवजा भी उनको नहीं मिलेगा। क्योंकि हाईकोर्ट में रिट के जाने से और उसके कामयाब होने से मंत्रिमंडल को सफलता ही दिखाई देता है, उन कानूनों की जल्दबाजी ही दिखाई देता है। अनेक ऐसे उदाहरण हैं कि रिट गये और सरकार का हार हुई और उसे फिर संशोधन विधेयक लाने पड़े जिसमें हजारों लाखों रुपया फिर जनता का व्यय हुआ। पब्लिक लैन्ड ऐक्ट के बारे में हमें याद है कि सरकार को बाद में सुधार कर के लाना पड़ा और उसको पारित करने में कितना रुपया व्यय हुआ। इसका जिम्मेदारी सरकार के ऊपर और उसकी जल्दबाजी की नीति पर है। इसलिये श्री शुक्ल जी को यह शोभा नहीं देता कि वह किसी के कथन को इस तरह से तोड़-मरोड़ कर पेश करें और दूसरों पर जिम्मेदारी थोपने की कोशिश करें।

उन्होंने हमारी पार्टी के लिये कहा कि वह उनका समर्थन करती है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी हो वह पार्टी है जो गरीबों का समर्थन करती है, यह पार्टी गरीबों के हकूक का संरक्षण करने वाली पार्टी है। वह अपना चश्मा उतार कर नहीं देखते बल्कि हर चीज को अपने ही चश्मे से देखते हैं। जब हम कहते हैं कि वह गरीब हैं तो वह समझते हैं कि यह सब को गरीब बना रहे हैं। रामपुर में जो ठेकेदार या पट्टेदार हैं उनकी हालत क्या होगी इससे यह देखा जाय। जो अधिकारी नियुक्त किये जायंगे वह मौके बे मौके उनके साथ अन्याय करेंगे, मैं साफ कहता हूं कि इन अधिकारियों से यह उम्मीद नहीं है कि वे उनके साथ न्याय करेंगे वह निरंकुश अधिकारी होते हैं। रामपुर में भी आज ऐसे बहुत से कृषक होंगे चाहे वह ठेकेदार या पट्टेदार हों क्यों न कहलाते हों कि जो मुकदमेबाजी को बिलकुल नहीं जानते और ऐसी हालत में उनके साथ अन्याय अवश्य होगा। आप इसमें देखें कि एक अपीलेट अथारिटी है और उसके ऊपर फिर दूसरी अपीलेट अथारिटी है इसी से साफ जाहिर है कि इस प्राविजन से मुकदमेबाजी बढ़ेगी। यह भी आप समझ सकते हैं कि इस निर्धन देश में मुकदमेबाजी में जीतता कौन है, वही धनवान जीतते हैं और निर्धन लोग सताये जाते हैं.....

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---हम हारते भी हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी---हमें खुशी होती है जब आप हारते हैं और हमें अब लगता भी है कि बांदा से वाराणसी तक आप हारेंगे। हम चाहते थे कि इस संशोधन द्वारा हम लोगों को इस मुकदमेबाजी से छुटकारा दिला सकते, कुछ उनके संरक्षण की बात कर सकते, जो ग्रामीण क्षेत्र के निस्सहाय लोग हैं उनके बारे में मैंने कहा था, मैंने यह नहीं कहा कि वह किस वर्ग के हैं, मैंने केवल यह कहा था कि यह अधिकारी वर्ग नहीं नियुक्त होने चाहिये क्योंकि सरकार नये अधिकारी वर्ग को बनाती है और उनमें अपने उन उम्मीदवारों की भरती करती है जिनके बल पर वह चुनाव में जीत कर आती है। बहुत से एलेक्शन में वादे होते हैं, नौकरियां देंगे, उन्हीं की पूर्ति के लिये जमीनें क्रियेट होती हैं। ऐसे बिलों के द्वारा वह सब काम पूरे होते हैं, निरंकुश अधिकारी इस तरह से जनता पर थोपे जाते हैं। उन पर बाद में अंकुश रखना बहुत मुश्किल हो जाता है.....

श्री उपाध्यक्ष---जो दलीलें आपने अपने प्रस्ताव के समर्थन में रखी थीं उन्हीं को आप न दोहरायें, उन्होंने जो कहा है उसके जवाब में आप बोलें।

श्री मोतीलाल अवस्थी---मैं कोई विशेष बात कहना नहीं चाहता था लेकिन माननीय शुक्ल जी को अब ध्यान रखना चाहिये कि वह साधिकार हैं और अब जो भी शब्द वह निकालें वह ऐसे होने चाहिये, जो गंभीरता युक्त हों वर्ना हमें उनका जवाब देना ही पड़ेगा और उसको सुनकर वह तिलमिला उठेंगे। हम उनकी बात को सुनने को तैयार हैं लेकिन वह समझ कर बोला करें। उनकी बात का हम हमेशा सहर्ष जवाब देने को तैयार हैं।

श्री मदन पांडेय---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मंत्री जी की ओर से जो उत्तर हमारे संशोधन के बारे में दिया गया है उसको सुनकर मुझे थोड़ा ताज्जुब हुआ। यदि अपोजीशन के लोग कहें कि मंत्री लोगों के कान बहरे हो गये हैं हमारी तकलीफें नहीं सुनाई पड़ती हैं या कागजात को नहीं पढ़ते हैं तब तो समझ में आने वाली बात है। विरोधी पक्ष का आदमी जिस वक्त बोलने को खड़ा होता है तो वह एक-एक शब्द को पढ़ने के बाद आता है। इस लिये मैं माननीय मंत्री जी के आरोप से सहमत नहीं हूं। मैं यह कहना चाहूंगा कि अपने बनाये हुए विधेयक को संभवतः उन्होंने ही भली-भांति नहीं देखा है और इसीलिये जो हमने दलील दी है उनका सार उन्हें नहीं दिखाई दे रहा है। मैंने एक बात पर विशेष रूप से जोर दिया है कि जो लोग इस मामले को लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गये थे उन लोगों को प्रतिशोध की भावना से पैनेलाइज करने के लिये यह बिल लाया गया है। उस बात का कोई उत्तर नहीं दिया गया और यह संकेत किया गया है कि इस तरह के भले कानून में बाधा डाली जा रही है? मैं कहना चाहता हूं कि सबके साथ एक सा व्यवहार होना चाहिये। जब जमींदारी विनाश नहीं हुआ था तब बहुत-सी बातें जमींदारों के खिलाफ कहने के लिये आपके पास थीं। लेकिन अब उनमें से बहुत से लोगों को आपने अपने बगल में बैठा रखा है। मैं फिर माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो लोग ८५ परसेन्ट आपको देते रहे हैं और केवल १५ प्रतिशत में सारी वसूली का काम करते रहे हैं उनके लिये नया कानून बना कर रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट से वसूली करने की बात की जाय, यह उचित नहीं मालूम पड़ता है।

मैं समझता हूं कि हम लोगों की बात सुनने के बाद अब माननीय मंत्री जी इस बात की घोषणा करेंगे कि यह विधेयक या तो वापस लिया जा रहा है या सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जा रहा है जिससे कि रामपुर की जनता को जिसके कि वह हितु होने का दम भरते हैं, राय देने का मौका मिल सके। इस शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन को प्रेस करता हूं।

***श्री हुकुमसिंह विसेन**---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने कुछ मित्रों की बात इस वक्त सुनी। उस संबंध में मुझे कुछ ज्यादा कहना नहीं है। जो पहला ऐक्ट पास हुआ था एबालीशन का उसके खिलाफ रिट दाखिल हुई, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई हुई और उस दरम्यान स्टे आर्डर हो गया। उस दरम्यान में जो ठेकेदार लोग हैं उन्होंने मालगुजारी वसूल की। फिर रिट खारिज हो गई। तो जिस तारीख को हमारा ऐक्ट लागू हुआ उस तारीख को वह जायज हो गया और उन्हें वसूल करने का कोई अख्तियार नहीं रहा। लिहाजा जो उन्होंने वसूल किया वह नाजायज है। इस बिल का मंशा यह है कि जितना उनका कम्पेन्सेशन निकले वह हम दे दें। और जितना उन्होंने नाजायज तरीके से वसूल किया है वह हमें दें। बिलकुल बनिये का हिसाब है, जो हमारा है वह दीजिये और जो आपका है वह लीजिये। अपर हाउस से यह बिल पास होकर आया है। हमारे भाई कहते हैं कि संयुक्त प्रवर समिति में भेजा जाय। उस हाउस ने तो पास कर दिया। तो अब मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त वाली बात है। इन शब्दों के साथ मैं संशोधन का विरोध करता हूं और समझता हूं कि सदन हमारे बिल को मंजूर करेगा।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि यह सदन निश्चय करता है कि उत्तर प्रदेश सरकार को देय धनराशियों का वसूली (अर्जित आस्थान तथा अवसित पट्टा) विधेयक, १९५९ को एक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जावे जो अपना प्रतिवेदन १५ दिन के अन्दर प्रस्तुत कर दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार को देय धनराशियों की वसूली (अर्जित आस्थान तथा अवसित पट्टा) विधेयक, १९५९ को सदन की प्रवर समिति के सुपुर्द

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किया जाय जो पूर्ण विचार तथा रामपुर जिले की स्थानीय जनता से जानकारी प्राप्त कर १ माह के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार को देय धनराशियों की वसूली (अर्जित आस्थान तथा अवसित पट्टे) विधेयक, १९५९ [The Uttar Pradesh Recovery of Government Dues (Acquired Estates and Determined Leases) Bill, 1959] जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २—५

२—विषय या प्रसंग में कोई प्रतिकूल बात न होने पर इस अधिनियम में— परिभाषायें

(क) शब्द "असिस्टेन्ट कलेक्टर" तथा "कलेक्टर" के अर्थ वही होंगे जो यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ में दिये गये हैं; यू० पी० ऐक्ट संख्या ३, १९०१

(ख) किसी क्षेत्र के निहित आस्थानों या अवसित पट्टों के सम्बन्ध में प्रयुक्त ऐसे शब्दों तथा पदावलियों के, जो इस अधिनियम में परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश अधिनियम, १९५३ तथा उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश अधिनियम, १९५८ में अथवा उत्तर प्रदेश में आस्थानों के या उनमें अधिकारों के, जैसी भी दशा हो, अर्जन से सम्बद्ध किसी अन्य विधि में उन्हें दिये गये हों; १९५१ ई० का उ० प्र० अधिनियम संख्या १ उ० प्र० अधिनियम संख्या १०, १९५४ उ० प्र० अधि० नियम संख्या १, १९५९

(ग) पदावलि "सरकार को देय धनराशि" के अन्तर्गत वे सभी धनराशियां हैं जो किसी आस्थान के अर्जन या पट्टे के अवसान के फलस्वरूप उस समय प्रचलित तत्संबंधी किसी अधिनियमिति के अधीन राज्य सरकार को देय हुई हों या देय हो जायं किन्तु जो भूतपूर्व मध्यवर्ती या पट्टेदार के, जैसी भी दशा हो, बिना आगम (title) के कब्जे में रहने के कारण राज्य सरकार द्वारा वसूल न की जा सकी हों;

(घ) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों द्वारा नियत से है; तथा

(ङ) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है।

३—(१) तत्संबंधी किसी अधिनियमिति के अधीन राज्य सरकार द्वारा अर्जित किसी आस्थान के या उसके द्वारा अवसित किसी पट्टे के अन्तर्गत भूमि के संबंध में, "सरकार को देय सकल धनराशि" उन समस्त धनराशियों का योग होगी जो राज्य सरकार को आस्थान के अर्जन या पट्टे के अवसान के फलस्वरूप देय हुई हो या देय हो जायं। किसी आस्थान या पट्टे के संबंध में सरकार को देय सकल धनराशि

(२) सरकार को देय सकल धनराशि की गणना करते समय निम्नलिखित का ध्यान रखा जायगा:--

(क) जब तक कि इसके विपरीत सिद्ध न कर दिया जाय, निम्नलिखित सब धनराशियां भूतपूर्व मध्यवर्ती या पट्टेदार द्वारा, जैसी दशा हो, प्राप्त की गयी समझी जायंगी--

१९५१ ई० का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १

(१) '१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम' की धारा ३९ में उल्लिखित कच्ची निकासी, और

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १०, १९५४

(२) रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश अधिनियम, १९५३ तथा उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश अधिनियम, १९५८ की धारा ९ में उल्लिखित कच्ची निकासी; तथा

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १, १९५९

(ख) समस्त धनराशियां जो आस्थान या पट्टे में, जैसी भी दशा हो अधिकारों के संबंध में भूतपूर्व मध्यवर्ती या पट्टेदार द्वारा प्राप्त की गई सिद्ध हों ।

(३) उपधारा (२) के उपबन्ध उस समय प्रचिलत तत्संबंधी किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन अर्जित किसी आस्थान या अवसित किसी पट्टे पर भी आवश्यक परिवर्तनों के साथ प्रवृत्त होंगे ।

सरकार को देय शुद्ध धनराशि

४--किसी भूतपूर्व मध्यवर्ती या पट्टेदार से वसूलने योग्य "सरकार को देय शुद्ध धनराशि" का अवधारण करते समय धारा ३ के उपबन्धों के अनुसार गणना की गई सरकार को देय सकल धनराशि में से, निम्नलिखित की कटौती कर दी जायगी--

(क) आस्थान या पट्टे के, जैसी भी दशा हो, संबंध में मालगुजारी या लगान की समस्त धनराशियां या कोई अन्य देय धनराशियां, जिनका भुगतान भूतपूर्व मध्यवर्ती या पट्टेदार राज्य सरकार को पहले ही कर चुका हो ;

१९५१ ई० का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १ उ० प्र० अधिनियम संख्या १०, १९५४ उ० प्र० अधिनियम संख्या १, १९५९

(ख) '१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम' या तत्समय प्रचलित किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन अर्जित किसी आस्थान की दशा में, प्रबन्ध व्यय तथा लगान के वसूल न किये जा सकने वाले बकाये के लिये, सरकार को देय सकल धनराशि की १० प्रतिशत धनराशि और रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश अधिनियम, १९५३ या उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश अधिनियम, १९५८ के अधीन अवसित पट्टों की दशा में कच्ची निकासी तथा पट्टेदार द्वारा देय लगान के अन्तर के १६ २/३ प्रतिशत के बराबर धनराशि ;

(ग) आस्थान या पट्टे के संबंध में "१९४८ ई० का संयुक्त प्रांतीय कृषि आय कर ऐक्ट" की धारा २ के खंड (२) में यथापरिभाषित कृषि आय-कर के रूप में या उत्तर प्रदेश बृहत्-जोत-कर अधिनियम, १९५७ की धारा २ के खंड (१३) में यथापरिभाषित जोतकर के रूप में भूत-पूर्व मध्यवर्ती या पट्टेदार द्वारा, जैसी भी दशा हो, भुगतान की गई धनराशि। संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या ३, १९४९ ई० उ० प्र० अधिनियम संख्या ३१, १९५७

प्रतिकर के भुगतान का स्थगन

५--यदि सरकार को देय किसी धनराशि का भुगतान न हुआ हो तो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ विशेष रूप से अधिकृत प्रथम श्रेणी का कोई असिस्टेंट कलेक्टर (जिसे आगे "निर्धारक अधिकारी" कहा गया है) प्रतिकर निर्धारण करने तथा भूतपूर्व मध्यवर्ती या पट्टेदार को, जैसी भी दशा हो, उसका भुगतान करने के लिये अधिकृत अधिकारी से अपेक्षा कर सकता है कि वह उसे (भूतपूर्व मध्यवर्ती या पट्टेदार को) उसका भुगतान तब तक के लिये स्थगित कर दे जब तक कि सरकार को देय शुद्ध धनराशि का भुगतान या उसकी वसूली न हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २ से ५ तक इस विधेयक के अंग माने जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६-१८

सरकार को देय शुद्ध धनराशि का अवधारण

६--(१) निर्धारक अधिकारी, यथाशक्य शीघ्र, एक विवरण-पत्र तैयार करायेगा जिसमें सरकार को देय सकल धनराशि, अनुमत कटौतियों की धनराशियां तथा धारा ४ के अधीन भूतपूर्व मध्यवर्ती या पट्टेदार से, जैसी भी दशा हो, वसूलने योग्य पायी गई सरकार को देय शुद्ध धनराशि दिखायी जायगी तथा इस प्रकार तैयार किये गये विवरण-पत्र की एक प्रतिलिपि सहित एक नोटिस उस पर तामील करायेगा, जिसमें उसे नोटिस के तामील होने के दिनांक से तीस दिन की अवधि के भीतर इस बात का कारण प्रकट करने का अवसर दिया जायगा कि उससे सरकार को देय शुद्ध धनराशि की वसूली क्यों न की जाय। विवरण-पत्र सहित नोटिस सम्बद्ध व्यक्ति पर ऐसी रीति से, जो नियत की जाय, तामील किया जायगा।

(२) उपधारा (१) के अधीन नोटिस के अनुसरण में, सरकार को देय शुद्ध धनराशि की शुद्धता के संबंध में प्रस्तुत की गई कोई आपत्ति, आपत्तिकर्ता को सुनवाई का तथा यदि कोई साक्ष्य हो तो उसे प्रस्तुत करने का, समुचित अवसर देने के पश्चात्, निर्धारक अधिकारी द्वारा निस्तारित की जायगी तथा उक्त अधिकारी सरकार को देय शुद्ध धनराशि अवधारित तथा घोषित करेगा, मानो कि वह सक्षम न्यायालय हो।

(३) यदि उस व्यक्ति द्वारा, जिस पर उपधारा (१) में निर्दिष्ट नोटिस तथा विवरण-पत्र तामील किया गया हो। का तावधि के भीतर कोई आपत्ति प्रस्तुत न की जाय तो निर्धारक अधिकारी विवरण-पत्र में निर्दिष्ट वसूलने योग्य धनराशि को, सरकार को देय शुद्ध धनराशि घोषित करेगा।

(४) धारा ७ के अधीन अपील के परिणाम के अधीन रहते हुए उपधारा (२) के अधीन आदेश, उपधारा (३) के अधीन आदेश, और उपधारा (६) के अधीन अपील के परिणाम के अधीन रहते हुए उपधारा (५) के अधीन आदेश अंतिम तथा निश्चायक होंगे और किसी विधि न्यायालय में उन पर आपत्ति नहीं की जायगी।

(५) निर्धारक अधिकारी उस व्यक्ति के, जिसके विरुद्ध उपधारा (३) के अधीन आदेश दिया गया हो, प्रार्थना-पत्र देने तथा आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर अनुपस्थिति का पर्याप्त कारण दिखाये जाने पर, आदेश रद्द कर सकता है और उसे उपधारा (१) के अधीन तैयार किये गये विवरण-पत्र के विरुद्ध आपत्ति प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है ।

(६) उपधारा (५) के अधीन किसी आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, उस आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर उस व्यवहार न्यायाधीश (सिविल जज) को अपील प्रस्तुत कर सकता है जिसके अधिक्षेत्र के भीतर विवादग्रस्त भूमि स्थित हो और इस संबंध में व्यवहार न्यायाधीश का आदेश अंतिम तथा निश्चायक होगा और किसी विधि न्यायालय में उस पर आपत्ति नहीं की जायगी ।

(७) कोई आपत्ति, जिसे उपधारा (५) के अधीन या उपधारा (६) के अधीन अपील के परिणामस्वरूप प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई हो उपधारा (२) में निर्धारित रीति से सुनी तथा निर्णीत की जायगी ।

(८) इस धारा के अधीन किसी कार्यवाही में राज्य सरकार को भी उसका एक पक्ष बनाया जायगा और उसका प्रतिनिधित्व ऐसे प्राधिकारी द्वारा किया जायगा, जो नियत किया जाय ।

अपील

७--धारा ६ की उपधारा (२) के अधीन अपने विरुद्ध दिये गये किसी आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, आदेश के दिनांक से तीस दिन की अवधि के भीतर उस जिला न्यायाधीश (डिस्ट्रिक्ट जज) के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है, जिसके अधिक्षेत्र के भीतर अर्जित आस्थान या पट्टे के अन्तर्गत भूमि स्थित हो । उक्त जिला न्यायाधीश या व्यवहार-न्यायाधीश जिसे धारा ८ के अधीन अपील संक्रमित की जाय, सम्बद्ध पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् सरकार को देय शुद्ध धनराशि अंतिम रूप से अवधारित तथा घोषित करेगा । इस संबंध में जिला न्यायाधीश या व्यवहार न्यायाधीश का, जैसी भी दशा हो, निर्णय अंतिम और निश्चायक होगा और किसी विधि न्यायालय में उस पर आपत्ति नहीं की जायगी ।

अपीलों का संक्रमण

८--जिला न्यायाधीश, धारा ७ के अधीन अपने समक्ष प्रस्तुत की गई किसी अपील को अपने अधीनस्थ किसी व्यवहार-न्यायाधीश (सिविल जज) को संक्रमित कर सकता है ।

सरकार को देय धन-राशियां देय प्रतिकर पर प्रथम भार होंगी

९--भूतपूर्व मध्यवर्ती या पट्टेदार से, जैसी भी दशा हो, वसूलने योग्य सरकार को देय समस्त धनराशियां, "१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम" या रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश अधिनियम, १९५३ अथवा उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश अधिनियम, १९५८ या आस्थानों के अर्जन या पट्टों के अवसान से, जैसी भी दशा हो, सम्बद्ध किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन उसको देय प्रतिकर की धनराशि पर प्रथम भार होंगी, भले ही किसी अन्य विधि या किसी न्यायालय अथवा प्राधिकारी के आदेश में कोई प्रतिकूल बात दी हुई हो ।

१९५१ ई० का उ० प्र० अधिनियम संख्या १ १०, १९५४ उ० प्र० अधि-नियम संख्या १ १९५९

१०—वसूली की किसी अन्य रीति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सरकार को सरकार को देय समस्त शुद्ध धनराशि भूतपूर्व मध्यवर्ती या पट्टेदार से, जैसी भी दशा हो, "१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम" या रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश अधिनियम, १९५३ अथवा उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश अधिनियम, १९५८ या आस्थानों के अर्जन अथवा पट्टों के अवसान से सम्बद्ध किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन उसे देय प्रतिकर की धनराशि से कटौती करके वसूल की जा सकती है और यदि कोई धनराशि शेष हो तो वह मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी । देय शुद्ध धनराशि का समायोजन १९५१ ई० का उ० प्र० अधिनियम संख्या १ उ० प्र० अधिनियम संख्या १०, १९५४ उ० प्र० अधिनियम संख्या १, १९५९

११—धारा ३, ४, ५, ६, ९, १० तथा १२ में शब्द "मध्यवर्ती" तथा "पट्टेदार" के अन्तर्गत उनके विधिक प्रतिनिधि भी होंगे । मध्यवर्ती तथा पट्टेदार के अन्तर्गत विधिक प्रतिनिधि भी होंगे

१२—ज्यों ही सरकार को देय शुद्ध धनराशि धारा ६ या धारा ७ के अधीन, जैसी भी दशा हो, अंतिम रूप से अवधारित तथा घोषित हो जाय, निर्धारक अधिकारी प्रतिकर का निर्धारण तथा भुगतान करने के लिये अधिकृत अधिकारी को अंतिम आदेश की एक प्रति भेजेगा । "१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम" या रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश अधिनियम, १९५३ अथवा उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश अधिनियम, १९५८ या आस्थानों के अर्जन अथवा पट्टों के अवसान से सम्बद्ध किसी अन्य अधिनियमिति में किसी अन्य बात के होते हुये भी, उक्त अधिकृत अधिकारी आस्थान क अर्जन या पट्टे के अवसान के लिये, जैसी भी दशा हो, भूतपूर्व मध्यवर्ती या पट्टेदार को देय प्रतिकर में से आदेश में उल्लिखित धनराशि वसूल करेगा तथा यदि सरकार को देय शुद्ध धनराशि का कोई शेष हो, जो वसूल न किया जा सका हो, तो वह उसकी सूचना निर्धारक अधिकारी को देगा, जो उसकी वसूली मालगुजारी के बकाया के रूप में करने के लिये कलेक्टर को एक प्रमाण-पत्र जारी करेगा। सरकार को देय शुद्ध धनराशि की वसूली १९५१ ई० का उ० प्र० अधिनियम संख्या १, उ० प्र० अधिनियम संख्या १०, १९५४ उ० प्र० अधिनियम संख्या १, १९५९

१३—इस अधिनियम के अधीन जांच करने वाले या आपत्ति की सुनवाई करने वाले निर्धारक अधिकारी को, जहां तक यह प्रयोज्य हो, व्यवहार न्यायालय (सिविल कोर्ट) के समस्त अधिकार तथा विशेषाधिकार प्राप्त होंगे और वह कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ में अचल सम्पत्ति के सम्बद्ध वादों का परीक्षण तथा निस्तारण के लिये निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा । निर्धारक अधिकारी के आपत्तियों की सुनवाई तथा उनके निस्तारण के अधिकार तथा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ऐक्ट संख्या ५, १९०८

अपीलीय न्यायालय के अधिकार तथा उसके द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ऐक्ट संख्या ५, १९०८

१४--इस अधिनियम के अधीन किसी अपील की सुनवाई और उसका निर्णय करने में अपीलीय न्यायालय को व्यवहार न्यायालय के समस्त अधिकार तथा विशेषाधिकार प्राप्त होंगे और वह कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ में, अपीलों की सुनवाई तथा उनका निस्तारण करने के लिये निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा ।

अधिनियम के अधीन किये गये कार्यों का संरक्षण

१५--इस अधिनियम के या तदधीन दिये गये किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावना से किये गये अथवा किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी कार्य के कारण किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अधिनियम उन दशाओं में प्रवृत्त न होगा जिन में कब्जा नहीं लिया गया है

१६--इस अधिनियम के अधीन सरकार को देय धनराशि के अवधारण तथा उसकी वसूली के लिये कोई भी कार्यवाही उस दिनांक से पहले नहीं की जायगी जब राज्य सरकार को ऐसे अर्जित आस्थान या अवसित पट्टे के अन्तर्गत भूमि का, जिससे उक्त कार्यवाही सम्बद्ध हो, कब्जा मिले ।

इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८ की प्रवृत्ति ऐक्ट संख्या ९, १९०८

१७--इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८ की धारा ५ तथा १२ के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन समस्त कार्यवाहियों पर, जिनके अन्तर्गत अपीलों, प्रार्थना-पत्रों तथा आपत्तियों की कार्यवाहियां भी हैं, प्रवृत्त होंगे।

नियम बनाने का अधिकार

१८--(१) राज्य सरकार सरकारी गजट में पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।

(२) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम सरकारी गजट में प्रकाशित किये जायेंगे और जब तक कोई वाद का दिनांक निश्चित न किया जाय उक्त प्रकाशन के दिनांक से प्रचलित होंगे ।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मंडल के समक्ष कम से कम चौदह दिन तक रखे जायेंगे और वे ऐसे परिष्कारों के अधीन रहेंगे जो विधान-मंडल अपने उस सत्र में करे जिसमें वे (नियम) उसके समक्ष रखे जायं ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से खंड ६ और ७ का विरोध करना चाहता हूं। खंड ६ में इस बात का प्राविधान किया गया है कि ६ (१) निर्धारक अधिकारी, यथाशक्य शीघ्र, एक विवरण-पत्र तैयार करायेगा जिसमें सरकार को देय सकल धनराशि .....

श्री उपाध्यक्ष---पूरा खंड पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्री उग्रसेन---तो इस धनराशि की वसूली सरकार कर रही है, उसके लिये एक निर्धारक अधिकारी के पद को सृजित किया जायगा और उसी के द्वारा यह कराया जायगा। तो निर्धारण में थोड़ी उदारता जरूर बरतनी चाहिये। यह सही है कि वह लोग सुप्रीम कोर्ट से हार गये। यदि निर्धारक अधिकारी को ज्यादा अधिकार दिये जायंगे, जैसा इसमें दिया गया है, मेरा कहना है कि निर्धारक अधिकारी को इतने अधिक अधिकार नहीं देने चाहिये और जब वह नोटिस तामील कराये तो उस व्यक्ति को पूरा-पूरा समय दिया जाय ताकि वह अपनी बातें रख सके। और यदि उसको यहां न्याय न मिल सके तो वह आगे भी जा सके। इस अधिकारी को जो ज्यादा अधिकार दिये जा रहे हैं उसका मैं विरोध करता हूं।

खंड ७ में जो कहा गया है कि "इस संबंध में जिला न्यायाधीश या व्यवहार न्यायाधीश का, जैसी भी दशा हो, निर्णय अंतिम और निश्चायक होगा और किसी विधि न्यायालय में उस पर आपत्ति नहीं की जायगी"।

तो जिला जज का निर्णय अन्तिम माना गया है। एक जगह और लिखा गया है कि इसका निर्धारण कैसे होगा। तो उसमें सिविल प्रोसीजर की पद्धति अपनायी जायगी और उसक अनुसार ही उसका निर्णय किया जायगा। एक ही विधेयक में दो तरह की चीजें लिखी गई हैं। इसलिये मेरा कहना है कि यदि किसी आदमी को किसी प्रकार का क्षोभ हो तो उसे अन्तिम अदालत तक जाने का अधिकार मिलना चाहिये। संभवतः न्याय से संबंधित जितने कानून हैं सब में ऐसी व्यवस्था है। अतः इसमें भी होनी चाहिये। अगर ऐसा नहीं किया जायगा तो नतीजा यह होगा कि कर निर्धारण अधिकारी जल्दी-जल्दी खानापूरी कर लेंगे, नोटिस चस्पा करायेंगे और इस जल्दी-जल्दी में अगर कहीं कोई कसर रह जायगी तो वह व्यक्ति न्याय पाने के लिये अन्तिम न्यायालय तक नहीं जा सकेगा। इसलिये मेरी अपील है कि जो अपील की असुविधा दी गई है उसको दूर किया जाय और अपील की सुविधा दी जाय। इन शब्दों क साथ में खन्ड ६ और ७ का विरोध करता हूं।

***श्री हुकुमसिंह विसेन**---श्रीमन्, हमारे मित्र ने खंड ६ और ७ का विरोध करते हुए यह कहा कि इसमें हाई कोर्ट तक अपील करने का राइट होना चाहिये। मैं जहां तक समझता हूं कि हाई कोर्ट की अपील किसी सर्टेन वैल्यूएशन के बाद हुआ करती है और उस वैल्यूएशन से कम किसी केस की वल्यूएशन होती है तो उसकी अपील डिस्ट्रिक्ट जज तक होती है तो यह कह देना कि हर मामले में हाई कोर्ट तक अपील का प्रबन्ध इसमें किया जाय यह किसी तरह से मुमकिन नहीं है।

दूसरे यह कि कम्पेन्सेशन आफिसर को हमने इसमें सिविल कोर्ट की पावर्स दी हैं। सेक्शन १३ हमारे मित्र पढ़ लें उसमें साफ हो जायगा कि इसमें काफी मौका दिया कि नोटिस तामील होने के ३० दिन के अन्दर किसी को कुछ शिकायत हो कम्पेन्सेशन आफिसर की कार्यवाही से तो उसको उज्रदारी करने का अधिकार है और उसे मौका दिया जायगा और जरूरत समझे तो सीधे भी भेज सकता है और उसके बाद अगर माकूल वजूहात होंगे तो कम्पेन्सेशन आफिसर अपने उस स्टेटमेन्ट को अमेंड भी कर सकता है। उसके बाद भी अगर किसी को उसके फैसले से इत्मीनान न हो तो डिस्ट्रिक्ट जज को अधिकार दिया गया है जो कि जिले का सब से बड़ा सिविल आफिसर जुडिशियल साइड का होता है। अगर हमारे मित्र जमींदारी एबालिशन ऐक्ट भी देखेंगे तो उसमें भी इसी लाइन पर सब बातें रखी गयी थीं जो कि इस सदन से पास हुआ है और जिसके अमलदरामद में किसी को ऐसी शिकायत नहीं हुई। तो मैं समझता हूं कि जैसा प्रोसीजर दफा ७ में रखा गया है वह निहायत मौजूं और मुनासिब है। इसमें किसी की हकतल्फी नहीं होगी। अपनी बात कहने के लिये

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हुकमसिंह विसेन]

दूसरी पार्टी को भी पूरा-पूरा अधिकार होगा। इन शब्दों के साथ मैं फिर अर्ज करता हूं कि सदन और खास कर मेरे मित्र उग्रसेन जी अपनी मुखालिफत वापस लेंगे और इन दोनों बिलों को भी पास करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ६ से १८ तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

उत्तर प्रदेश सरकार को देय धनराशियों की वसूली (अर्जित आस्थान तथा अवसित पट्टे) विधेयक, १९५९

सरकार को देय धनराशियों की जो ऐसे व्यक्तियों द्वारा ली गयी जिन्हें उनको पाने का हक नहीं था, वसूली तथा प्रासंगिक मामलों की व्यवस्था करने के लिये ;

विधेयक

यह इष्टकर है कि सरकार को देय धनराशियों की, जो ऐसे व्यक्तियों द्वारा ली गयीं जिन्हें उनको पाने का हक नहीं था, शीघ्र वसूली तथा प्रासंगिक मामलों की व्यवस्था की जाय ;

अतएव भारतीय गणतंत्र के दसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्ष- नाम तथा प्रसार १---(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सरकार को देय धनराशियों की वसूली (अर्जित आस्थान तथा अवसित पट्टा) अधिनियम, १९५९ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार को देय धनराशियों की वसूली (अर्जित आस्थान तथा अवसित पट्टा) विधेयक, १९५९, जैसा कि वह विधान परिषद द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

*श्री सीताराम शुक्ल---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज कतई मेरा विचार बोलने का नहीं था और जब यहां आया और इस विधेयक को देखा और माननीय मदन पान्डेय को स्पीच सुनी तो बोलना अपनी ड्यूटी समझा। मुझे खुशी हुई कि अभी तक ये भाई हमेशा जमींदारों की मुखालिफत करते थे लेकिन आज देखकर खुशी हुई कि इनके दिल में भी थोड़ी जगह उनके लिये है।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय शुक्ल जी, इस प्रदेश में क्या कोई जमींदार भी है ?

श्री सीताराम शुक्ल---एक्स-जमींदारों से मेरा मतलब था। आपने फरमाया कि जिन्होंने रिट दाखिल किया था वे गवर्नमेन्ट बबेज पर जाकर बैठ गये। तो इसकी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुखालिफत नहीं होनी चाहिये। गवर्नमेन्ट वह कड़ी है जो मुखालिफ को भी दोस्त बना ले। अगर फिट है और गवर्नमेन्ट बेंचेज पर बैठ गये तो कोई शिकायत नहीं होना चाहिये अगर फिट नहीं है और बैठ गये तब तो शिकायत होगी।

एक बात की तरफ और ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय मंत्री शुक्ल जी ने अपनी जबान मुबारक से फरमाया यह है, वह है। मैं पसन्द करता हूं कि. . . .

श्री हुकुमसिंह विसेन---शुक्ल-शुक्ल की लड़ाई में हमें तो अलग रखिये।

श्री सीताराम शुक्ल---ठाकुर साहब, आपने नहीं पेश किया है। पेश किया था शुक्ल जी ने। उनके मुंह से जो बात निकली है उसका मैं जवाब दे रहा हूं। आपने फरमाया कि मालगुजारी की तरह से उसको वसूल किया जायगा। सिर्फ इसी एक शब्द पर मुझे एतराज है। मालगुजारी की तरह से अगर वसूल किया जायगा तो हवालात में बन्द भी किया जायगा। मेरी गुजारिश है कि हवालात में नहीं बन्द करना चाहिये। जब हम गुलाम थे, अंग्रेज यहां थे तब हम शिकायत किया करते थे कि महा अन्धेर है, इन्सान गिरफ्तार किया जाता है गरीबी की वजह से। आपको पूरा अख्तियार है वसूल करने का, कोई अगर शरारत करता है, नहीं देता है, तो नीलाम करा लें, मगर कोई इन्सान गरीबी की वजह से गिरफ्तार किया जाय, वह देना चाहता है मगर पैसा उसके पास नहीं है इत्तिफाक से और वह रस्सी से बांध करके गांव से ले जाया जाय हवालात में, वहां खाना भी नहीं मिलता है, चोर, डकैतों को तो मिलता है मगर उसके लिये घर वालों को पहुंचाना पड़ेगा. . . .

श्री हुकुमसिंह विसेन---अब मिलता है।

श्री सीताराम शुक्ल---मेरी प्रार्थना है कि यह चीज बन्द होनी चाहिये। अब अपनी सरकार है, जनता की चुनी हुई सरकार है---

यहि आसा अटक्यों रह्यो अलि गुलाब के फूल,
अइहैं फेरि बसन्त ऋतु इन डारिन वे फूल।

जब गुलामी थी तब गरीबी से गिरफ्तार होना मजबूरन बर्दाश्त करते थे। इसी सिलसिले में एक बात मैं और कह दूं, शायद अप्रासंगिक नहीं होगा। गरीब होते कैसे आदमी हैं---एक्सेप्शन तो हर जगह है---मगर धनी होता है हृदयहीन, बड़ा किफायतशार आदमी धनी होता है। गरीब होता है उदार आदमी। कोई भूखा आया उसको दे दिया। निराला एक कवि हैं। उनको अगर कोई कम्बल देता है तो वहां से तो ले लेते हैं ? मगर रास्ते में किसी को दे देते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि गरीब होना कोई पाप नहीं है। उसके हाथ में हथकड़ी डालना अन्याय है, अधर्म है। महाभारत का एक किस्सा ठाकुर साहब को याद दिलाता हूं। जिस वक्त युधिष्ठिर के यहां यज्ञ हुआ तो एक नेवला इधर-उधर लोट रहा था जिसका आधा धड़ सोने का था। लोगों ने पूछा कि तुम इधर-उधर क्यों लोट रहे हो। उसने कहा कि एक गरीब के यहां एक मेहमान आया। मुश्किल से उसके पास एक सेर सत्तू था। जैसे ही वह खाने पर बैठा कि एक आदमी ने कहा, "जय हो"। उसने खुद खाना छोड़कर अपने हिस्से का सत्तू उसे दे दिया और पूछा कि ठीक है। उसने कहा हां, ठीक है। तो उसने कहा, नहीं और अपनी स्त्री का हिस्सा भी दे दिया। फिर पूछा कि ठीक है। तो उसने वही जवाब दिया। इस पर उसने अपने बच्चे का भी हिस्सा उसे दे दिया और खुद यों ही हाथ धो कर उठ खड़ा हुआ। तो उस कीचड़ में लोटने से जितना हिस्सा मेरा कीचड़ में रहा वह सोने का हो गया। उसी ख्याल से मैं यहां भी इधर उधर लोट रहा था कि बाकी हिस्सा भी सोने का हो जाय। तो इसी खयाल से मुझे विश्वास है कि मंत्री जी गरीबों पर दया करेंगे।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा अपने श्रद्धेय मित्र श्री सीताराम जी शुक्ल से निवेदन करना चाहता हूं कि जब हाथी बेच दिये तो गजवान के लिए झगड़ा नहीं करना चाहिए, यानी सारे विधेयक पर पूर्ण रूप से विचार हो चुका है। अब पारित होने के ऊपर आपने आपत्ति उठायी है यह उपयुक्त नहीं है। लीगल फ़ेजियालोजी में लैन्ड रेवेन्यू की तरह वसूल होने के शब्द लाने आवश्यक थे। इसमें कोई गिरफ्तारी की या गरीबी की बात नहीं है इसके अतिरिक्त दूसरे शब्द नहीं हो सकते थे। जो शंका आप को है वह सम्भवतः विधि या विधान में जानकारी न होने के कारण हुई है लेकिन वह विद्वान हैं और यदि वह इस पर विचार करेंगे तो समझ सकते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो आप ने आपत्ति की है उस पर वह विचार करेंगे तो मालूम होगा कि वह सारविहीन हैं। इसमें न कोई गिरफ्तारी का प्रश्न है और न कोई गरीबी का प्रश्न है केवल वसूली का प्रश्न है और इन शब्दों के अतिरिक्त अन्य शब्द नहीं हो सकते थे। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है।

*राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा विचार इस पर बोलने का नहीं था लेकिन मन्त्री जी के भाषण को सुनने के बाद मैं कुछ कहना उचित समझता हूं। मन्त्री जी ने किस सफाई से कहा है कि यह विधेयक केवल इसलिए आया है कि जो रुपया रिट कर के रुका रक्खा है वह वसूल किया जाय। श्रीमन्, हर कोई अपनी सम्पत्ति बचाने का प्रयत्न करता है और यही उन्होंने कहा है। लेकिन सरकार इतनी रकम अवश्य छोड़ दे जिससे उनका गुजारा हो सके। अब उनके पास कुछ बचा नहीं है। भूखे मरने के सिवाय उनके पास कुछ नहीं रहेगा। इसलिए इतना जरूर छोड़ दीजिये कि जितना कि जमींदारों को पुनर्वासन के लिए दिया गया है। बाकी यह सब ठीक है और जो हो रहा है ठीक हो रहा है।

श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सब पर जाहिर है कि यह जो रामपुर रियासत थी। उसने दो तहसील स्वार और बिलासपुर ठेकेदारों को दी थीं। उन ठेकेदारों ने काफी मेहनत से उनकी तरक्की की। इसके अलावा यह भी बात थी कि रियासत की तरफ से केवल ८५ प्रतिशत मालगुजारी उन ठेकेदारों से ली जाती थी और १५ प्रतिशत ठेकेदारों को दे दी जाती थी। सरकार ने जब इस रियासत को इस राज्य में विलीन किया तो इसको मंजूर किया था और १९५४ में जब पट्टेदारी खत्म करने के लिए यहां पर कानून बनाया गया और लागू किया गया तो इसके विरोध में उच्च न्यायालय में रिट दाखिल हुआ और उच्च न्यायालय ने स्टे आर्डर दिया और चार साल तक पट्टेदार का कब्जा मौजूद रहा और १५ प्रतिशत वह लेता रहा और सरकार ने उसको कबूल भी किया और ८५ प्रतिशत सरकार ने खुद लिया। दूसरी बात यह है कि अब सरकार उस को वसूल करना चाहती है। तो यह उचित नहीं है। उसको वसूल नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ वसूली के इस तरह के इसमें प्राविजन रखे गये हैं कि इस बिल को देखने से ही पता चलता है कि सरकार को इसका प्रतिशोध लेना है कि इन लोगों ने उच्च न्यायालय में रिट क्यों दाखिल किया और इस तरह से इसमें विलम्ब किया। इसी प्रतिशोध को लेकर के यह इसमें रखा गया है कि उनसे इस रकम को वसूल करने के लिए जो मुआवजा सरकार देगी, उसमें से कटौती भी कर ली जायगी और साथ ही सरकार ने अपील के लिए सिर्फ जिला न्यायाधीश के यहां तक प्राविजन रखा है, उच्च न्यायालय में जाने की बात नहीं रखी है। यह उचित नहीं है। दूसरे ऐक्टों में जब जमींदारी अबालिशन ऐक्ट बनाया और भी ऐक्ट बने तो उसमें अपील उच्च न्यायालय में करने का भी अधिकार रखा गया है। इस विधेयक में दूसरी अपील की व्यवस्था क्यों न हो? तो यह प्रतिशोध की भावना है या नहीं। इसको पढ़ने से साफ जाहिर हो रहा है कि प्रतिशोध की भावना से यह धारा रखी गयी है। दूसरी तरफ इस विधेयक में वसूली के लिए हवालात में बन्द करने की बात भी है और जबर्दस्ती वसूल करने की बात के अलावा मालगुजारी की भांति

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वसूल करने की बात भी रखी गयी है जो उचित नहीं है। आखिर सरकार का मकसद तो पूरा हो गया। वह पट्टेदारी समाप्त कर दी और सरकार के हाथ में वह जमीन आ गयी है। एक बात और भी है कि जो जमीन आज खाली थी उसके लिए भी सरकार उन ठेकेदारों से मालगुजारी वसूल करना चाहती है, जब कि उन्होंने उस जमीन को इस्तेमाल नहीं किया और न अपने काम में ही लाये और न उससे कोई पैदावार ही की, तो फिर उसकी भी वसूली क्यों की जाय जो उचित नहीं है। इन कारणों से हम इस विधेयक का विरोध करते हैं। ऐसा विधेयक उचित विधेयक नहीं है और इस तरह का कानून पास करना न्याय की बात नहीं है। इन शब्दों के साथ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

*श्री हुकुमसिंह विसेन—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने शुक्ल जी की भी तकरीर सुनी और बस्ती जिले की दो तकरीरें सुनीं। उसके पड़ोस गोरखपुर की भी तकरीर मैंने अभी सुनी। उनको शिकायत यह है कि यह बतौर मालगुजारी के क्यों वसूल किया जाय और यह बताया गया कि चूंकि रिट उन लोगों ने दाखिल कर दिया इसलिए सरकार नाराज होकर के ऐसा कानून लायी है। मैं क्या बताऊं? खेद की बात है और यह हमारा मिसफारचून है कि इस तरह की भावना सरकार के प्रति हमारे मित्र रखते हैं। सरकार ने यह कानून लाकर के जितने ठेकेदार वगैरह हैं उनके साथ रियायत की है। अगर यह हम न लाते तो हर एक के खिलाफ हमें सूट लाना पड़ता, दावा दायर करना पड़ता, हमारी डिग्री होती, कास्ट देना पड़ता, उनको मुकदमे की पैरवी में अखराजात करने पड़ते। अब इसके बाद वह जो फिजूलखर्ची उनका होता उससे वह बच जाते हैं। रही बात यह कि हम हिसाब जोड़कर के जो उनका होगा वाजिब, उसमें से जो उन्होंने नाजायज तरीके से वहां वसूल किया है, वह उनके कम्पेन्सेशन में से घटा कर सारा मामला साफ कर देंगे। लिटिगेशन बच जायगा। सारी बातें हो जायेंगी। तो हमने तो सद्भावना से यह विधेयक सदन में पेश किया है।

हमारे शुक्ल जी ने महाभारत का किस्सा कहा। उसका जवाब शुक्ल जी ने दिया बस्ती के कि हाथी बेच दिया तो गजगाह के लिए क्या झगड़ा है? तो वाकई बात ठीक है। उसे तो घाते में दे देना चाहिए हाथी के साथ-साथ और अक्सर हम दे देते हैं। जो नया खरीदार होता है और उसके पास नहीं होता है तो दे देते हैं। इसलिए उसमें [कोई ऐसी बात नहीं है। जब गवर्नमेंट ड्यूज हैं और उसके वसूल करने के तरीके कुछ होने चाहिए तो जितने कानून आप पायेंगे जहां गवर्नमेंट ड्यूज का सम्बन्ध होता है ज्यादातर जगहों पर यह प्राविजन होता है कि :

"They will be realized as Government revenue".

वही प्राविजन इसमें भी रखा गया है।

यह कहा गया कि अंग्रेजी जमाने में यह होता था और अब यह अपनी गवर्नमेंट है इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आप को बताऊं कि टेनेंसी ऐक्ट जब अंग्रेजों के जमाने में था तो उसमें लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट के मातहत पूरे मुहाल की मालगुजारी एक आदमी से भी वसूल की जा सकती थी। वह गिरफ्तार किया जा सकता था। हमने जब जमींदारी अबालिशन किया तो उसमें २८१ दफा को आप देखें उसमें हमने यह कोशिश की कि मुश्तरका लायबिलिटी होते हुये भी गिरफ्तारी केवल उस केस में होगी, जिसमें खासकर उस आदमी की खुद होल्डिंग पर एरियर बाकी होगी। इसमें हमने उस चीज को माडिफाई कर दिया है। जो अंग्रेजों के जमाने का कलंक था उसको हमने धो दिया है। फिर भी जो हमने रखा है वह यह कि वह लैन्ड रेवेन्यू की तरह से वसूल हो सके। अगर यह तरीका नहीं रखते तो हर केस के लिए दावे दायर होंगे और बहुत-सा रुपया उसमें सर्फ होगा। तकावी के लिए भी हमको वही तरीका अख्तियार करना पड़ता है। इस तरह से इसमें गवर्नमेंट को हक है कि जो आदमी अदा नहीं करता है तो उसके लिए वसूली का कोई तरीका अख्तियार किया जाय। वह सत्तू वाली बात यहां पर बैठती नहीं है। यह पैसा जो होगा वह गरीब जनता का होगा। वह पैसा हुकुम सिंह का

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हुकुम सिंह विसेन]

या मुख्य मन्त्री का नहीं है। वह आम जनता का पैसा है जो गरीब है। उस पैसे को वसूल करके विकास के कामों में खर्च किया जाता है। सरकार के पास अगर पैसा इकट्ठा होगा तो उससे गरीब जनता का अधिक कल्याण हो सकेगा। लिहाजा इस में गरीब अमीर का सवाल नहीं है। सिर्फ गवर्नमेंट के ड्यूज वसूल करने का सवाल है। इस तरह से विचार करके अगर आप इसको देखेंगे तो मालूम होगा कि यह बहुत इन्नोसेंट बिल है। मैं आशा करता हूं कि इसको यह सदन पारित करेगा।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार को देय धनराशियों की वसूली (अर्जित आस्थान तथा अवसित पट्टा) विधेयक, १९५९ [The Uttar Pradesh Recovery of Government Dues (Acquired Estates and Determined Leases) Bill, 1959], जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

श्री उपाध्यक्ष---आज सदस्यों ने इस बिल के सम्बन्ध में बहुत संयम से काम लिया है, इसलिये मैं चाहता हूं कि इस उपलक्ष्य में आज सदस्यों को छुट्टी दे दी जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि कार्यक्रम में यह है कि १३ तारीख को जो आज का कार्य समाप्त नहीं हो वह लिया जाय। तो मेरा सुझाव यह है कि अब आज तो यह काम समाप्त हो गया, कल सारा समय पूरक बजट के लिए है, उसमें कटौती के प्रस्ताव भी हैं, इसलिए १३ तारीख के ३ १/२ बजे तक के लिए पूरक बजट के लिए समय दिया जाय तो उस समय का उपयोग हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि इस विषय पर अपना सुझाव आप कल माननीय अध्यक्ष के सामने रखियेगा। वही नियम को देखकर निर्णय करेंगे।

अब हम उठते हैं कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन २ बजकर ५९ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
११ फरवरी, १९६०।

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८३३ पर)

विवरण-पत्र

१ जनवरी, १९६० को उत्तर प्रदेश की जिन चीनी मिलों पर किसानों के गन्ने का जितना दाम बाकी है उसका विवरण

क्रम-संख्या	चीनी मिल का नाम	चीनी मिलों पर १९५९-६० सीजन के पूर्व की बकाया रकम (लाख रुपयों में)	चीनी मिलों पर सीजन १९५९-६० (१ जनवरी, १९६० तक) की बकाया रकम (लाख रुपयों में)	योग	अभियुक्तियां
१	२	३	४	५	६
१	सहारनपुर	०.६३	६.१०	६.७३	
२	देवबन्द	०.५०	७.८६	८.३६	
३	इकबालपुर	०.८७	४.१८	५.०५	
४	दौइवाला	०.५०	१.७६	२.२६	
५	काशीपुर	१.२९	६.७५	८.०४	
६	अमरोहा	३.०२	८.४३	११.४५	
७	बिलारी	०.५७	५.१८	५.७५	
८	बिजनौर	०.९८	४.६७	५.६५	
९	सिवहारा	..	३.७८	३.७८	
१०	नेवली	०.०९	७.५४	७.६३	
११	जरवल रोड	२.३५	६.९०	९.२५	
१२	सिसवाबाजार	०.१९	४.७६	४.९५	
१३	देवरिया	०.१७	४.५०	४.६७	
१४	कप्तानगंज	०.०३	७.३३	७.३६	
१५	मुंडेरवा	०.५३	२.१२	२.६५	
१६	महोली	..	२.५०	२.५०	
१७	मंसूरपुर	०.०६	१२.३३	१२.३९	
१८	खतौली	०.०६	६.५१	६.५७	
१९	पीलीभीत	०.१७	५.५५	५.७२	
२०	रामपुर	२.२०	११.६८	१३.८८	
२१	बुढ़वल	०,१५	३.२१	३.३६	
२२	बरेली	०.९२	२.२१	३.१३	
२३	बहेड़ी	०.७८	२.५४	३.३२	
२४	सरवोती टांडा	०.०६	१९.९०	१९.९६	
२५	मोहिउद्दीनपुर	..	५.६१	५.६१	
२६	मोदीनगर	..	६.३०	६.३०	

क्रम-संख्या	चीनी मिल का नाम	चीनी मिलों पर १९५९-६० सीजन के पूर्व की बकाया रकम (लाख रुपयों में)	चीनी मिलों पर सीजन १९५९-६० (१ जनवरी, १९६० तक, की बकाया रकम (लाख रुपयों में)	योग अभियुक्तियाँ
१	२	३	४	५ ६
२७	जसवन्त	..	४.८९	४.८९
२८	दौराला	..	२.९५	२.९५
२९	मवाना	..	१.९०	१.९०
३०	बुलन्दशहर	..	६.८१	६.८१
३१	शामली	..	२२.९३	२२.९३
३२	धामपुरा	..	५.५६	५.५६
३३	रोसा	..	३.५५	३.५५
३४	गोला	..	६.९६	६.९६
३५	ऐरा	..	३.२७	३.२७
३६	हरगांव	..	२.१३	२.१३
३७	हरदोई	..	१.६७	१.६७
३८	घुघली	..	५.५४	५.५४
३९	पिपराइच	..	३.३०	३.३०
४०	सरदारनगर	..	८.३८	८.३८
४१	छितौनी	..	५.९५	५.९५
४२	खड्डा	..	७.०५	७.०५
४३	लक्ष्मीगंज	..	७.३६	७.३६
४४	रामकौला (पी)	..	७.१९	७.१९
४५	रामकोला (के)	..	६.११	६.११
४६	कठकुइयां	..	३.१९	३.१९
४७	सिवराही	..	४.६०	४.६०
४८	लक्सर	..	६.७०	६.७०
४९	बाजपुर	..	७.२८	७.२८
५०	सिम्भौली	..	५.५४	५.५४
५१	रोहाना	..	७.२३	७.२३
५२	बिसवां	..	१.७७	१.७७
५३	बाराबंकी	..	४.२९	४.२९
५४	तुलसीपुर	..	४.३०	४.३०
५५	बलरामपुर	..	५.२५	५.२५
५६	नवाबगंज	..	४.६०	४.६०
५७	बभनान	..	२.०५	२.०५
५८	खलीलाबाद	..	३.२७	३.२७
५९	बस्ती	..	५.९७	५.९७

क्रय-संख्या	चीनी मिल का नाम	चीनी मिलों पर १९५९-६० सीजन के पूर्व की बकाया रकम (लाख रुपयों में)	चीनी मिलों पर सीजन १९५९-६० (१ जनवरी, १९६० तक) की बकाया रकम (लाखरुपयों में)	योग	अभियुक्तियां
१	२	३	४	५	६
६०	वाल्टरगंज	..	४.३३	४.३३	
६१	मसोधा	..	९.२२	९.२२	
६२	शाहगंज	..	२.५२	२.५२	
६३	आनन्दनगर	..	२.५१	२.५१	
६४	गौरी बाजार	..	३.४१	३.४१	
६५	परताबपुर	..	१.८६	१.८६	
६६	बैतालपुर	..	५.२९	५.२९	
६७	भटनी	..	४.२५	४.२५	
६८	पडरौना	..	१.९३	१.९३	
	योग	..	१६.१२	३७५.०६	३९१.१८

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८३४ पर)

१५ अक्तूबर, १९५९ तक जिला फैजाबाद के नियोजन कार्यालय तथा विभिन्न विकास क्षेत्रों में नियुक्त किये गये लिपिकों की सूची

क्रमांक	नाम		पता
१	श्री हरिनन्दन श्रीवास्तव	..	ग्राम मखौली, पोस्ट देवगांव, जिला फैजाबाद ।
२	श्री हरिश्चन्द्र द्विवेदी	..	पुत्र श्री गजाधर प्रसाद द्विवेदी, ३०९, महाजनी टोला, फैजाबाद ।
३	श्री अजीत सिंह	..	पुत्र श्री राघोप्रसाद सिंह, ग्राम व पोस्ट जनौरा, फैजाबाद ।
४	श्री रामजग तिवारी	..	ग्राम त्रिलोकपुर, पोस्ट काही, जिला फैजाबाद ।
५	श्री अयोध्या प्रसाद दुबे	..	पुत्र श्री विन्देश्वरी प्रसाद दुबे, ग्राम कनकपट्टी, पोस्ट मया, फैजाबाद ।
६	श्री शीतला प्रसाद सिंह	..	द्वारा श्री एस० के० सिंह, मोहल्ला सआदतगंज, फैजाबाद ।
७	श्री इम्तियाज हुसेन	..	पुत्र श्री मुराद अली, ग्राम अब्दुल्लापुर, पोस्ट अकबरपुर, फैजाबाद ।
८	श्री चन्द्र शेखर मिश्र	..	ग्राम तथा पोस्ट शिवालामऊ, जिला फैजाबाद ।
९	श्री महिम कुमार बनर्जी	..	११, रिकाबगंज, फैजाबाद ।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८३४ पर)

क्रमांक	ब्लाक का नाम	ब्लाक फंड से १९५८–५९ वर्ष में दी गई तकावी का विवरण		ब्लाक फंड से १९५९–६० (अक्तूबर तक) दी गई तकावी का विवरण		संख्या पम्पिंग सेट जो लगाये गये
		संख्या पम्पिंग सेट	ऋण जो दिया गया	संख्या पम्पिंग सेट	ऋण जो दिया गया	
१	२	३	४	५	६	७
			रु०		रु०	
१	द्वितीय सोपान खंड हरगांव	६	८,३८२	..	..	५
२	प्रगाढ़ सेवा खंड बेहटा ..	..	..	..	..	..
३	प्रथम सोपान खंड सिधौली ..	६	१४,७००	..	..	..
४	प्रथम सोपान खंड मिसरिख ..	२	५,०००	३	७,५००	..
५	प्रथम सोपान खंड बिसवाँ ..	३	६,५००	२	५,०००	..
६	प्रथम सोपान खंड रामपुर-मथुरा ..	..	..	..	..	..
	योग ..	१७	३४,५८२	५	१२,५००	५

इसके अतिरिक्त "अधिक अन्न उपजाओ" फण्ड से सीतापुर जिले के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष १९५८–५९ में ५ पम्पिंग सेट के लिए १२,५०० रुपया ऋण के रूप में दिया गया ।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८३८ पर)

विवरण-पत्र

उत्तर प्रदेश की जिन चीनी मिलों पर १जनवरी, १९६० को १९५८–५९ सीजन के गन्ने की जितनी कीमत बकाया है उसका विवरण

क्रम-संख्या	चीनी मिल का नाम	जिले का नाम	फैक्टरियों पर १ जनवरी, १९६० की बकाया रकम	अभियुक्तियां
१	मंसूरपुर	मुजफ्फरनगर	६,०००	इन मिलों के विरुद्ध रिकवरी सर्टीफिकेट जारी किये जा चुके हैं।
२	खतौली	,,	६,०००	
३	सहारनपुर	सहारनपुर	११,००	
४	काशीपुर	नैनीताल	६,०००	
५	अमरोहा	मुरादाबाद	१२,०००	
६	बिलारी	,,	५६,०००	
७	बिजनौर	बिजनौर	५४,०००	
८	न्योली	एटा	९,०००	
९	मुंडेरवा	बस्ती	५३,०००	
१०	जरवल रोड	बहरा च	२,३४,०००	
११	देवरिया	देवरिया	१७,०००	
१२	कैप्टेनगंज	,,	३,०००	
		योग	४,६७,००० या ४.६७ लाख रु०	

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८३६ पर)

कार्यालयों के नाम जिनसे मांगें आयीं	कुल व्यक्ति भेजे गये
स्थानीय नियोजक, गोंडा--	
(१) स्टेट बैंक आफ इन्डिया	८०
(२) सिविल सर्जन कार्यालय	३५
(३) फिशरीज इन्स्पेक्टर	६
(४) डी० टी० एस० एन० रेलवे	४१
(५) जिला लाइव स्टाक आफिसर	६५
(६) जगदम्बिका चावल और दाल मिल	२
(७) ऐन्टी मलेरिया आफिसर, नार्थ	१,१८७
(८) ,, ,, साउथ	२४७
(९) जिला रोजगार अधिकारी	७
(१०) ,, संख्या ,, ...	१८
(११) जिला हेल्थ अधिकारी	१०२
(१२) पुलिस सुपरिन्टेंडेंट	१६
(१३) पोल्ट्री इंस्पेक्टर	२
(१४) जिला नियोजन अधिकारी	७९
(१५) ट्रेजरी अधिकारी	९
(१६) जिला अधिशासी अभियन्ता, एन०ई०आर० ..	३९०
(१७) जिला वन अधिकारी	२०
(१८) जिला उद्योग अधिकारी	३
(१९) सक्सारिया कन्या पाठशाला	१
(२०) प्रिंसिपल, आई० टी० आई०	१६
(२१) अधिशासी अभियन्ता, हाइडिल	६
(२२) जिला सप्लाई अधिकारी	३६
(२३) जिला गन्ना अधिकारी	७
(२४) जिला न्यायाधीश	४९
(२५) जिला विद्यालय निरीक्षक	८०
(२६) पंचायत राज अधिकारी	१८
(२७) मैनेजर, चैम्बर्स गर्ल्स मेमोरियल स्कूल	३
(२८) अधिकारी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग ..	१
स्थानीय नियोजक, बहराइच--	
(२९) जिला उद्योग अधिकारी	३०
(३०) संचालक, अर्थ एवं संख्या, उ० प्र०	५
(३१) जिला हेल्थ अधिकारी	६७८
(३२) सीनियर सहकारी आडिटर	१७२
(३३) सिविल सर्जन, कार्यालय	११०
(३४) डिप्टी कमिश्नर	६५४
(३५) जिला वन अधिकारी	८

	कार्यालयों के नाम जिनसे मांगें आयीं	कुल व्यक्ति भेजे गये
(३६)	जिला लाइव स्टाक आफिसर	३४
(३७)	वाइल्ड लाइफ वार्डन, लखनऊ	६
(३८)	जिला न्यायाधीश	२७
(३९)	ए० डी० एम० (नियोजन)	७०
(४०)	आफिसर इन्चार्ज पाइलेट बैलून आब्जरवेटरी, नानपारा ..	१६
(४१)	जिला सहकारिता विकास संघ	१०
(४२)	ऐन्टी-मलेरिया आफिसर	६६६
(४३)	टेलीफोन इन्चार्ज	१५
(४४)	अन्तरिम जिला परिषद्	११
(४५)	फाइलेरिया सर्वे आफिसर	३१०
(४६)	जी० एल० अग्रवाल, मेडिकल स्टोर	४
(४७)	निर्वाचन अधिकारी	१३
(४८)	नर्सिंह चावल-दाल मिल	६
(४९)	उप-संचालक, फूड कन्ट्रोल स्टोरेज, खाद्य संचालक, कानपुर	२१
(५०)	नगरपालिका	४२
(५१)	कृषि-खाद्य तथा अन्वेषण संख्या अधिकारी ..	११
(५२)	पंचायत राज अधिकारी	११
(५३)	बी० डी० ओ०, चित्तोरा	१६
(५४)	सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग ..	८

दूसरे जिलों के नियोजक—

(५५)	स्वास्थ्य सेवा संचालक, उ० प्र०, लखनऊ	१
(५६)	संचालक, मेडिकल ऐन्ड हेल्थ सर्विसेज, उ० प्र०, लखनऊ ..	१९
(५७)	संचालक, मंत्री भमि केन्द्र, लखनऊ	६
(५८)	उप-संचालक, मलेरियालोजी, लखनऊ	२९
(५९)	इन्स्पेक्टिंग सहायक आयुक्त आयकर, लखनऊ ..	३
(६०)	अधिशासी अभियन्ता, जांच व नियोजन शाखा ..	२
(६१)	परिवहन विभाग, उ० प्र०, रोडवेज, लखनऊ ..	४
(६२)	विद्युत् इन्स्पेक्टर, उ० प्र०, लखनऊ	२
(६३)	संचालक, अर्थ एवं संख्या, उ० प्र०, लखनऊ	२७
(६४)	विकास सचिव, न्यू इन्डिया इन्श्योरेंस कम्पनी ..	१
(६५)	असिस्टेंट स्क्रूटिनी आफिसर, एन० ई० रेलवे, लखनऊ ..	३०
(६६)	सुपरिन्टेंडेंट आफ पुलिस, क्राइम जांच शाखा ..	१
(६७)	प्र० म० आफिसर, खाद्य तथा रसद विभाग ..	२
(६८)	विकास आयुक्त, उ० प्र०, लखनऊ	२
(६९)	संचालक, आई० आई० आफ शूगरकेन रिसर्च ..	६
(७०)	ई० ई० गंगा डिस्चार्ज डिवीजन, ३, लखनऊ ..	१
(७१)	चीफ स्टैटेशियन, उ० प्र०, कृषि विभाग	२
(७२)	मुख्य अभियन्ता, पूर्वी कमांड, लखनऊ	७
(७३)	सिविल सर्जन, लखनऊ	६
(७४)	एस० पी०, स्पेशल ब्रांच, इन्टेलिजेंस, उ० प्र० ..	२

	कार्यालयों के नाम जिनसे मांगें आयीं	कुल व्यक्ति भेजे गये
(७५)	अन्वेषण अभियन्ता, स० नव० वि०, अन्वेषण केन्द्र ..	१
(७६)	अधिशासी अधिकारी, ई० एस० ए०, कानपुर ..	१
(७७)	सु० केन्द्रीय तार कार्यालय, कानपुर	१
(७८)	उद्योग संचालक, कानपुर	१
(७९)	उप-संचालक, मे० और ह० स०, ई० एस० आई० कानपुर. .	४
(८०)	उद्योग संचालक (प्र० वि०), कानपुर	१
(८१)	ई० स० कलेक्टर, सेन्ट्रल एक्साइज, इलाहाबाद ..	३६
(८२)	सिविल सर्जन, इलाहाबाद	४
(८३)	सु० पुलिस, हेड क्वार्टर, इलाहाबाद	४
(८४)	संयुक्त जिला संचालक (ई०), इलाहाबाद	२
(८५)	रीजनल एकाउन्ट्स आफिसर, गोरखपुर	३
(८६)	,, फूड कन्ट्रोलर, ,, ...	३
(८७)	स्क्रूटिनी आफिसर (आर०पी०एफ०), नार्थ ई० रेलवे, गोरखपुर	३०
(८८)	उप-शिक्षा संचालक, ६ रीजन, गोरखपुर	१२
(८९)	कैन्ट० इक्जीक्यूटिव आफिसर, मथुरा	१
(९०)	संचालक, मेघ पब्लिकेशन सर्वे आफ इन्डिया, देहरादून ..	३
(९१)	सचिव, तेल तथा गैस कम्पनी, देहरादून	२
(९२)	प्रेसिडेंट, रि० ई० का०, देहरादून	१
(९३)	संचालक, गोईडिक्ट रि० ब्र० आफ इन्डिया, देहरादून ..	१
(९४)	सेटिलमेंट आफिसर, फतेहगढ़	१
(९५)	सु० जिला जेल, फतेहगढ़	३
(९६)	प्रिंसिपल, आई० टी० आई०, मिर्जापुर	२
(९७)	सिविल सर्जन, मिर्जापुर	२
(९८)	अधिशासी अभियन्ता, रिहंद बांध, मिर्जापुर ..	२
(९९)	जिला स्वास्थ्य अधिकारी, पौड़ी	२
(१००)	सिविल सर्जन, पौड़ी	२
(१०१)	अन्तरिम जिला परिषद्, पौड़ी	१
(१०२)	कमान्डेंट, ११, बटालियन, पी०ए०सी०, सीतापुर ..	२
(१०३)	सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर, रिहंद, पिपरी, मिर्जापुर ..	४
(१०४)	सु० इन्जीनियर, हाइडिल, उ० प्र० स्टेट, एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, फैजाबाद	१
(१०५)	जिला स्वास्थ्य अधिशासी, फैजाबाद	९
(१०६)	रिकार्ड आफिसर, सी० एम० पी०, फैजाबाद ..	३
(१०७)	अतिरिक्त सचिव, राजनीतिक सेवा विभाग, मोनेश्वर ..	१
(१०८)	मास्टर इंजन स्क्रुटिनी प्रेस, नासिक	१
(१०९)	अन्तरिम जिला परिषद्, अल्मोड़ा	४
(११०)	पंजी शूगर ऐन्ड जनरल मिल्स, बुलन्दशहर ..	३
(१११)	सिविल सर्जन, अलीगढ़	२
(११२)	मे० परमनन्दन इन्जीनियरिंग ई० गाजियाबाद ..	११

	कार्यालयों के नाम जिनसे मांगें आईं	कुल व्यक्ति भेजे गये
(११३)	ब्रांच रिक्रूटिंग आफिसर, बनारस	४
(११४)	लोको कम्पोनेंट वर्क्स एन०ई०आर०, वाराणसी ..	१७
(११५)	चेयरमैन बोर्ड, बरेली	१
(११६)	हिन्दुस्तान स्टील लि०, धनबाद	१
(११७)	कोल ऐन्ड माइन्स, ,, ...	३
(११८)	संचालक, माइन्स तथा जियोलोजी, धनबाद ..	१
(११९)	अन्तरिम जिला परिषद्, झांसी	३
(१२०)	इन्कम टैक्स कमिश्नर, शिमला	५
(१२१)	चीफ एकाउन्ट्स आफिसर, शिमला	८
(१२२)	स्वास्थ्य अधिकारी, रीजनल अस्पताल, मैनपुरी ..	३
(१२३)	जिला स्वास्थ्य अधिकारी, माली (राजस्थान) ..	३
(१२४)	हेवी एलेक्ट्रिक्ल्स पी० लि०, भूपाल	१३
(१२५)	आयल गैस कम्पनी, अम्बाला	१
(१२६)	अधीक्षक, सी० टी० आई० ऐन्ड आई० टी० सी० ..	७
(१२७)	अधिशासी अधिकारी, ई०एस०आई० स्कीम, जैपुर ..	२
(१२८)	रिकार्ड आफिसर, सिकन्दराबाद	२
(१२९)	संचालक, दुग्ध अन्वेषण, करनाल	१
(१३०)	संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर	१
(१३१)	चीफ एकाउन्ट्स आफिसर, हाइडल, म० प्रदेश ..	५
(१३२)	केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड, नागपुर	२
(१३३)	डाइरेक्टर जनरल, अर्थ एवं संख्या, कलकत्ता ..	१
(१३४)	डिप्टी कमिश्नर, नैनीताल	२
(१३५)	रीजनल डाइरेक्टर, फूड, बम्बई	१
(१३६)	सहायक भर्ती आफिसर, हिमांचल प्रदेश	१
(१३७)	अधिशासी अभियंता, जनरल डिस्चार्ज सर्किल, देहली ..	१०
(१३८)	विकास आयुक्त, लघु उद्योग, नयी देहली	९
(१३९)	पराटेनम इवेलुएशन संस्था	१
(१४०)	सचिव, खान तथा परिवहन	१
(१४१)	सचिव, नियोजन तथा परिवहन	१
(१४२)	सुरक्षा मंत्रालय कार्यालय	१
(१४३)	,, सेवायें (आडिट)	३
(१४४)	देहली ऐडमिनिस्ट्रेशन	१
(१४५)	एयरोड्रोम कन्ट्रोलर	२
(१४६)	डी० जो० आर० ऐन्ड ई०	१
(१४७)	संचालक, वायुयान विभाग	४
(१४८)	उप-संचालक, स्वास्थ्य सेवायें	२
(१४९)	ऐडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर, भारतीय कौंसिल आफ रिसर्च, नयी देहली	२
	कुल योग ..	५,९२९

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८४१ पर)

मैनपुरी जिले के उन मार्गों की सूची जिन पर व्यक्तिगत लारियां चल रही हैं

क्रम सं०	मार्गों का नाम	मार्ग पर चलने वाली गाड़ियों की संख्या
१	२	३
१	मैनपुरी-इटावा	२४
२	मैनपुरी-फरहा	४
३	मैनपुरी-पाढम	१
४	शिकोहाबाद-बाह	७
५	शिकोहाबाद-किशनी-सिरसागंज	२
६	सिरसागंज-किशनी (करहल होकर)	४
७	ऐका-घिरोर	२
८	शिकोहाबाद-अछल्दा (सिरसागंज-किशनी होकर) ..	२
९	एटा-मैनपुरी	२४
१०	एटा-बेवर	९
११	एटा-शिकोहाबाद	२३
१२	कचौराघाट-किशनी (करहल होकर)	४

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८४१ पर)

मैनपुरी जिले की उन मार्गों की सूची जिन पर रोडवेज की बसें चल रही हैं

(१) मैनपुरी–कानपुर (भोगांव, बेवर तथा छिबरामऊ होकर)
(२) मैनपुरी–किशनी (बेवर होकर)
(३) मैनपुरी–इटावा (भोगांव व बेवर होकर)
(४) मैनपुरी–फर्रुखाबाद (भोगांव व बेवर होकर)
(५) शिकोहाबाद–मैनपुरी (घिरोर होकर)
(६) शिकोहाबाद–आगरा।
(७) शिकोहाबाद–इटावा।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ज

(देखिये तारांकित प्रश्न ४७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८४४ पर)

नगर का नाम	श्रमिक बस्तियां	मकानों की कुल संख्या	पूर्ण किराये (economic rent) की दर जो गैर-हकदार (non-eligible persons) को दिये हैं	विशेष विवरण
१	२	३	४	५
			रु०न०पै०	
कानपुर ..	(१) हरिहरनाथ शास्त्रीनगर	४,०२०	१७.५०	योजना के अन्तर्गत हकदार श्रमिक किरायेदारों के लिए सहायित किराये की दर में कोई बढ़ौती नहीं की गयी है। ऐसे व्यक्तियों से, जो उक्त योजना के अन्तर्गत हकदार श्रमिकों की श्रेणी में नहीं आते हैं, पूर्ण किराया (economic rent) लिया जाता है जिस की दर स्तम्भ ४ में दी गयी है।
	(२) बापू पुरवा ..	३,३९०	१७.५०	
	(३) गोविंद नगर ..	७४४	१७.५०	
	(४) पुराना कानपुर ..	९४२	१८.००	
	(५) बेनाझाबर ..	३६०	१८.००	
	(६) रुकमिणी देवी का हाता	१०८	१८.००	
		------	२३.००	
	योग	९,५६४	(दो कमरों के मकान का किराया)	

लखनऊ ..	(१) पुरानी बस्ती ..	५६०	१७.५०	
	(२) नयी बस्ती ..	४८६	१९.००	
			२४.०० (दो कमरों के मकान का किराया)	
सहारनपुर ..	..	७९२	१८.५०	
इलाहाबाद ..	..	५०४	१७.००	

नगर का नाम	श्रमिक बस्तियां	मकानों की कुल संख्या	पूर्ण किराये (economic rent) की दर जो गैर-हकदार (non-eligible persons) को दिये हैं	विशेष विवरण
१	२	३	४	५
मिर्जापुर ..		.. ९६	१६.००	
आगरा ..		.. १,२९६	१८.००	
फीरोजाबाद ..		.. १,०००	१७.००	
बरेली ..		.. १०८	१८.००	
	योग	.. ४,८४२		
	पूर्ण योग	.. १४,४०६		

नत्थी 'झ'

(देखिए तारांकित प्रश्न ५५ का उत्तर पीछे पृष्ठ—८४८ पर)

संख्या ४६६६-ए/तीन—१४२-के-१६५८

प्रेषक,

श्री गोविन्द नारायन, आई० सी० एस०,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार।

सेवा में,

उत्तर प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्ष, डिवीजनों के आयुक्त, जिला अधिकारी, जिला तथा सेशन्स जज और प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष।

दिनांक लखनऊ, ३० जून, १६५६

विषय—न्यायालयों में गवाह के रूप में सिविलियन अधिकारियों के लिये पोशाक।

महोदय,

सामान्य प्रशासन विभाग।

रीतिक (formal) और दूसरे अवसरों पर सिविलियन अधिकारियों की पोशाक के सम्बन्ध में स्थिति का स्पष्टीकरण सरकारी परिपत्र संख्या ३२६८/तीन—६६-१६५४, दिनांक १६ अप्रैल, १६५४, में राज्य सरकार के सिविलियन कर्मचारियों के पथ-प्रदर्शन के लिये किया गया था। उस परिपत्र में कार्यालयों में पहनी जाने वाली पोशाक के बारे में भी स्थिति बताई गई थी। अब न्यायालयों में गवाही देने के समय इन अधिकारियों द्वारा पहिने जाने वाली पोशाकों के प्रश्न पर भी सरकार ने विचार किया है और मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय और राजस्व परिषद् से इस विषय में परामर्श करके नीचे के पैराग्राफों में बताये गये निर्णयों पर पहुंची है।

२—न्यायालय में गवाही के लिये उपस्थित होने वाले सिविलियन अधिकारियों की पोशाक के बारे में उच्च न्यायालय द्वारा मान्य प्रथा यह है कि न्यायालयों के सामने उपस्थित होने पर उन्हें न्यायालयों की गरिमा के प्रति यथोचित सम्मान प्रकट करने के निमित्त उचित ढंग के कपड़े पहिनने चाहिये। इस प्रयोजन के लिये उचित ढंग के कपड़े क्या हैं इसकी अलग से कोई परिभाषा नहीं है, किन्तु मिसाल के तौर पर, न्यायालय में नेकर और कमीज या आधी आस्तीन की बुश-शर्ट या आधी आस्तीन का बुश-कोट पहिन कर उपस्थित होना न्यायालयों की पोशाक की प्रथा के अनुरूप नहीं समझा जाता। अनुरोध है कि गवाहों के रूप में न्यायालयों में उपस्थित होने के समय सभी सिविलियन अधिकारी उपर्युक्त प्रथा का अनुसरण करें।

३—ऊपर के पैराग्राफ में बताई गई स्थिति राजस्व न्यायालयों (Revenue Courts) के सम्बन्ध में भी लागू है।

४—मुझे यह भी कहना है कि कपड़े के रंग और काट के अतिरिक्त उसका रूपांक (design) भी महत्वपूर्ण होता है। ऐसी कमीजों और कोटों का पहनना जिन पर सब प्रकार के, और कभी-कभी स्त्रियों के चित्र बने हों, फैशन-सा हो रहा है। कपड़ों का रंग चटकीला या भड़कीला तो नहीं होता, किन्तु

रूपांक (design) शिष्टता के विरुद्ध होता है और अकसर अरुचिकर (revolting) भी। इसलिये ऐसे वस्त्र पहिनना उचित न होगा। अनुरोध है कि यह पराग्राफ इस पत्र के आरम्भ में निर्दिष्ट परिपत्र सरकारी आदेश, दिनांक १९ अप्रैल, १९५४ के अनुपूरक के रूप में पढ़ा जाय।

भवदीय,
गोविन्द नारायन,
मुख्य सचिव।

संख्या ४९९६ (१)-ए/तीन---१४२-के-१९५८

प्रतिलिपि सूचना के लिये निम्नलिखित को प्रेषित---

(१) सचिवालय के समस्त विभाग,
(२) मन्त्रियों के वैयक्तिक सहायक,
(३) उपमन्त्री तथा सभा-सचिव, तथा
(४) सचिवालय के समस्त अधिकारी।

आज्ञा से,
आनन्द स्वरूप मिश्र,
उपसचिव।

विधान सभा

FROM

No. 4996-A/III—142-K-1958

SRI GOVIND NARAIN, I. C. S.,
MUKHYA SACHIV TO GOVERNMENT,
UTTAR PRADESH,

TO

ALL HEADS OF DEPARTMENTS, COMMISSIONERS OF DIVISIONS, DISTRICT OFFICERS, DISTRICT AND SESSIONS JUDGES AND OTHER PRINCIPAL HEADS OF OFFICES IN UTTAR PRADESH.

Dated Lucknow, June 30, 1959.

Subject : **Dress for Civilian Officers appearing as witnesses in Law Courts**

SIR,

GENERAL ADMINISTRATION DEPTT.

IN circular G. O. no. 3268/III—66-1954, dated April 19, 1954, the position regarding the dress to be worn by civilian officers on formal and other occasions (including instructions on dress to be worn during office hours) was explained for the information and guidance of civilian officials of the State Government. Government have since had occasion to consider the question of the dress to be worn by civilian officers while appearing as witnesses in law courts, and I am directed to state below the conclusion reached by the State Government in this matter in consultation with the High Court and the Board of Revenue.

2. The practice of the High Court with regard to the dress to be worn by civilian officers appearing as witnesses in law courts is that they should be decently dressed in order to show proper respect to the dignity of the courts before which they so appear. Appearance of officers in shorts and shirts or half-sleeved bush-shirts or half-sleeved bush-coats is an instance where the dress is not considered to be in conformity with the practice of the Court. I am to request that the above practice may be observed by all civilian officers when appearing as witnesses in law courts.

3. The position as stated in the above paragraph is also applicable in the case of dress to be worn by officers when appearing as witnesses before Revenue courts.

4. I am to add that besides colour and cut, design is also important. Shirts and coats printed over with pictures of all kinds, sometimes of women, seem to be becoming fashionable. The colour is not loud or gaudy, but the design is entirely opposed to decency and is often revolting. Such dress ought, therefore, to be avoided at all times. I am to request that this paragraph may be read as supplemental to the circular Government Order of April 19, 1954, referred to in the beginning of this letter.

Yours faithfully,
GOVIND NARAIN,
Mukhya Sachiv.

No. 4996-A(1)/III—142-K-1958

COPY forwarded for information to—

(*a*) all departments of the Secretariat,
(*b*) Personal Assistants to Ministers,
(*c*) Deputy Ministers and Parliamentary Secretaries, and
(*d*) all officers of the Secretariat.

By order,
A. S. MISRA,
Upa Sachiv.

No. 3268/III—66-1954

FROM

SRI K. P. BHARGAVA, I. C. S.,
CHIEF SECRETARY TO GOVERNMENT,
UTTAR PRADESH,

TO

ALL HEADS OF DEPARTMENTS AND PRINCIPAL HEADS OF OFFICES IN UTTAR PRADESH.

Dated Lucknow, April 19, 1954.

Subject : **Dress for Civilian Officers**

SIR,

I AM directed to refer to G. O. no. 2777/III—64-1949, dated April 30, 1949, with which certain instructions of the Government of India on the subject of dress to be worn by civilian officers on formal occasions were circulated. I am now to enclose a copy each of the Government of India, Ministry of Home Affairs, memoranda no. 38/54-Public, dated January 27, 1954 and no. 38/54-Public, dated February 23, 1954, issued to the various Ministries of that Government, containing instructions about the dress to be worn on formal and other occasions (including instructions on dress to be worn during office hours) and to say that this Government endorse the views expressed by the Government of India in the memoranda referred to above and would welcome the observance of these instructions by officials of the State.

2. I am to add that Government hope that civilian officers would respect the wishes of the President in the matter of dress referred to in the Government of India's Memorandum, dated January 27, 1954. They also trust that officers would use *Khadi* to the maximum extent possible.

3. I am also to observe that some instances have come to the notice of Government of civilian officers not showing enough care in the matter of dress. It is hoped that such instances will not recur in future. Officers should also make it a point to see that only sober designs are used both for the dress that they wear in office and on formal and ceremonial occasions.

Yours faithfully,
K. P. BHARGAVA,
Chief Secretary.

No. 3268(1)/III—66-1954

COPY, with copies of enclosures, forwarded for information to—

(1) All Departments of the Secretariat.
(2) Secretary to Sri Rajyapal, Uttar Pradesh.
(3) Personal Assistants to Ministers.
(4) All Deputy Ministers and Parliamentary Secretaries.

By order,
K. P. BHARGAVA,
Chief Secretary to Government,
Uttar Pradesh.

Copy of Office Memorandum no. 38/54-Public, dated 27th January , 1954, from Government of India, Ministry of Home Affairs

Subject: **Dress for Civilian officers**

Instructions were issued in 1949 regarding the dress to be worn by civilian officers on all formal occasions, but the choice of dress to be worn on less formal, semi-official occasions and during working hours in the office, has hitherto been left to the good sense of the wearers. It has become usual to adopt for such occasions a purely Western style of dress which, by historical associations, tends to continue in the minds of the people a feeling that Government officials are still a part of an "alien" bureaucracy and a class apart. It need hardly be emphasized that officers should avoid, in their dress or behaviour, anything, likely to create a gulf between the officials and the people or between officials of different grades.

2. While Government have no intention to prescribe anything in the nature of a uniform to be worn on different occasions, they feel that the following suggestions will assist in the maintenance of correct standards. In making these recommendations, Government have taken into account all relevant factors such as climate, convenience and the need for a smart and workmanlike appearance on all official occasions. They have also assumed that the need for fostering the indigenous industry and crafts is universally appreciated. It is not intended that these recommendations should be treated as orders nor is it desired that the change should be brought about immediately. Government hope, however, that all concerned will bear these recommendations in mind and while making additions or replacements in the wardrobe.

Recommendations

1.	For formal or ceremonial occasions.	Black *sherwani* and white or crem *chooridar pyjama* or a black short buttoned-up coat and black, white or cream trousers. In the hot weather, the *sherwani* or the coat may also be white or cream.
2.	For less formal occasions and evening parties.	A black, short, buttoned-up coat and black or white trousers. In the hot weather a white or cream coloured coat may be worn.
3.	Office dress	A short buttoned-up coat and trousers which need not be of the same colour. Either garment may be white, grey or of any other quiet shade. Loud or gaudy colours should be avoided. In the hot weather a bush-shirt may be worn informally in office.

NOTE—(1) The material may be cotton, silk or wool, as found suitable, but should be Swadeshi, preferably hand-spun and hand-woven.

(2) On all formal occasions when officials have to meet the President or at formal functions at which the President is present, it is the President's desire that the clothes worn by them should be of hand-spun and hand-woven material.

Copy of Office Memorandum no. 38/54-Public, dated 23rd February, 1954, from Government of India, Ministry of Home Affairs

Subject: **Dress for Women Officers (Civilians)**

The recommendations regarding dress to be worn by Civilain Officers conveyed in this Ministry's Office Memorandum no. 38/54-Public, dated the 27th January, 1954, are for the guidance of men only. The following recommendations are now made for the guidance of women officers to enable them also to maintain correct standards in the matter of wearing apparel for different occasions :

1.	For formal or ceremonial occasions.	Sober coloured *sari* of plain material —the border, if any, to be simple.
2.	For less formal occasions and evening parties.	*Sari* as in 1 above or *shalwar*, *kamiz* and *doopata*.
3.	Office dress	Plain cotton or silk *sari* without a border or with simple borders or *shalwar*, *kamiz* and *doopata*, (or, of those who habitually wear them, skirt and blouse).

NOTE—(1) Materials, colour-schemes and designs should be such as would help to maintain dignity and decorum. *Saris* and blouses worn in Office should be of sober colours and blouse pieces should be of adequate length. Very bright colours, gay or florid designs and striking patterns should be avoided ; the same applies to *shalwar* and *kamiz* and skirt and blouse.

(2) The materials should be Swadeshi, if possible hand-spun and hand-woven.

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८५० पर)

विवरण पत्र "क"

१९५९–६० सीजन में लक्ष्मी शुगर मिल, हरदोई जिन आठ रोड सेन्टर्स से गन्ना खरीद रही है उन रोड सेन्टरों के नाम, फैक्ट्री से प्रत्येक की दूरी तथा कटौती किये गये किराये के पैसे का विवरण

क्रम-संख्या	रोड सेन्टर्स के नाम	हरदोई फैक्टरी से फासला (मीलों में)	कटौती किया जाने वाला किराये का पैसा
(१)	जजवासी	.. १० मील	१५ नये पैसे
(२)	शुक्लापुर	.. १६ मील	१९ ,,
(३)	मलिहामऊ ..	.. ९ मील	१४ ,,
(४)	टडियावां ..	.. ९ मील	१२ ,,
(५)	अटरा ..	.. २६ मील	१९ ,,
(६)	पिहानीथाना ..	.. १९ मील	२२ ,,
(७)	बिलग्राम	.. १५ मील	२० ,,
(८)	परसोली	.. ३० मील	१९ ,,

नत्थी 'ट'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८५० पर)

विवरण पत्र "ख"

क्रम-संख्या	चीनी मिल का नाम	जिले का नाम	चीनी मिलों पर १-१-६० को बकाया रकम रुपयों में	अभियुक्तियां
१	मंसूरपुर	.. जिला मुजफ्फरनगर	६,०००	इन मिलों के विरुद्ध रिकवरी सर्टीफिकेट जारी किये जा चुके हैं।
२	खतौली	.. „ „	६,०००	
३	सहारनपुर	.. „ सहारनपुर	११,०००	
४	काशीपुर	.. „ नैनीताल	६,०००	
५	अमरोहा	.. „ मुरादाबाद	१२,०००	
६	बिजनौर	.. „ बिजनौर	५४,०००	
७	बिलारी	.. „ मुरादाबाद	५६,०००	
८	न्योली	.. „ एटा	९,०००	
९	मुंदेरवां	.. „ बस्ती	५३,०००	
१०	जरवल	.. „ बहराइच	२,३४,०००	
११	देवरिया	.. „ देवरिया	१७,०००	
१२	कैप्टेनगंज	.. „ „	३,०००	
		योग ..	४,६७,०००	
			या	
			४.६७ लाख	

विवरण पत्र 'ग'

१ जनवरी, १९६० को उत्तर प्रदेश की जिन चीनी मिलों पर जितना सेस बकाया है उसका विवरण

क्रम संख्या	चीनी मिल का नाम	चीनी मिलों पर १९५९–६० सीजन के पूर्व की सेस की बकाया रकम (लाख रुपयों में)	चीनी मिलों पर सीजन १९५९–६० 1 जनवरी, १९६० तक सेस की बकाया रकम (लाख रुपयों में)	योग	अभियुक्तियां
१	२	३	४	५	६
१	सरदार नगर	४.१०	२.५१	६.६१	
२	पिपराइच	६.७५	०.८९	७.६४	
३	फरेन्दा	२.८८	१.०७	३.९५	
४	देवरिया	३.५०	०.९८	४.४८	
५	खड्डा	१४.८४	१.५१	१६.३५	
६	लक्ष्मीगंज	६.८५	०.८५	७.७०	
७	रामकोला (के)	१०.८९	०.८५	११.७४	
८	भटनी	३.५९	१.३४	४.९३	
९	मुंदेरवां	२.००	०.५६	२.५६	
१०	खलीलाबाद	१.७१	०.९४	२.६५	
११	नवाबगंज	५.५४	०.७१	६.२५	
१२	जरवलरो	७.५४	१.५३	९.०७	
१३	बाराबंकी	४.१५	१.३७	५.५२	
१४	बिसवां	०.८८	०.७८	१.६६	
१५	महोली	०.६७	३.६६	४.३३	
१६	मसोधा	२.५०	१.४६	३.९६	
१७	बरेली	१०.६३	१.०८	११.७१	
१८	पीलीभीत	७.१३	३.३०	१०.४३	
१९	बिजनौर	५.९७	२.८७	८.८४	
२०	धामपूर	४.२९	१.७४	६.०३	
२१	देवनन्द	१०.७९	१.९६	१२.७५	
२२	सहारनपुर	८.२४	१.८१	१०.०५	
२३	इकबालपुर	३४.३२	४.३१	३८.६३	
२४	मंसूरपुर	१३.३३	३.०९	१६.४२	
२५	खतौली	३.७१	२.१०	५.८१	
२६	मोहिउद्दीनपुर	०.१७	१.२१	१.३८	
२७	बुलन्दशहर	६.०९	१.६०	७.६९	
२८	काशीपुर	३.२०	३.४६	६.६६	
२९	बाजपुर	२.०७	१.७४	३.८१	
३०	अमरोहा	३.९०	४.०३	७.९३	
३१	बिलारी	२.७२	३.२५	५.९७	
३२	घुघली	..	१.१०	१.१०	

क्रम संख्या	चीनी मिल का नाम	चीनी मिलों पर १९५९–६० सीजन के पूर्व की सेस की बकाया रकम (लाख रुपयों में)	चीनी मिलों पर सीजन १९५९–६० 2 जनवरी, १९६० तक सेस की बकाया रकम (लाख रुपयों में)	योग	अभियुक्तियां
१	२	३	४	५	६
३३	सिसवाबाजार ..	..	०.९३	०.९३	
३४	परतावपुर ..	..	१.११	१.११	
३५	बुतालपुर ..	..	१.४६	१.४६	
३६	गौरी बाजार ..	..	०.६५	०.६५	
३७	कैप्टेनगंज ..	..	२.०५	२.०५	
३८	छितौनी ..		१.६३	१.६३	
३९	रामकोला (पी) ..		१.४१	१.४१	
४०	पडरौना ..		०.९४	०.९४	
४१	कठकुइंया ..		१.३१	१.३१	
४२	सिवराही ..		१.२४	१.२४	
४३	बस्ती		०.५१	०.५१	
४४	वाल्टरगंज ..		०.६१	०.६१	
४५	बभनान ..		०.३३	०.३३	
४६	बलरामपुर ..		०.६५	०.६५	
४७	तुलसीपुर ..		०.६८	०.६८	
४८	बुढ़वल ..		०.६०	०.६०	
४९	शाहगंज ..		१.६४	१.६४	
५०	हरगांव ..		३.०३	३.०३	
५१	हरदोई ..		२.५३	२.५३	
५२	एटा ..		१.२०	१.२०	
५३	गोला ..		७.११	७.११	
५४	रोसा ..		१.१९	१.१९	
५५	सिवहारा ..		२.८४	२.८४	
५६	दोईवाला ..		०.३९	०.३९	
५७	लक्सर ..		१.१४	१.१४	
५८	रोहानाकलां ..		२.६१	२.६१	
५९	शामली ..		३.६८	३.६८	
६०	सरवोती टांडा ..		१.३३	१.३३	
६१	दौराला ..		१.८८	१.८८	
६२	मवाना ..		१.८७	१.८७	
६३	जसवंत ..		१.९९	१.९९	
६४	मोदीनगर ..		१.६७	१.६७	
६५	सिम्भौली ..		०.३५	०.३५	
६६	न्योली ..		१.०९	१.०९	
६७	रामपुर ..		२.३८	२.३८	
	कुल योग ..	१९४.९५	११५.६९	३१०.६४	

नत्थी 'ठ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८५१ पर)

विवरण पत्र जिसमें उन अधिकारियों के नाम दिये हुए हैं, जो १९५५ से आगे पांच वर्ष की अवधि में कलेक्टर इन्चार्ज झांसी डिवीजन तथा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट झांसी के पद पर तैनात थे जैसा कि उनके नामों के सामने दिया हुआ है

नाम	ठहरने की अवधि		पद	विशेष विवरण
	दिनांक इतने से	दिनांक इतने तक		
१--श्री जे० एस० लाल, आई० सी० एस० ..	१३-९-१९५४	२६-२-१९५५	कलेक्टर इंचार्ज झांसी डिवीजन, मुख्यालय झांसी ।	
२--श्री के० के०, दास, आई० सी० एस०	२७-२-१९५५	९-१०-१९५५	तदैव	
३--श्री अब्दुल जलील खां, आई० ए० एस०	१०-१०-१९५५	२३-३-१९५६	तदैव	
और फिर	१४-४-५६	१०-४-१९५७		
४--श्री ए० के० सिंह, आई० ए० एस०, (कलेक्टर बांदा और जो श्री ए० जे० खान आई० ए० एस० के छुट्टी से लौटने पर १४-४-५६ से कलेक्टर इंचार्ज झांसी डिवीजन नहीं रहे ।	२४-३-१९५६	१३-४-१९५६	तदैव	
५--श्री राधा कान्त, आई० ए० एस०	१३-४-१९५७	२४-६-१९५७	तदैव ..	कलेक्टर इंचार्ज को आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया और २५-६-५७ से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नियुक्त किये गये ।

नाम	ठहरने की अवधि		पद	विशेष विवरण
	दिनांक इतने से	दिनांक इतने तक		
६--श्री दक्ष सिंह गहलौत, आई० ए० एस०	२५-६-१९५७	१२-७-१९५७	डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट झांसी ..	श्री गहलौत १३-७-५७ से ९९ दिन की छुट्टी पर चले गये थे ।
७--श्री मोहम्मद ताहिर काजमी	१३-७-१९५७	८-८-१९५७	तदैव ..	श्री गहलौत के छुट्टी पर जाने से श्री काजमी ने इस पद पर इस अवधि में स्थानापन्न रूप से कार्य किया ।
८--श्री श्याम नारायण निगम, आई० ए० एस०	९-८-१९५७	१०-१०-१९५८	तदैव ..	श्री निगम १६-२-५८ से १७-४-५८ तक छुट्टी पर चले गये थे ।
९--श्री अब्दुल कयूम	१६-२-१९५८	१६-४-१९५८	तदैव ..	श्री निगम के छुट्टी पर जाने से श्री कयूम ने इस अवधि में स्थानापन्न रूप से कार्य किया ।
१०--श्री सुरेश कुमार सहगल, आई० ए० एस०	१०-१०-१९५८	३०-११-१९५९	तदैव ..	
११--श्री शशिकान्त भटनागर, आई० ए० एस०।	१-१२-१९५९ से	आज तक	..	

नत्थी 'ड'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८५२ पर।)

विवरण-पत्र 'क'

१५ दिसम्बर, १९५९ से गन्ना आन्दोलन के कारण उत्तर प्रदेश की जो चीनी मिलें जितने समय बन्द रही उसका विवरण

क्रम-संख्या	जिले का नाम	चीनी मिल का नाम	चीनी मिल के बन्द रहने की अवधि	
१	२	३	४	
१	गोंडा ..	.. बभनान	१४-१२-५९	४.०० घंटे
			१५-१२-५९	एक दिन
			१६-१२-५९	७.३० घंटे
			योग ..	३५.३० घंटे
२	बस्ती ..	.. वाल्टरगंज	१५-१२-५९	१४ घंटे
			१६ व १७-१२-५९	दो दिन
			१८-१२-५९	१६.३० घंटे
			१९-१२-५९	५.१५ घंटे
			योग ..	८३.४५ घंटे
३	बस्ती ..	.. बस्ती ..	१५ व १६-१२-५९	दो दिन
			१७-१२-५९	१५.१५ घंटे
			१८-१२-५९	१६.०० घंटे
			योग ..	७९.१५ घंटे
४	गोरखपुर	.. घुघली ..	१५-१२-५९	८.०० घंटे
			१६-१२-५९	१६.१५ घंटे
			१८-१२-५९	१८.१५ घंटे
			१९-१२-५९	२३.०० घंटे
			योग	६५.३० घंटे
५	देवरिया	.. गौरीबाजार	१६-१२-५९	५.३० घंटे
६	देवरिया	.. देवरिया ..	१५-१२-५९	३.०० घंटे
			१६-१२-५९	७.०० घंटे
			१७-१२-५९	एक दिन
			१८-१२-५९	७.०० घंटे
			योग ..	४१.०० घंटे
७	देवरिया	.. बैतालपुर	१७-१२-५९	९.३० घंटे
८	बुलन्दशहर	.. पन्नीजा ..	१७-१२-५९	४.१५ घंटे
९	बिजनौर	.. बिजनौर ..	१५-१२-५९	१.०० घंटे
१०	जौनपुर	.. शाहगंज ..	१६-१२-५९	७.१५ घंटे
११	शाहजहांपुर	.. मोदीनगर रोसा	१६-१२-५९	४.३० घंटे
१२	मेरठ	.. मोदीनगर	१६-१२-५९	५.०० घंटे
१३	मुजफ्फरनगर	.. शामली ..	१५-१२-५९	आंशिक रूप से बन्द रही आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

नत्थी 'ढ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८५२ पर)

विवरण पत्र 'ख'

१९५९–६० सीजन में १५ दिसम्बर, १९५९ से पहिले उत्तर प्रदेश की प्रत्येक चीनी मिल की प्रतिदिन की औसत क्रशिंग कैपेसिटी का विवरण

क्रम-संख्या	चीनी मिल का नाम	१४–१२–५९ तक पेरा गया गन्ना की मात्रा	१४–१२–५९ तक सम्पूर्ण पेराई के दिन की संख्या	मिलकी प्रति दिन की औसत क्रशिंग कैपेसिटी
१	२	३	४	६
१	इकबालपुर ..	.. ५८०७०३.०	४१	१४,१६३
२	दोइवाला ..	.. १५४५००.०	११	१४,०४५
३	देवबन्द ..	.. ११९७३००.०	२५	४७,८९२
४	लक्सर ..	.. ४९९६५२.०	१३	३८,४३५
५	सहारनपुर ..	.. १३७१५००.०	४३	३१,८९५
६	मंसूरपुर ..	.. २३१३३००.०	४४	५२,५७५
७	खतौली ..	.. १४१६४००.०	३२	४४,२६३
८	रोहाना ..	.. ९६६५००.०	२७	३५,७९६
९	शामली ..	.. २६९४७००.०	४३	६२,६६७
१०	सरौती ..	.. ९८५४९९.२०	४३	२२,९१९
११	दौराला ..	.. १३६७०००.०	४१	३३,३४१
१२	जसवन्त ..	.. १६२३५५७.२०	६०	२७,०५९
१३	मोहीउद्दीनपुर ..	.. ९०२५००.०	४३	२०,९८८
१४	बेगमाबाद ..	.. १२३८९००.०	४३	२८,८१२
१५	सिम्भोली ..	.. ९३०१८०.५	२७	३४,४५१
१६	मवाना ..	.. १४५२५००.०	४३	३३,७७९
१७	बुलन्दशहर ..	.. ११९४०००.०	४३	२७,७६७
१८	काशीपुर ..	.. १२९०५४७.१४	४२	३०,७२७
१९	बाजपुर ..	.. ४९६७७९.१५	२०	२४,८३९
२०	निचोली ..	.. ६६०८००.०	२५	२६,४३२
२१	अमरोहा ..	.. १५२०३००.०	४१	३७,०८०
२२	बिलारी ..	.. १५१४६८३.३५	४३	३५,२२५
२३	बहेड़ी ..	.. ७०८५७८.०	२५	२८,३४३
२४	बरेली ..	.. ६७६७६७.२१	२९	२३,३३७
२५	पीलीभीत ..	.. ११०७६४७.५	२५	४४,३०६
२६	धामपुर ..	.. १२५९९००.०	४३	२९.३००
२८	सिवहारा ..	.. २०२१५७४.२०	४१	४९,३०७
२८	बिजनौर ..	.. ११३१३००.०	४३	२६,३०९
२९	रोसा ..	.. ८८५५८५.४	४१	२१,६००
३०	बुलन्द ..	.. ८२५९००.०	२५	३३,०३६
३१	रजा ..	.. ५८३२००.०	१९	३०,६९५

क्रम संख्या	चीनी मिल का नाम	१४-१२-५९ तक पेरा गया गन्ना की मात्रा	१४-१२-५९ तक सम्पूर्ण पेराई के दिन की संख्या	मिल की प्रति औसत कैपेसिटी
१	२	३	४	५
३२	हरदोई	१९०९५००.०	४१	४६,५७३
३३	हरगांव	२१८७४४७.५	४१	५३,३५२
३४	महोली	१३४७३००.००	४१	३२,८६१
३५	गोला	३२०८४५८.३५	४१	७८,२५५
३६	ऐरा	९१६१००.०	४२	२१,८१२
३७	बाराबंकी	३९२९१९.२०	२४	१६,३७१
३८	बुढ़वल	३८८४३३७.३०	२५	१५,५३७
३९	मसोधा	१००६४००.०	३६	२७,९५५
४०	विसवां	४७०८३६.३०	२४	१९,६१८
४१	शाहगंज	५७४७९५.६	२४	२३,९४९
४२	खलीलाबाद	२५५५८४.३५	१९	१३,४५१
४३	मुंडेरवां	३१३७२६.२५	१९	१६,५११
४४	बस्ती	२३५२९०.५	१३	१८,०९९
४५	बाल्टरगंज	३५०३२८.३५	२५	१४,०१३
४६	बभनान	७१३२७.५	८	८,९१५
४७	नवाबगंज	२७३३८९.२०	१२	२२,७८२
४८	तुलसीपुर	४०६९७१.२५	२४	१६,९५७
४९	बलरामपुर	३२३१७६.३०	१७	१९,०१०
५०	जरवल रोड	४७०९२३.०	२५	१८,८३६
५१	परतावपुर	७६६६२४.३५	३६	२१,२९५
५२	बैतालपुर	४६९५७७.१०	२०	२३,४७९
५३	गौरीबाजार	३४०२६२.०	१८	३७८०६
५४	देवरिया	३०७७२६.१०	१७	३६२०३
५५	कप्तानगंज	८७६४५७.२०	३६	२४३४६
५६	खड्डा	५२९३६३.३०	३५	१५,१२५
५७	छितौनी	७२२८३५.२५	३९	१८५३४
५८	लक्ष्मीगंज	६३१८६०.१०	३९	१६२०२
५९	रामकोला (पी) ..	९७५५६६.३०	३६	२७७९९
६०	रामकोला (के)	५९३६९३.१०	३५	१६९६३
६१	पडरौना	५९०८८४.३५	२५	२३६३५
६२	कठकुइयां ..	५६६२९५.२०	३६	१५७३०
६३	सिवराही	८५५३३०.१०	३६	२३७५९
६४	भटनी	५४८८५५.३०	३६	१५२४६
६५	सरदार नगर	१६३१७००.०	३५	४६६२०
६६	पिपराइच	६४०५३२.०	३७	१७३१२
६७	घुघली	८४२६६२.३०	३६	२३४०७
६८	सिसवाबाजार ..	६६८६२२.३०	३६	१८५७३
६९	फरेंदा ..	५४८९९.२५	२७	२०३३१
	योग उत्तर प्रदेश (पूर्व) ..	१८६४१८८८.६६		
	योग पश्चिम ..	४५२४१०६०.३९		
		६३८८२९४८.६५		

नत्थी 'ण'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८५२पर)

सूची 'क'

प्रदेश के ऐसे कारखानों की सूची जिनमें ३१-१२-५९ तक यू० पी फैक्ट्रीज वेल्फेयर आफिसर्स रूल्स, १९५५ के अन्तर्गत तृतीय श्रेणी के कल्याण अधिकारी की नियुक्ति अनिवार्य थी

१--जैन ग्लास वर्क्स, हरगांव, आगरा ।
२--खंडेलवाल ग्लास वर्क्स, सासनी, अलीगढ़ ।
३--स्वदेशी काटन मिल कं० लि०, नैनी, इलाहाबाद ।
४--बुढ़वल शुगर मिल लि०, बुढ़वल, बाराबंकी ।
५--इन्डियन टरपेन्टाइन ऐण्ड रोजिन फैक्ट्री, कलेक्टरवकगंज, बरेली ।
६--राधो महेश शुगर मिल्स कं० लि०, मुण्डेरवा, बस्ती ।
७--बस्ती शुगर मिल्स कं० लि० वाल्टरगंज, बस्ती ।
८--आनन्द शुगर मिल्स लि० खलीलाबाद, बस्ती ।
९--इन्जीनियरिंग प्लान्ट डिपो, मुगलसराय एन० ई० रेलवे, वाराणसी ।
१०--मेटल गुड्स मैनुफैक्चरिंग कं० लि०, वाराणसी ।
११--बनारस काटन ऐण्ड सिल्क मिल्स, चौकाघाट, वाराणसी ।
१२--साहू कैमिकल्स साहूपुरी वाराणसी ।
१३--गंगा ग्लास वर्क्स, बालावली, बिजनौर ।
१४--श्री जानकी शुगर मिल्स, दोईवाला, देहरादून ।
१५--प्रतापपुर शुगर फैक्टरी, मैरवां, देवरिया ।
१६--ईश्वरी खैतान शुगर मिल्स लि० लक्ष्मीगंज, देवरिया ।
१७--कानपुर शुगर वर्क्स, गौरी फैक्टरी, गौरी बाजार, देवरिया ।
१८--लक्ष्मीदेवी शुगर मिल्स लि० छितौनी, देवरिया ।
१९--श्री सीताराम शुगर मिल्स लि०, बेतालपुर, देवरिया ।
२०--महेश्वरी खैतान शुगर मिल्स लि०, रामकोला, देवरिया ।
२१--कमलापत (मोतीलाल शुगर मिल्स ब्रान्च) भटनी, देवरिया ।
२२--न्युली शुगर फैक्टरी, न्योली, एटा ।
२३--कमलापत मोतीलाल शुगर मिल्स लि० मोतीनगर, फैजाबाद ।
२४--बलरामपुर शुगर कं० लि०, तुलसीपुर गोंडा ।
२५--बलरामपुर शुगर कं० लि०, बलरामपुर, गोंडा ।
२६--सकसेरिया शुगर मिल्स लि०, बभनान, गोंडा ।
२७--महावीर शुगर मिल्स लि० सिसवाबाजार, गोरखपुर ।
२८--गणेश शुगर मिल्स लि०, आनन्द नगर, गोरखपुर ।

२९—डायमन्ड शुगर मिल्स, पिपराइच, गोरखपुर ।
३०—यू० पी० रोडवेज सेन्ट्रल, वर्कशाप, कानपुर ।
३१—रिवर साइड पावर हाउस, कानपुर ।
३२—दि कानपुर कैमिकल वर्क्स, कानपुर ।
३३—कानपुर रोलिंग मिल्स प्रा० लि० हरीशगंज, कानपुर ।
३४—जे० के० रेन, जाजमऊ, कानपुर ।
३५—गोविन्द शुगर मिल्स, ऐरा, खीरी ।
३६—अपर इन्डिया कूपर पेपर मिल्स लि०, लखनऊ ।
३७—गवर्नमेंट प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ ।
३८—पालीवाल ग्लास वर्क्स, शिकोहाबाद, मैनपुरी ।
३९—हिन्द लैम्प्स लि०, शिकोहाबाद, मैनपुरी ।
४०—मेरठ स्ट्रा बोर्ड, मिल्स, मेरठ ।
४१—यू० पी० ग्लास वर्क्स, बहजोई, मुरादाबाद ।
४२—एल० एव० शुगर फैक्टरी ऐण्ड आयल मिल्स, काशीपुर, नैनीताल
४३—स्टार पेपर मिल्स कं० लि०, सहारनपुर ।
४४—सक्सेरिया बिरवां शुगर फैक्टरी, सीतापुर ।

———

नत्थी 'त'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ९५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८५३ पर)

सूची 'ख'

प्रदेश के ऐसे कारखानों की सूची जिनमें ३१-१२-५९ तक यू० पी० फैक्ट्रीज वेलफेयर आफिसर्स रूल्स, १९५५ के अन्तर्गत तृतीय श्रेणी के कल्याण अधिकारी नियुक्त नहीं थे

१--एन० ई० रेलवे इंजीनियरिंग, प्लान्ट डिपो, मुगलसराय, वाराणसी ।

२--बनारस काटन ऐण्ड सिल्क मिल्स, चौकाघाट, वाराणसी ।

३--साहू कैमिकल, साहूपुरी, वाराणसी ।

४--सकेरिया शुगर मिल्स, लि०, बभनान, गोंडा ।

५--डायमंड शुगर मिल्स, पिपराइच, गोरखपुर ।

६--जे० के० रेन, जाजमऊ, कानपुर ।

७--मेरठ स्ट्रा बोर्ड मिल्स, मेरठ ।

नत्थी 'थ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८५३ पर)

ट्रेड यूनियनों की तालिका जिन्हें वर्ष १९५८-५९ में आर्थिक सहायता दी गई थी।

क्रम सं०	यूनियन का नाम	स्वीकृत रकम	सम्बद्धता (अफिलियेशन)
१	अयोध्या शुगर मिल वर्कर्स यूनियन, राजा का सहसपुर, मुरादाबाद ..	८०० रु०	आई० एन० टी० यू० सी०
२	यू० पी० इलेक्ट्रिक सप्लाई वर्कर्स यूनियन, लखनऊ	७०० रु०	,, ,,
३	आगरा इलेक्ट्रिक सप्लाई वर्कर्स यूनियन, आगरा	७०० ०	,, ,,
४	शाहजहांपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लि० मजदूर यूनियन, शाहजहांपुर ..	३०० रु०	,, ,,
५	रोडवेज सेन्ट्रल वर्कशाप इम्पलाइज यूनियन, कानपुर	१००० रु०	,, ,,
६	जनरल इंजीनियरिंग कारखाना कर्मचारी संघ, लखनऊ	५०० रु०	,, ,,
७	राजकीय कृषि यंत्र कर्मचारी संघ, लखनऊ	१,००० रु०	,, ,,
८	अलीगढ़ मेटल इन्डस्ट्रीज वर्क्स यूनियन, अलीगढ़	५०० रु०	ए० आई० टी० यू० सी०
९	टेन्ट ऐण्ड दरी वर्कर्स यूनियन, कानपुर ..	३५० रु०	,, ,,
१०	इलाहाबाद प्रेस वर्कर्स यूनियन, इलाहाबाद	३०० रु०	,, ,,
११	आइरन ऐण्ड स्टील मजदूर यूनियन, कानपुर	५०० रु०	हि० म० स०
१२	कानपुर सफाई कर्मचारी संघ, कानपुर ..	३५० रु०	,,
१३	सूती मिल मजदूर सभा कानपुर ..	२,००० रु०	स्वतंत्र
१४	मजदूर सेवा संघ, कानपुर ..	१,००० रु०	,,
	योग ..	१०,०००	

पी० एस० यू० पी० ए० पी० २८२ एल० ए०—१९६०—८४५।